2017-18

दिल्ली विकास प्राधिकरण
के
वार्षिक लेखा–परीक्षित लेखे

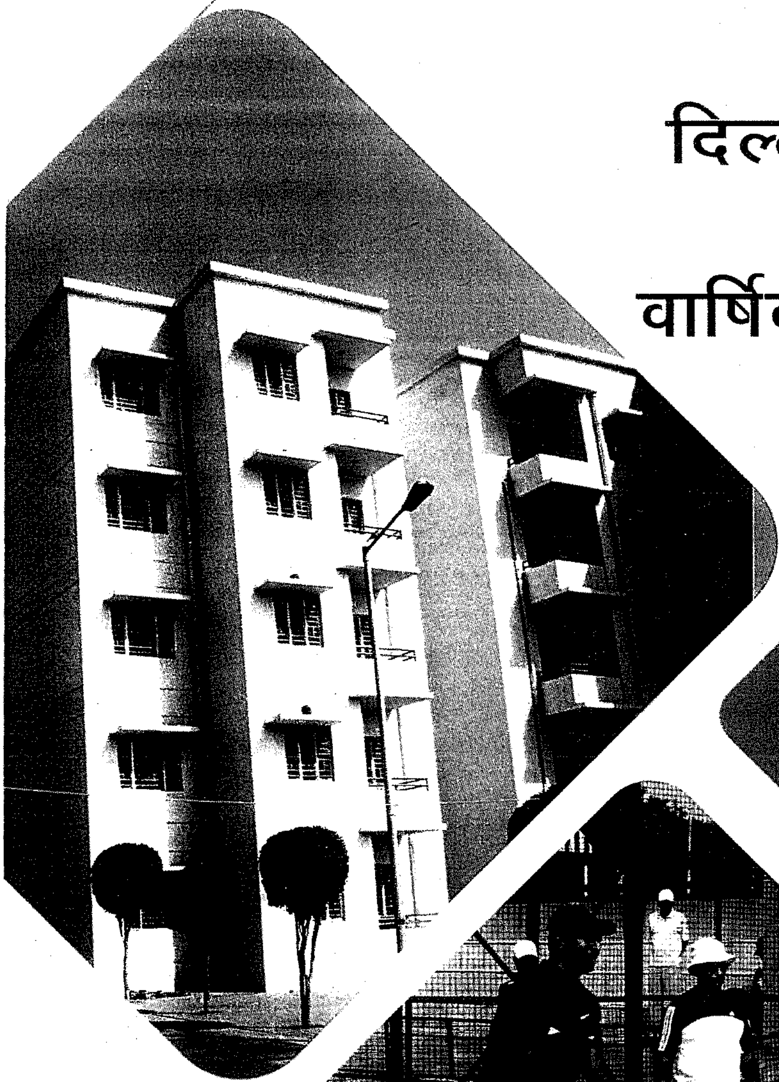

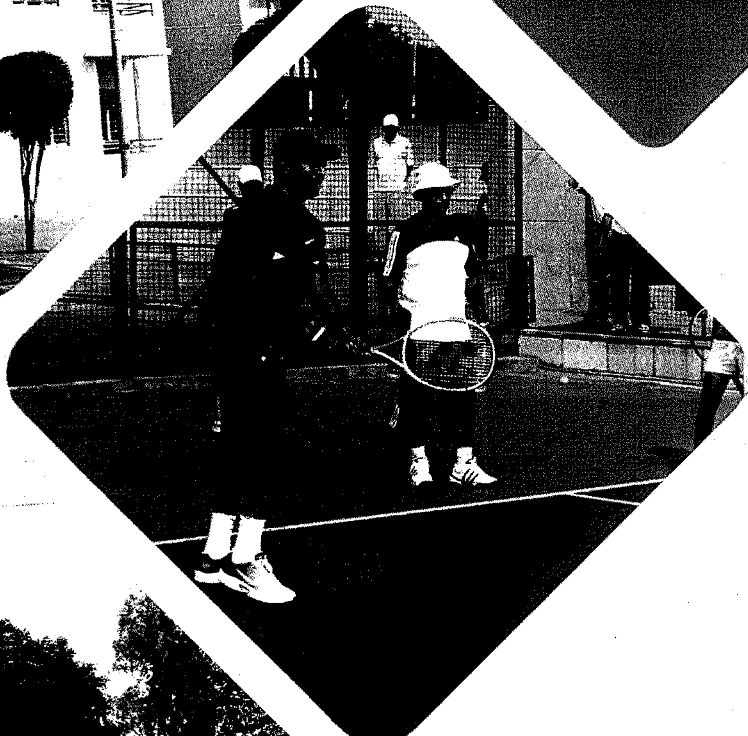

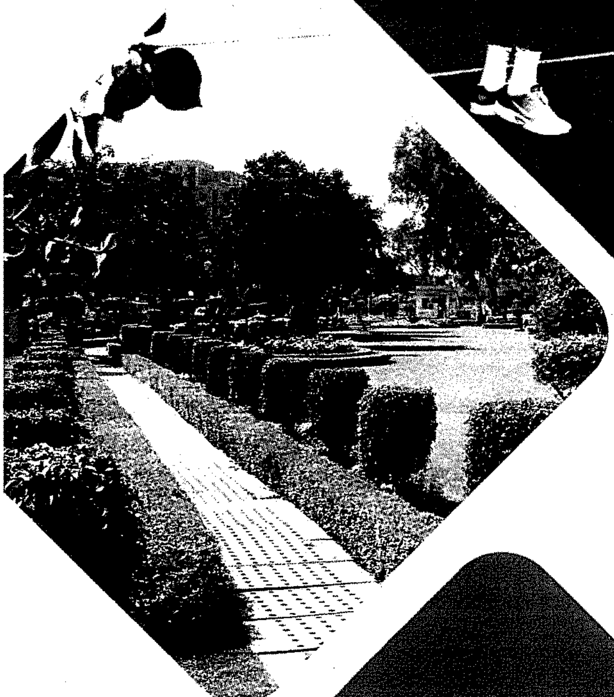

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(आवास और शहरी कार्य मंत्रालय)

वर्ष 2017–18

के लेखों पर

पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

दिल्ली विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए दि.वि.प्रा. के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25(2) के उपबंधों के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शकितयाँ और सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन-पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखे की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों के तथ्यों की सत्यता की जिम्मेदारी प्राधिकरण के प्रबंधन की है। हमारा दायित्व अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देने का है।

2. इस प्रारूप पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में, केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन व्यवहार के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानक और प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) मानकों आदि के संबंध में लेखांकन प्रणाली पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियाँ शामिल हैं। विधि, नियमों और विनियमों (उपयुक्तता और नियमनिष्ठा) के अनुपालन तथा दक्षता एवं निष्पादन पहलू आदि, यदि कोई हो, के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखा-परीक्षा टिप्पणियां निरीक्षण रिपोर्टों/सी.ए.जी. की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से पृथक से दी गई हैं।

3. हमने अपनी लेखा-परीक्षा, लागू नियमों और भारत में सामान्यत: स्वीकार किए गए लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम लेखा-परीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि वित्तीय विवरण में किसी प्रकार की गलतबयानी के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके। हमारी लेखा-परीक्षा में परीक्षण आधार पर जाँच, राशियों के समर्थन में साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में उनका प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) शामिल हैं। हमारी लेखा-परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों का आकलन और प्रबंध द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर, हम कहना चाहते हैं कि:-

(i) हमने सारी सूचना और स्पष्टीकरण, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक थी, प्राप्त की है।

(ii) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नीचे लिखे प्रारूप में लेखे तैयार किए:-

➢ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखों के समान प्रारूप में तैयार किए गए सामान्य विकास खाते के संबंध में प्राप्ति और भुगतान लेखे, आय और व्यय लेखा और तुलन-पत्र।

➢ दिल्ली विकास प्राधिकरण (बजट और लेखा) नियम, 1982 के अंतर्गत तैयार किए गए नजूल-I के संबंध में प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा और तुलन-पत्र।

➢ दिल्ली विकास प्राधिकरण (बजट और लेखा) नियम, 1982 के अंतर्गत तैयार किए गए नजूल-II के संबंध में प्राप्ति एवं भुगतान लेखा।

➢ पेंशन निधि ट्रस्ट के संबंध में प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा और तुलन-पत्र।

➢ उपदान निधि ट्रस्ट के संबंध में प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा और तुलन-पत्र।

(iii) हमारी राय में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25(1) के अंतर्गत यथा अपेक्षित लेखों की उचित बही और अन्य संबद्ध रिकार्ड का अब तक रखरखाव किया जाता है, जैसा कि इन खाता-बहियों की हमारी जांच के दौरान निम्नलिखित टिप्पणियों सहित देखा गया है:-

क. नज़ूल-I

1. आय एवं व्यय खाता

1.1 आय

क्षतिपूर्ति से आय — 1.75 करोड़ रुपये

वर्ष 2016-17 के लिए दि.वि.प्रा. के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में टिप्पणी संख्या ए. 2.1 (क) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें सभी क्षतिग्रस्त संपत्तियों के संबंध में उपार्जित आय को दर्ज न करने पर टिप्पणी की गई थी।

वर्ष 2017-18 के दौरान भी यह देखा गया कि दि.वि.प्रा. ने केवल क्षतिपूर्ति प्रभारों से 1.75 करोड़ रुपये की आय दर्शायी है, जबकि चालू वर्ष के लिए क्षतिपूर्ति प्रभार की गणना 36.65[1] करोड़ रूपये की गई है। इस प्रकार क्षतिपूर्ति प्रभार के साथ विविध देनदारों से आय 34.90 करोड़ रूपये (36.65 करोड़ रूपये - 1.75 करोड़ रूपये) तक कम थी।

वर्ष 2016-17 में दि.वि.प्रा. की पृथक् लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में उठाये गये मुद्दों के बावजूद दि.वि.प्रा. द्वारा कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाये गये हैं।

ख. नज़ूल-II

1.2 तुलन-पत्र और आय एवं व्यय खाता तैयार न करना

नज़ूल-II भारत सरकार की ओर से दि.वि.प्रा. द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि के अधिगृहण, विकास और निपटान कार्य-कलापों से संबंधित है। नज़ूल-II खाते के संबंध में दि.वि.प्रा. ने केवल प्राप्ति एवं भुगतान खाते तैयार किये थे। इस खाते में 31 मार्च, 2018 की समाप्ति पर 8421.08 करोड़ रुपये का निवेश था। लेखा-परीक्षा ने नज़ूल-II के लिए तुलन-पत्र और आय एवं व्यय खाता तैयार न करने पर बार-बार टिप्पणी कर रहा है, ताकि इस खाते से संबंधित परिसंपत्तियों और देयताओं का ठीक प्रकार से वर्णन किया जा सके।

वर्ष 2012-13 से दि.वि.प्रा. की पृथक् लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में इस मुद्दे पर टिप्पणी शामिल की जा रही है, लेकिन दि.वि.प्रा. द्वारा कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाये गये हैं।

ग सामान्य विकास खाता

1. तुलन-पत्र

1.1 आरक्षित एवं अधिशेष (अनुसूची-ए) — 11901.25 करोड़ रुपये

1.1.1 ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि — 791.75 करोड़ रुपये

(क) वर्ष 2016-17 को समाप्त वर्ष के लिए दि.वि.प्रा के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एस.ए.आर.) में टिप्पणी सं. सी 1.2 (ख) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो ई.डब्ल्यू.एस.

[1] अगस्त 2017 में दि.वि.प्रा. द्वारा यथा पदत्त अनाधिकृत अधिभोग के अंतर्गत नज़ूल-1 संपत्तियों के कुल क्षेत्र को वर्ष 2015-16 के क्षतिपूर्ति प्रभार के अनुसार जो कि दि.वि.प्रा. क्षतिपूर्ति प्रभार की उपलब्ध नवीनतम दर हैं। जो आवासीय श्रेणी में न्यूनतम क्षतिपूर्ति प्रभार के साथ गुणा करके लेखा-परीक्षा इस राशि पर पहुँचा है। इस आँकड़े पर पहुँचने के लिए वर्ष 2016-17 के एस.ए.आर. में अलग मानदंड था अतः यह आँकड़ा वर्ष 2016-17 के एस.ए.आर. में दिये गए आँकड़े के तुल्य नहीं हो सकता है।

आवासों के निर्माणं पर किए गए ऊपरी व्यय को शामिल नहीं किए जाने के संबंध में है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017-18 के दौरान दि.वि.प्रा. ने ई.डब्ल्यू.एस. आवासों के निर्माण पर किए गए 269.73 करोड़ रुपए के व्यय पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त खर्च होने पर 40.46 करोड़ रुपये की राशि को शामिल नहीं किया है। ई.डब्ल्यू.एस. माल-सूची की कीमत में वृद्धि होने पर इसे अर्थात् ऊपरी व्यय सहित व्ययों को, ई.डब्ल्यू.एस. निधि में शामिल किया जाना चाहिए था, जबकि इसे आय एवं व्यय खाते में दर्शाया गया है।

इसका अनुपालन न किया जाना निधि आधारित लेखाकरण और पूर्ण प्रकटीकरण के सिद्धातों के विरूद्ध है।

वर्ष 2016-17 में उठाये गये मुद्दों के बावजूद दि.वि.प्रा. द्वारा कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाये गये हैं।

(ख) वर्ष 2016-17 को समाप्त वर्ष के लिए दि.वि.प्रा के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एस.ए.आर.) में टिप्पणी सं. सी 1.2 (क) की और ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह टिप्पणी की गई थी कि दि.वि.प्रा. ई.डब्ल्यू.एस. आवास के लिए पृथक आरक्षित निधि रखता है। जबकि दि.वि.प्रा. ई.डब्ल्यू.एस. निधि से ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैटों के निर्माण पर किए गए व्यय को घटाता है। इसलिए अब तक निर्मित फ्लैटों को एलआईजी की दि.वि.प्रा. आवासों की सूची के अंतर्गत भेज दिया गया/बिक्री के लिए रखा गया और ये ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अंतर्गत नहीं थे। पिछले वर्ष की टिप्पणी के अनुसार ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के 22,577 फ्लैटों को हाउसिंग स्कीम 2014 के अंतर्गत विक्रय के लिए रखा गया था और आवासीय योजना 2017 के अंतर्गत 268 फ्लैटों को एल.आई.जी. के रूप में विक्रय के लिए रखा गया।

पिछले वर्ष में दि.वि.प्रा. द्वारा दिये गये आश्वासनों के बावजूद 2017-18 में दि.वि.प्रा. द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

1.2 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची-सी).

1.2.1 भूमि हेतु विविध लेनदार — 9.82 करोड़ रुपये

वर्ष 2016-17 के लिए दि.वि.प्रा. के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा-परीक्षा (एस.ए.आर.) में टिप्पणी सं. 2.2 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। लेखा-परीक्षा द्वारा ध्यान दिलाए जाने के बावजूद भूमि की खरीद के लिए पुनर्वास मंत्रालय की बकाया 3.82 करोड़ रूपए की मूल राशि पर देय ब्याज के रूप में दि.वि.प्रा. द्वारा कोई देयता नहीं दी गई है। देय ब्याज की राशि 31 मार्च, 2018 तक बढ़ाकर 11.86 करोड़ रुपए कर दी गई है

(दिसंबर 1991 तक 1.84 करोड़ रुपए + जनवरी 1992 से मार्च 2017 तक 9.64 करोड़ रुपए+ब्याज की वास्तविक दर की उपलब्धता के अभाव में दस प्रतिशत वार्षिक की दर से परिकलित चालू वर्ष अर्थात् 2017-18 के लिए 0.38 करोड़ रुपए)। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं में 11.86 करोड़ रुपये, पूर्व अवधि व्यय में 11.48 करोड़ रुपये और वर्तमान वर्ष के व्यय में 0.38 करोड़ रुपये की कमी दिखाई गई है।

इस मुद्दे पर टिप्पणी दि.वि.प्रा. के एस.ए.आर. में 2015-16 से शामिल की जा रही है, लेकिन कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

1.3 वर्तमान परिसंपत्तियाँ

1.3.1 माल-सूची

(i) प्रगतिधीन कार्य (निर्माणाधीन आवास) 6441.43 करोड़ रुपये

दि.वि.प्रा. के वित्तीय विवरण पर क्रमश: वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 4.2 (ख), 4.3 (ग) और 3.1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। चालू वर्ष 2017-18 के दौरान दि.वि.प्रा. ने ई.डब्ल्यू.एस. निधि, जो विशेषत: इस उद्देश्य के लिए बनाई गई है, मे से ई.डब्ल्यू.एस. आवासों के निर्माण पर 269.73 करोड़ रुपये व्यय किए। तथापि, ई.डब्ल्यू.एस. निधि का उपयोग करके बनाई गई परिसम्पत्तियां (ई.डब्ल्यू.एस. आवासों का प्रगतिधीन कार्य और फीनिश्ड स्टॉक) तुलन-पत्र की अनुसूची-एफ में पृथक रूप से दर्शायी नहीं गई है, जबकि, ई.डब्ल्यू.एस. निधि के लिए निवेश, जो एक अन्य चालू परिसम्पत्ति है, को पृथक रूप से दर्शाया जा रहा है। ई.डब्ल्यू.एस. आवास (फीनिश्ड स्टॉक के साथ-साथ प्रगतिधीन कार्य) निर्मित आवासों के कुल प्रगतिधीन और फीनिश्ड स्टॉक का एक बड़ा भाग है। तथापि, पृथक शीर्ष के अंतर्गत ईडब्ल्यू.एस. आवासों के अप्रकटीकरण के कारण ई.डब्ल्यू.एस. आवासों के कुल निर्माण के लिए उपयोग की गई संचयी राशि को सत्यापित नहीं किया गया। अत: एक महत्वपूर्ण तथ्य होने के कारण पृथक शीर्ष के अंतर्गत ई.डब्ल्यू.एस. आवासों का अप्रकटीकरण पूर्ण प्रकटीकरण के सिद्धांत के विरूद्ध है।

वर्ष 2014-15 से दि.वि.प्रा. की पृथक् लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में इस मुद्दे पर टिप्पणी शामिल की जा रही है, लेकिन दि.वि.प्रा. द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई हैं।

(ii) निर्मित आवासों का फीनिश्ड स्टॉक (अनुसूची-एफ) 2782.56 करोड़ रुपये

1643 एस.एफ.एस./एच.आई.जी. फ्लैटों के संबंध में उपर्युक्त में 354.35 करोड़ रुपये शामिल हैं। लेखा-परीक्षा द्वारा 346 मामलों के विवरण की जॉच की गई, अर्थात् संबंधित जोन द्वारा यथा प्रस्तुत खाली फ्लैटों की सूची और यह पाया कि

इन 346 फ्लैटों के बदले केवल 49 फ्लैटों को 31 मार्च, 2018 को इन जोनल रिपोर्टों में खाली दिखाया गया था। यह दर्शाता है कि वित्तीय विवरण के लिए मानी गई 346 फ्लैटों की सम्पत्ति सूची को 297 एस.एफ.एस./एच.आई.जी. फ्लैटों की सीमा तक 130.37 करोड़ रु तक अधिक दर्शाया गया था। इस प्रकार सकल प्रावधानों की सम्पत्ति सूची को 111.94 तक अधिक दर्शाया गया था। (कार्य पूरा करने के लिए लागत हेतु 130.37 करोड़ - 18.43 करोड़ का प्रावधान)। इसके परिणामस्वरूप आरक्षित और अधिशेष को उपर्युक्त सीमा तक अधिक दर्शाया गया। चूँकि यह परिक्षण जाँच केवल 346 एस.एफ.एस./एच.आई.जी. फ्लैटों से संबंधित है। इसलिए शेष एस.एफ.एस./एच.आई.जी. फ्लैटों के साथ-साथ अन्य श्रेणियों के फ्लैटों अर्थात् एम.आई.जी./एल.आई.जी./जनता में ऐसे अधिक वर्णन की लेखा-परीक्षामें टिप्पणी नहीं की जा सकी।

1.3.2 विविध देनदार **503.32 करोड़ रुपये**

31 मार्च, 2018 को सामान्य विकास निधि लेखा के तुलन-पत्र में विविध देनदारी 503.32 करोड़ रुपये दर्शायी गई । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लेखा टिप्पणियों नोट सं. 11 के अनुसार यह सूचित किया है कि 31 मार्च, 2018 के अनुसार विविध देनदारों की पार्टीवार और आयुवार जानकारीका उचित समाधान तुरन्त उपलब्ध नहीं है । इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने देनदारों की पार्टीवार और आयुवार ब्रेकअप नहीं रखा है, चूंकि इस प्रकार की लेखा परीक्षा द्वारा 31 मार्च, 2018 के अनुसार समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलन-पत्र में दर्शाए गए 503.32 करोड़ रुपये के मूल्य में के लिए विविध देनदारों की प्रामाणिकता, स्थिति और वसूली योग्यता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। केवल लेखा की टिप्पणी में की इस बात के प्रकटीकरण कि देनदारों का समाधान नहीं किया गया है, पर्याप्त नहीं है।

इस मुद्दे पर टिप्पणी भारत महालेखा परीक्षक की पृथक् लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में वर्ष 2013-14 से शामिल की जा रही है, लेकिन दि.वि.प्रा. देनदारों की पार्टीवार और अवधि वार विवरण को सुरक्षित रखने में असमर्थ रहा हैं।

2. आय एवं व्यय खाता

2.1 आय

2.1.1 ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि **62.48 करोड़ रुपये**

वर्ष 2016-17 के लिए दि.वि.प्रा. के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा रिपोर्टों (एस.ए.आर.) में टिप्पणी संख्या डी.1.2. के लिए संदर्भ प्रस्तुत है, जिसमें आय तथा व्यय लेखा में ईडब्ल्यू.एस. आरक्षित निधि के निवेश से प्राप्त ब्याज आय के वर्गीकरण को इंगित किया गया है । चालू वर्ष 2017-18 में भी, निधि आधारित लेखा के सिद्धांत के अनुसार आय तथा व्यय लेखा

में 62.48 करोड़ की आय बुक की गई है ।

इसके परिणामस्वरुप आय में अतिरिक्त वृद्धि व घाटे में 62.48 करोड़ रुपये की कमी दर्शायी गई है।

वर्ष 2016-17 में इंगित किये जाने के बावजूद दि.वि.प्रा. द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

2.1.2. **स्टॉक एवं कार्य में वृद्धि/(कमी)** **2424.88 करोड़ रुपये**

वर्ष 2016-17 के लिए दि.वि.प्रा. के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा (सी.ए.जी.) की पृथक लेखा रिपोर्ट (एस.ए.आर.) में टिप्पणी सं. डी.2.1. का संदर्भ प्रस्तुत है, जिसमें आय तथा व्यय लेखा में ई.डब्ल्यू.एस. की बुकिंग के लिए इंगित किया गया था । चालू वर्ष 2017-18 के दौरान भी प्रगतिधीन कार्य में वृद्धि द्वारा 310.19 करोड़ रुपये की आय (15 प्रतिशत की दर पर ऊपरी व्यय के लिए 40.46 करोड़ रुपये सहित 269.73 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष व्यय) निधि आधारित लेखा के सिद्धांत के विरुद्ध आय और व्यय लेखा में बुक किया गया है ।

इसके परिणामस्वरुप आय में वृद्धि और घाटे में 310.19 करोड़ रुपये की कमी दर्शायी गई है ।

वर्ष 2015-16 में इंगित किये जाने के बावजूद दि.वि.प्रा. द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

2.1.3 **लाइसेंस शुल्क (अनुसूची-जी)** **60.81 करोड़ रुपये**

(क) इसमें नजूल-II से संबंधित भूमि पर लगाए गए मोबाइल टावरों से अर्जित लाइसेंस शुल्क के संबंध में 17.12 करोड़ रुपये की राशि शामिल है । इसलिए इसे जी.डी.ए. के स्थान पर नजूल- II की पुस्तकों में बुक किया जाना चाहिए था । इसके परिणामस्वरुप आय में 17.12 करोड़ रुपये की वृद्धि और समान रुप से वर्तमान दायित्वों और उपबन्धों में कमी दिखाई गई ।

2.2 **व्यय**

2.2.1 **संस्थापना एवं प्रशासन** **562.09 करोड़ रुपये**

इसमें दिनांक 21 दिसंबर, 2017 से प्रभावी कार्यालय क्लर्क मेट (ओ.सी.एम.) को देय बकाया राशि के लिए 28.58 करोड़ रुपये की राशि शामिल नहीं है । चूंकि व्यय चालू वर्ष से संबंधित है, अत: लेखा पुस्तिका में प्रावधान किया जाना चाहिए था । इस प्रकार, उपार्जित आधार पर उपर्युक्त व्यय की गैर-बुकिंग के परिणामस्वरुप व्यय तथा घाटे में 28.58 करोड़ रुपये की कमी हुई है ।

2.2.2 विनिर्दिष्ट आवासीय स्कीम-ई.डब्ल्यू.एस. 269.73 करोड़ रुपये

वर्ष 2016-17 के लिए दि.वि.प्रा. के वित्तीय विवर णों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की पृथक लेखा रिपोर्ट (एस.ए.आर.) में टिप्पणी सं.डी.2.1 का संदर्भ प्रस्तुत है, जिसमें आय तथा व्यय लेखा में ई.डब्ल्यू.एस. की बुकिंग के लिए इंगित किया गया था । चालू वर्ष, 2017-18 के दौरान भी प्रगतिधीन कार्य में बढ़ोत्तरी द्वारा 310.19 करोड़ रुपये की आय (15 *प्रतिशत* की दर पर ऊपरी व्यय के लिए 40.46 करोड़ रुपये सहित 269.73 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष व्यय) निधि आधारित लेखा के सिद्धांत के विरुद्ध आय और व्यय लेखा में बुक किया गया है ।

इसके परिणामस्वरुप आय में वृद्धि और घाटे में 310.19 करोड़ रुपये की कमी दर्शायी गई है ।

वर्ष 2015-16 से एस.ए.आर. में इस मुद्दे पर टिप्पणी किये जाने के बावजूद दि.वि.प्रा. द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

3. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां (अनुसूची-एन)

3.1 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित (नवम्बर 2000) एक समान लेखा-प्रारूप के अनुसार संस्था निवेशों उनकी लागत, ह्रास तथा मूल लागत लम्बी अवधि तथा चालू निवेश दोनों के लिए, को प्रकट करना होगा। लेखा-परीक्षा ने पाया कि दि.वि.प्रा. ने 24113.92 करोड़ रुपये (जीडीए-रू 9779.13 करोड़, नजूल II, रू 7990.98 करोड़, पेंशन निधि न्यास- रू 5720.04 करोड़ तथा उपादान निधि न्यास- रू 623.77 करोड़) निवेश किए हैं, परंतु एक समान लेखा प्रारूप के अनुसार निवेश के संबंध में लेखाकरण नीति को महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों में प्रकट नहीं किया गया है अत: निवेश के लिए उचित लेखाकरण नीति के प्रकटीकरण की सीमा तक महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां कम हैं।

3.2 राजस्व प्राप्त

दि.वि.प्रा. के वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के वित्तीय विविरण पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणी सं. सी-3, डी-2, तथा ई. 1.1 के संदर्भ में यह आमंत्रित किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि लेखाकरण नीति के अनुसार, किराया आय को उपार्जित आधार पर स्वीकृत किया जाता है और भू-भाटक आय और सेवा-प्रभारों को नकद आधार पर परिकलित किया जाता है। चूंकि वार्षिक लेखों को उपार्जित आधार पर तैयार किया जाता है इसलिए भू-भाटक और सेवा-प्रभारों को भी उपार्जित आधार पर तैयार किए जाएं और जिस आय की वसूली में संदेह है उसके लिए प्रावधान बनाया जाए। जैसा

कि दि.वि.प्रा के पास उन सभी आबंटितों का विवरण है, जिनसे भू-भाटक प्राप्त करना है, भू-भाटक के खाते पर आय को मुद्रा के रूप में परिमित तथा करनिर्धार्य किया जा सकता है। अत: सत्य व निष्पक्ष दृष्टि को प्रस्तुत करने के लिए दि.वि.प्रा. को भू-भाटक आय को वार्षिक रूप से उपार्जित आधार पर उल्लेखित करना चाहिए। वर्ष 2014-15 से एस.ए.आर. में इस मुद्दे पर टिप्पणी किये जाने के बावजूद दि.वि.प्रा. द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

3.3 दि.वि.प्रा. के वर्ष 2016-17 के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में क्रमश: टिप्पणी संख्या ई 1.2 पर संदर्भ आमंत्रित किया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि शहरी विकास निधि (यू.डी.एफ.) खाते में से दिए गए ऋण पर ब्याज लिया गया और उस ब्याज को प्राप्ति आधार पर निधि खाते में क्रेडिट किया गया, यद्यपि खाते को उपार्जित आधार पर तैयार किया गया। दि.वि.प्रा. में लगातार उल्लेख करने के बावजूद सरकारी ऋणों पर ब्याज के खाते को प्राप्ति आधार पर दर्शाया गया । इसके परिणामस्वरूप शहरी विकास निधि में 5.95[2] करोड़ रूपये तक की कमी दर्शायी गई।

इस मुद्दे पर टिप्पणी पर वर्ष 2014-15 से दि.वि.प्रा. के एस.ए.आर. में शामिल किया गया था। तथापि, दि.वि.प्रा. द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

4. लेखों के लिए टिप्पणी (अनुसूची-ओ)

4.1 आकस्मिक देयताएं **3133.93 करोड़ रूपये**

4.1.1 (i) इसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरूद्ध मैसर्स एमार एम.जी.एफ. कंस्ट्रक्शन प्रा.लिमिटेड द्वारा दायर एक माध्यस्थम मामले के संबंध में 2,884.87 करोड़ रू. शामिल हैं। तथापि लेखा परीक्षा को दिए गए विवरणों के अनुसार इस मामले के संबंध में आकस्मिक देयता 2,685.97 करोड़ रूपये तक परिकलित गई। इसके परिणामस्वरूप आकस्मिक देयता में 198.90 करोड़ रूपए तक की वृद्धि दर्शायी गई।

(ii) माननीय उच्च न्यायालय में मैसर्स स्पोर्टिना पेसो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के विरूद्ध दाखिल मामले के संबंध में 3133.93 करोड़ रूपये की आकास्मिक देयता में 13.06 करोड़ की राशि शामिल नहीं की गई है। इसके कारण आकस्मिक देयता में 13.06 करोड़ रूपये तक की कमी है।

4.1.2 वर्ष 2016-17 के लिए दि.वि.प्रा. के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के एस.ए.आर. में टिप्पणी संख्या एफ. 1.2 के लिए निर्देश हुआ है जिसमें माल सूचियों में मूल्यांकन के संबंध में लेखाकरण निति संख्या 6 में परिवर्तन के कारण प्रभाव के अप्रकटीकरण पर टिप्पणी की गई थी।

[2] 59.54 करोड़ रुपये की कुल ऋण राशि पर चालू वर्ष हेतु 10 प्रतिशत वार्षिक की दर पर गणना की गई (इस निधि के परिचालन हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दिशा- निर्देशों के अनुसार) ।

इसे वर्ष 2017-18 में भी ठीक नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2016 तक तैयार स्टॉक का मूल्यांकन, जिस पर इसे बेचा जाना संभावित है उस मानक लागत पर इसके मूल्यांकन की पिछली नीति के अनुसार मूल्यांकित किया जाना जारी है, जो कि लेखाकरण मानक 2 (माल सूचियों का मूल्यांकन) के उल्लंघन में है।

वर्ष 2016-17 में इंगित किये जाने के बावजूद दि.वि.प्रा. द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

4.1.3. आवासीय योजना (सेक्टर जी-7 एवं जी-8, नरेला सेक्टर 34 एवं 35 , रोहिणी में आंतरिक विकास और विद्युतीकरण सहित एलआईजी एवं ई.डब्ल्यू.एस. आवासों का निर्माण) के एक हिस्से जिसमें 8164 एलआईजी फ्लैट और 1820 ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट शामिल है, को चालू वर्ष 2017-18 के दौरान वास्तविक रूप से पूरा किया गया। तथापि न ही तो तैयार स्टॉक (आवास बनाए गए) की सूची में इसे अंतरित किया गया और न ही लेखा टिप्पणियों में इस तथ्य को प्रकट किया गया । लागत विवरण के अभाव में,लेखा परीक्षा में तैयार स्टॉक की कमी तथा डब्ल्यू.आई.पी. में अधिकता की मात्रा को निर्धारित नहीं किया जा सका।

घ. पेंशन निधि ट्रस्ट

1. तुलन पत्र

1.1 लंबित देयताएं **20.58 करोड़ रुपये**

इसमें कुल 1184 ऑफिस क्लर्क मेट (ओ.सी.एम.) की पेंशन परिशोधन के कारण दिनांक 21 दिसंबर, 2017 से प्रभावी ऑफिस क्लर्क मेट (ओ.सी.एम.) को देय पेंशन के बकाये की 1.97 करोड़ रु की राशि शामिल नहीं है।

इसके परिणामस्वरूप पेंशन निधि ट्रस्ट के तुलन-पत्र में देयताओं एवं चालू परिसंपत्तियों में 1.97 करोड़ रूपये कम दर्शाये गये हैं।

1.2 425.00 करोड़ रू के निवेश (यू.डी.एफ. रू 80.00 करोड़, नजुल II, रू 325.00 करोड़ एवं सीआरएफ 20.00 करोड़ रु) को पेंशन निधि ट्रस्ट के माध्यम से राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में पेशन निधि ट्रस्ट के तुलन पत्र में नहीं दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों एवं देयताओं में 425.00 करोड़ रूपये कम दर्शाये गये हैं।

ङ. उपदान निधि ट्रस्ट

1 तुलन-पत्र

1.1 नियोक्ता अंशदान **19.21 करोड़ रुपये**

इसमें दिनांक 21 दिसंबर, 2017 से प्रभावी वेतन परिशोधन के फलस्वरूप 846 ओ.सी.एम. को देय सेवा-निवृत्ति उपदान के विषय में 14.36 करोड़ रुपये की राशि शामिल नहीं हैं।

इसके गैर-बुकिंग के कारण देयताओं के साथ-साथ व्यय में 14.36 करोड़ रुपये कम दर्शाये गये हैं।

च. **सामान्य**

1. **शहरी विकास निधि (यू.डी.एफ.) के अलग खातों को तैयार करना।**

1.1 दि.वि.प्रा. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से परिरक्षक (कस्टोडियन) के रूप में शहरी विकास निधि के खातों का रख-रखाव करता रहा है और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (भारत सरकार) के निदेशानुसार ही ऋणों/अनुदानों का इस निधि से केवल वितरण किया जाता है। जैसा कि यह दि.वि.प्रा. के लिए एक पृथक इकाई है, वित्तीय विवरणों के लिए अलग इकाई बनाना चाहिए। उदाहरणार्थ शहरी विकास निधि के अलग-अलग इकाई के न बनाने के कारण लेनदेन जो डबल एंट्री सिस्टम की संचित अवधारणा के अनुसार शामिल नहीं हो पाएं-

(i) दि.वि.प्रा. ने वर्ष 2017-18 के दौरान ढाई वर्ष की अवधि हेतु शहरी विकास निधि के रु. 80.00 करोड़ रुपये पेंशन निधि ट्रस्ट के माध्यम से राज्य सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय हेतु निवेश किये। तथापि, निवेश की खरीद पर भुगतान किये गये 1.84 करोड़ रुपये के अपरिशोधित प्राशुल्क को अस्थगित व्यय के रूप में नहीं दिखाया जा सका ।

(ii) शहरी विकास निधि में 79.91 करोड़ रुपये के बचत खाता शेष सहित 4949.40 करोड़ रुपये की निधि थी । खातों के पृथक् सेट्स तैयार न करने के कारण, निवेशों से संबंधित लेन-देन, उस पर ब्याज, परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएँ और उपार्जित व्यय आदि को अलग से दिखाया नहीं जा सका ।

अत: बेहतर प्रस्तुतीकरण और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी परिसम्पत्तियों और देयताओं को समुचित रुप से दर्शाया गया है, लेखा-परीक्षा की राय है कि दि.वि.प्रा. द्वारा शहरी विकास निधि के लिए भी खातों के पृथक् सैट्स तैयार किए जाने चाहिए ।

छ **प्रबंधन-पत्र**

जो कमियाँ पृथक् लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई हैं, उन्हें निवारक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी एक प्रबंधन-पत्र द्वारा उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. की जानकारी में लाया गया है ।

(i) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के आधार पर हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र और आय एवं व्यय खाता /प्राप्ति एवं भुगतान खाता बही खाते के अनुरुप हैं ।

(ii) हमारी राय और हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा नीतियों एवं लेखा पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण जो उक्त महत्वपूर्ण मामलों पर एवं इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के **अनुलग्नक** में उल्लिखित अन्य मामलों की शर्त के अधीन हैं, भारत में सामान्यत: स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं:-

क) जहाँ तक इसका संबंध है यह दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यों के 31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र से संबंधित हैं; और

ख) जहाँ तक इसका संबंध है यह उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के घाटे के आय एवं व्यय खाते से संबंधित है ।

दिनांक: 28.12.2018 **हस्ता./-**

स्थान: नई दिल्ली

(मनीष कुमार)
महानिदेशक लेखा परीक्षा
आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय

अनुलग्नक

वर्ष 2017-18 के लिए दि.वि.प्रा. के लेखों के प्रमाणन के दौरान निम्नलिखित कमियाँ भी पायी गई थी।

1 **आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) की आंतरिक लेखा परीक्षा, निदेशक (आंतरिक लेखा परीक्षा) की अध्यक्षता में इसके अपने आंतरिक लेखा- परीक्षा विंग द्वारा की गई थी। रिकॉर्ड से ऐसा पाया गया है कि दि.वि.प्रा. के पास आंतरिक परीक्षा शाखा के प्रशासनिक नियंत्रण में 212 लेखा परीक्षा किए जाने योग्य इकाइयाँ हैं । इनमें से आंतरिक लेखा -परीक्षा ने केवल 113 इकाइयों की लेखा परीक्षा की योजना बनाई और जिनमें 94 इकाइयों की लेखा-परीक्षा वर्ष 2017-18 के दौरान की गई । इसके अतिरिक्त आंतरिक लेखा-परीक्षा ने यह पाया कि बहुत सारे पुराने बकाया आंतरिक लेखा-परीक्षा पैरा लंबित थे। वित्त वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 के दौरान बकाया पैरा की संख्या क्रमशः 16105, 16915, 18473 और 19718 थी। गत तीन वर्षों के दौरान, दि.वि.प्रा. द्वारा 852 पैरा ही निपटाए गए। यह बताता है कि बकाया पैरा को निपटाने के पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए हैं ।

2 **उपार्जित आधार पर खातों को तैयार न करना**

सात केन्द्रीय लेखाकरण इकाइयाँ हैं, जैसे कि, सी.ए.यू. (उत्तरी) क्षेत्र, सी.ए.यू. (दक्षिणी) क्षेत्र, सी.ए.यू. (पूर्वी) क्षेत्र, सी.ए.यू. (द्वारका) क्षेत्र, सी.ए.यू. (रोहिणी) क्षेत्र, सी.ए.यू. (पी. और सी.डब्ल्यू.जी.) और सी.ए.यू. खेल है । इसके अतिरिक्त, सी.ए.यू. के अलावा सात लेखाकरण इकाइयाँ जैसे- रोकड़ (मुख्य), रोकड़ (आवास), कर्मचारी हित निधि, चिकित्सा, भीकाजी कामा प्लेस, वेतन एवं लेखाधिकारी और यूटीपैक हैं । दि.वि.प्रा. सी.ए.यू. स्तर पर मासिक लेखा को तैयार करने के लिए मुख्यतया: के.लो.नि.वि. के पैटर्न का अनुसरण करता है । सी.ए.यू. द्वारा प्रस्तुत मासिक लेखा वर्गीकृत और समेकित सार मुख्यालय स्तर पर दिए गए हैं । वर्ष के अंत में खातों के समायोजन प्रविष्टियों को पारित करके कर सलाहकार द्वारा नकद आधार खातों के उपार्जित आधार में परिवर्तन द्वारा अंतिम रुप दिया जाता है । इस प्रकार, जब भी लेन-देन किया जाता है, दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने लेन-देन का रिकॉर्ड उपार्जित आधार पर नहीं रखता है ।

3. **विभाग में विशेषज्ञता की कमी**

दि.वि.प्रा. अपने लेखों को अंतिम रुप देने के लिए बाह्य एजेंसी पर निर्भर है । लेखों को कर परामर्शदाता से बनवाने के स्थान पर दि.वि.प्रा. द्वारा वित्तीय विवरण बनाने के लिए विभागीय विशेषज्ञता के विकास हेतु संस्तुत किया गया है क्योंकि दि.वि.प्रा. ने हाल ही में योग्य सहायक लेखा अधिकारियों के एक दल की भर्ती की

है । इसके अतिरिक्त, कुछ तद्नुकूल लेखाकरण सॉफ्टवेयर सिस्टम के कार्यान्वयन हेत तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए, जो दि.वि.प्रा. के वित्तीय एवं लेखाकरण को सरल बनाने में सहायता कर सकता है ।

4. **वास्तविक सत्यापन**

सत्यापन वित्तीय नियम (जीएफआर) के नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार सभी वस्तुओं का वास्तविक सत्यापन किया जाए और यदि कोई विसंगति हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई हेतु उसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाए । वस्तुओं और सामाग्रियों का मदवार वास्तविक सत्यापन न होने से दि.वि.प्रा. के वित्तीय विवरण में सम्पत्ति सूची की मात्रा और मूल्य के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई है । उदाहरणार्थ एस.एफ.एस./एच.आई.जी. श्रेणी के अंतिम स्टॉक में कुल 1643 फ्लैट थे, जिनकी कीमत 354.35 करोड़ रुपये रखी थी । विभिन्न जोनों द्वारा दी गई जानकारी के साथ खाली पड़े हुए फ्लैटों की स्थिति का अनुकूल पुष्टिकरण के साथ एस.एफ.एस./एच.आई.जी. फ्लैटों की सम्पत्ति सूची की एक जाँच-परीक्षा और आवासीय योजना- 2017 में फ्लैटों को शामिल करने से यह पता चला है कि दि.वि.प्रा. द्वारा अधिकतर एस.एफ.एस./एच.आई.जी. फ्लैट बेच दिए गए और केवल कुछ फ्लैट ही खाली बचे हुए थे तथा निर्मित आवासों के तैयार स्टॉक में 111.94 करोड़ रुपये की अधिकता थी, जैसा कि पृथक् लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणी संख्या सी 1.3.1 (ii) की टिप्पणी में है। इस प्रकार, लेखा में संपत्ति सूची की सही स्थिति दर्शाने के लिए संपत्ति सूची का मदवार वास्तविक सत्यापन प्रतिवर्ष कराया जाए । संपत्ति सूची की मदवार वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट न होने से लेखा-परीक्षा में 31 मार्च, 2018 को समाप्त तुलन-पत्र में दर्शाए गए 2782.56 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति सूचियों के होने एवं प्रमाणिकता को लेकर आश्वस्त नहीं है ।

दिनांक: 28.12.2018 **हस्ता./-**

स्थान: नई दिल्ली

(मनीष कुमार)
महानिदेशक लेखा परीक्षा
आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय

वर्ष 2017–18

वार्षिक लेखा

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सामान्य विकास खाता

वार्षिक लेखा

2017–18

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य विकास खाता
31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र

(राशि करोड़ में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2018 को	31.03.2017 को
समग्र/पूंजीगत निधि और देयताएं			
आरक्षित एवं अधिशेष	ए	11,901.25	11,977.04
निर्धारित/स्थायी निधि	बी	8,051.50	7,813.03
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	सी	4,387.20	1,392.32
कुल		**24,339.95**	**21,182.39**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	डी	190.67	202.37
पूंजीगत कार्य प्रक्रियाधीन	डी	3.60	3.62
निर्धारित/अक्षय निधि का निवेश	ई	8,235.10	7776.72
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	एफ	15,910.58	13,199.68
कुल		**24,339.95**	**21,182.39**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	एन		
लेखों पर टिप्पणियां	ओ		

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
वरिष्ठ लेखाधिकारी (लेखा)मुख्य	उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)	निदेशक (वित्त)/परामर्शदाता	मुख्य लेखाधिकारी

दिनांक 16.07.2018
स्थानः नई दिल्ली।

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य विकास खाता
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय खाता

(राशि करोड़ में)

विवरण	अनुसूची	31.3.2018 को समाप्त वर्ष हेतु		31.3.2017 को समाप्त वर्ष हेतु	
आय					
बिक्री/सेवाओं से आय	जी		249.66		518.84
निवेश से आय	एच		231.70		253.34
अन्य आय	आई		215.52		240.76
स्टॉक एवं कार्य में वृद्धि/(कमी)	जे		2,424.88		1,000.33
कुल			**3,121.76**		**2,013.27**
व्यय					
विकास एवं निर्माण व्यय					
–भूमि एवं संबंधित कार्य		0.46		1.04	
–विनिर्दिष्ट आवास योजना–ई डब्ल्यू एस आवास		269.73		83.62	
–अन्य आवासीय योजनाएं		2,034.68		1,224.23	
–व्यावसायिक सम्पदा		1.04	2,305.91	3.45	1,312.34
सम्पत्तियों का रखरखाव			130.81		135.58
संस्थापना एवं प्रशासन	के		562.09		388.20
पंजीकरण राशि पर ब्याज			1.10		1.07
नजूल.II से ब्याज			108.25		-
मूल्यह्रास	डी		13.71		14.84
कुल			**3,121.87**		**1,852.03**
पूर्ववर्ती अवधि मदों/असाधारण मदों से पहले व्यय पर आय की अधिकता			-0.11		161.24
पूर्व अवधि आय/(व्यय)	एल		-74.75		-96.88
असाधारण मद			-		-
वर्ष के लिए व्यय पर आय की अधिकता			**-74.86**		**64.36**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	एन				
लेखा पर टिप्पणियां	ओ				

हस्ता/– हस्ता/– हस्ता/– हस्ता/–

वरिष्ठ लेखाधिकारी | उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा) | निदेशक (वित्त)/परामर्शदाता | मुख्य लेखाधिकारी(लेखा)मुख्य

दिनांक:16.07.2018
स्थानः नई दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सामान्य विकास खाता

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

(राशि करोड़ में)

प्राप्तियां					भुगतान				
लेखा शीर्ष	2017–18		2016–17		लेखा शीर्ष	2017–18		2016–17	
प्रारंभिक शेष									
नकद शेष	0.07		0.13		प्रशासन एवं संस्थापना	548.86		567.06	
बचत खाते में शेष	2266.54		1120.86		घटाएं : कार्य से प्राप्त राशि	54.44		58.29	
ट्रांजिट में प्रेषित धनराशि	27.11		3.39		कुल	494.42		508.77	
	2293.72		1124.38		घटाएं : लागत भाग निम्नलिखित से प्राप्त				
घटाएं निम्नलिखित में से संबंधित लेनदेन का शेष					नजूल खाता– I	5.05		5.41	
नजूल–I	2.87		1.26		नजूल खाता–II	251.08		261.04	
नजूल–II	1541.33		259.34		दिल्ली मुख्य योजना	1.56		1.65	
	749.52		863.78		अंतरित किया गया कुल लागत भाग	257.69		268.09	
जोड़ः सावधि जमा सामान्य निवेश	830.04	1579.56	2172.74	3036.52	सा.वि.खा. के अंतर्गत शेष राशि		236.73		240.68
कार्य एवं विकास योजनाओं से राजस्व भूमि के निपटान से प्राशुल्क	0.04		0.05		कार्य एवं विकास योजनाओं पर व्यय		136.10		141.24
किराया खरीद किश्तों सहित मकानों एवं दुकानों के निपटान से प्राशुल्क	261.47	261.51	181.05	181.10	मकानों एवं दुकानों के निर्माण पर व्यय		2134.57		1464.97
लाइसेंस शुल्क		86.76		81.46	पंजीकरण राशि पर ब्याज एवं वापसी		0.06		0.02
भू'भाटक		3.38		5.66	भण्डार		—		0.09
					विविध व्यय		0.04		0.00

सामान्य निवेश पर ब्याज		24.58		130.98	स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद		0.01		2.97
अन्य राजस्व		299.26		176.24					
विभागीय प्रभारों की वसूली		8.12		7.73					
शहरी विकास निधि					शहरी विकास निधि				
निवेश का नकदीकरण	4026.98		4275.00		निवेश	4873.84		4255.99	
परिवर्तन शुल्क	206.80		176.49		वापसी	0.87		1.00	
निवेश पर ब्याज	311.61		347.04		अनुदान एवं अन्य विभागों को ऋण	205.62		3.00	
यू.डी.एफ. ऋण वसूली पर ब्याज	—		1.10		फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए दी गई राशि	—		2.50	
सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट से प्राप्त राशि	—		0.10		विविध	0.01		—	
ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट से प्राप्त राशि	—	4545.39	0.00	4799.73	फण्ड ट्रस्ट पेंशन का भुगतान	3.32	5083.66	—	4262.49
सामान्य भविष्य निधि					सामान्य भविष्य निधि				
भविष्य निधि अंशदान	180.77		177.57		भविष्य निधि संवितरण	253.75		240.79	
जी.पी.एफ. निवेश का नकदीकरण	93.00		276.23		डिपोजिट लिंक बीमा	0.68		0.32	
जी.पी.एफ. का निवेश	97.39		—		अग्रिम वसूली जीपीएफ	52.80		60.82	
					विविध व्यय	0.00		0.25	
					भविष्य निधि पर ब्याज	—		—	
अंशदान पर ब्याज	51.80		69.20						
सा.भ.नि. पर ब्याज	114.60		119.81						
छुट्टी नकदीकरण फंड से प्राप्त	—		4.43		जीपीएफ शेष पर प्राप्त ब्याज	50.95		66.25	
पीआरएमएस फंड से प्राप्त	0.00		21.87		जीपीएफ शेष का अंतरण	97.39		—	
विविध प्राप्त	—		—		उपदान निधि ट्रस्ट को भुगतान	—		24.34	

उपदान निधि ट्रस्ट से प्राप्त	8.76		—		यू.डी.एफ. को भुगतान	—		0.10	
जी.पी.एफ. अग्रिम वसूली	17.07		18.15		पेंशन निधि ट्रस्ट को भुगतान	26.05		108.78	
डिपोजिट लिंक बीमा	0.02		—						
प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी	0.14	563.55	0.02	687.28	किया गया निवेश	6.00		472.96	
					प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी	0.53	488.15	0.81	975.42
नई पेंशन योजना					नई पेंशन योजना				
एन.पी.एस. के लिए प्राप्त कर्मचारी अंशदान	4.35		3.97		एन.एस.डी.एल. को भुगतान	7.97		8.42	
एन.पी.एस. के लिए प्राप्त नियोक्ता अंशदान	—	4.35	—	3.97	प्राधिकरण का भाग	—		—	
					सेवा प्रभार	—	7.97	0.03	8.45
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी					व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी				
कर्मचारियों से अंशदान	0.07		0.08		एल.आई.सी. की प्रीमियम	—		—	
बीमा कम्पनी से प्राप्त मुआवजा	—	0.07	—	0.08	भुगतान किया गया मुआवजा	0.04	0.04	0.03	0.03
ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षी निधि					ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षी निधि				
निवेश का नकदीकरण	1055.00		895.00		निवेश	943.00	943.00	975.00	975.00
निवेश पर प्राप्त ब्याज	75.96	1130.96	78.45	973.45					

हितकारी निधि					हितकारी निधि				
हितकारी निधि के लिए प्राप्त कर्मचारी अंशदान	1.68		1.97		संवितरण		1.41		1.66
ब्याज	—	1.68	0.00	1.97					
आकस्मिक आरक्षी निधि					आकस्मिक आरक्षी निधि				
निवेश का नकदीकरण	1024.00		945.00		निवेश	1102.86		1024	
					पेंशन निधि ट्रस्ट को भुगतान	0.15	1103.01	—	1024.00
प्राप्त ब्याज	76.86	1100.86	79.18	1024.18	कर्मचारी हित निधि				
					निवेश	—		—	
					संवितरण	0.46	0.46	0.65	0.65
कर्मचारी हित निधि									
निवेश का नकदीकरण	0.50		0.70						
प्राप्त ब्याज	0.05	0.55	0.05	0.75	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा निधि निवेश				
					किया गया निवेश	4.30		295.15	
सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा निधि निवेश					संवितरण	40.43		33.38	
निवेश का नकदीकरण	10.35		7.16		पेंशन फंड ट्रस्ट को भुगतान	20.11		29.74	
					सामान्य भविष्य निधि को भुगतान	0.00		21.87	
नजूल–II से प्राप्त	—		27.00		उपदान फंड ट्रस्ट को भुगतान	11.80		—	
उपादान निधि ट्रस्ट से प्राप्त	11.80		—		नजूल–II का भुगतान	27.00	103.64	—	380.14
प्राप्त ब्याज	31.14	53.29	25.82	59.98					
					अवकाश नकदीकरण निवेश				
अवकाश नकदीकरण निवेश					किया गया निवेश	1.00		73.86	
निवेश का नकदीकरण	4.25		14.26		पेंशन निधि ट्रस्ट को भुगतान की गई राशि	—		118.62	
नजूल–II से ब्याज प्राप्त राशि	5.00		1869.00		उपदान निधि ट्रस्ट को भुगतान	12.70		—	

उपदान निधि ट्रस्ट से प्राप्त	12.70		4.17		सामान्य भविष्य निधि को भुगतान	—		4.43	
पेंशन निधि ट्रस्ट को भुगतान की गई राशि	(1.22)		—		नजूल–II से ब्याज प्राप्त राशि	—		1874.00	
प्राप्त ब्याज	24.74	45.47	23.45	1910.88	संवितरण	60.90	74.60	63.74	2134.65
<u>विद्युत रख रखाव खंड</u>					<u>विद्युत रख रखाव फंड</u>				
निवेश नकदीकरण	—		40.00		किया निवेश	45.00	45.00	—	—
प्राप्त ब्याज	—	—	4.14	44.14	<u>सिविल कार्य रखरखाव स्कीम</u>				
<u>सिविल कार्य रख रखाव स्कीम</u>					किया गया निवेश	443.00	443.00	395.00	395.00
निवेश का नकदीकरण	245.00		525.00		नजूल लेखा–2		404.56		
प्राप्त ब्याज	18.30	263.30	45.36	570.36	नजूल लेखा–1		10.00		12.00
नजूल–II से ब्याज प्राप्त राशि	3056.99	3056.99	902.13	902.13	पेंशन फंड ट्रस्ट को भुगतान की गई राशि		351.78	—	538.68
पेंशन फंड ट्रस्ट से प्राप्त राशि	212.12	212.12	—	—	उपदान फंड ट्रस्ट को भुगतान की गई राशि		134.98		135.00
ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट से प्राप्त राशि	74.13	74.13	—	—	<u>दि.वि.प्रा. प्रदूषण जुर्माना खाता</u>				
<u>दि.वि.प्रा. प्रदूषण जुर्माना खाता</u>									
ब्याज	0.39		0.02						
जुर्माना	5.00	5.39	4.75	4.77	जुर्माना	5.23	5.23	5.00	5.00
<u>सीरीफोर्ट वन क्षेत्र का पुनरूद्धार</u>					<u>सीरीफोर्ट वन क्षेत्र का पुनरूद्धार</u>				
निवेश का नकद भुगतान				—	किया गया निवेश	—		1.00	

ब्याज	0.00	0.00	—	—	संवितरण	—	—	—	1.00
जमा बयाना राशि/पंजीकरण राशि					जमा बयाना राशि/पंजीकरण राशि				
आवास स्कीमें	718.88		—		आवास स्कीमें	589.08		19.38	
व्यावसायिक स्कीमें	0.61	719.49	4.15	4.15	व्यावसायिक स्कीमें	9.51	598.59	10.09	29.47
					समूह बीमा योजना				
समूह बीमा योजना कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान	0.05		0.06		कर्मचारियों को भुगतान	0.11		0.13	
बीमा कंपनी से प्राप्त मुआवजा	0.00	0.05	0.04	0.10	दि.वि.प्रा. कर्मचारियों के लिए एल.आई.सी. सामूहिक बीमा प्रीमियम	0.00	0.11	0.07	0.20
कर्मचारी अग्रिम वसूली	—		—		कर्मचारी अग्रिम		0.08		—
अन्य अग्रिम	0.51	0.51	1.73	1.73	अन्य अग्रिम		2.89		3.61
					जमा एवं प्रतिधारण		401.32		242.27
					निक्षेप कार्य		9.95		6.33
जमा एवं प्रतिधारण		396.99		246.53	आय पर टी.डी.एस.				—
निक्षेप कार्य		0.49		3.95	आयकर प्राधिकरण के साथ जमा		910.58		—
					मध्यस्थ/कोर्ट निर्णय को भुगतान		11.27		—
सांविधिक कटौती/वसूली कर शुल्क एवं सेस,		167.12		217.21	सांविधिक कटौती/वसूली कर, शुल्क एवं सेस		165.65		516.45

					<u>अंत शेष (अनुसूची एम)</u>				
					नकद राशि	0.03		0.07	
					बचत खाते में बकाया राशि	682.41		2266.54	
					ट्रांजिट में प्रेषित धन	0.41		27.11	
						682.85		2293.72	
					<u>घटाएँ</u> निम्नलिखित से संबंधित लेनदेन का शेष :–				
					नजूल–I	2.45		2.87	
					नजूल–II	430.10		1541.33	
						250.30		749.52	
					जोडे . सावधि जमा–सामान्य निवेश	547.21	797.51	830.04	1579.56
		14605.92		15077.03			14605.92		15077.03

हस्ता/-
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेखा मुख्य)

हस्ता/-
उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)

हस्ता/-
निदेशक (वित्त)/परामर्शदाता

हस्ता/-
मुख्य लेखा अधिकारी

दिनांक:
स्थल:नई दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य विकास खाता
31 मार्च, 2018 को तुलनपत्र का भाग बनने वाली अनुसूची

(राशि करोड़ में)

विवरण		31.03.2018 को		31.03.2017 को	
अनुसूची ए					
आरक्षी निधि एवं अधिशेष					
राजस्व खाते में अधिशेष					
प्रारंभिक शेष		9892.83		9899.43	
घटाएं : ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षी निधि को अंतरित राशि				—	
जोडे : ई.डब्ल्यू.एस. आवास निधि को अंतरित राशि		207.25		5.78	
घटाएं : आकस्मिक आरक्षी निधि पर ब्याज आय		70.11			
आकास्मिक आरक्षी निधि को अंतरित				76.74	
जोडें : वर्ष के दौरान व्यय पर आय की अधिकता		−74.86	9995.11	64.36	9892.83
विशिष्ट आरक्षी निधि					
ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षी निधि					
प्रारंभिक शेष		999.00		1004.78	
जोडें : राजस्व खाते में अधिशेष से अंतरित राशि		—		—	
घटाएं : राजस्व खाते में अधिशेष को अंतरित					
ई.डब्ल्यू.एस. आवासो पर व्यय	269.73				
ई.डब्ल्यू.एस.फंड निवेश के अर्जित ब्याज से आय	62.48	207.25	791.75	5.78	999.00
आकस्मिक आरक्षी निधि					
प्रारंभिक शेष		1081.28		1004.55	
जोड़: राजस्व खाते में अधिशेष से अंतरित	70.11				
घटाएं: पेंशन फंड ट्रस्ट से प्राप्त राशि	0.15			76.74	
घटाऐं : निवेश की खरीद के लिए भुगतान				—	
किया गया प्रीमियम	0.80	69.16	1150.44	—	1081.28
आवास अग्नि जोखिम के लिए आरक्षित					
प्रारंभिक शेष		3.92		3.91	
जोड़: वर्ष के दौरान वसूल किया गया आवास जोखिम प्राशुल्क		0.04	3.96	0.01	3.92
कुल			11901.25		11977.04

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य विकास खाता
31 मार्च, 2018 को तुलनपत्र का भाग बनने वाली अनुसूची

(राशि करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को	31.03.2017 को
अनुसूची—बी निर्धारित/स्थायी निधि		
शहरी विकास निधि प्रारंभिक शेष जोड़े : निधियों में अतिरिक्त राशि	4894.76	4373.15
वर्ष के दौरान प्राप्त परिवर्तन प्रभार	210.55	184.65
निवेश तथा बचत बैंक ब्याज पर अर्जित ब्याज	320.46	341.26
जोड़ें . पूर्व अवधि	–0.02	–
पेंशन फंड ट्रस्ट से प्राप्त राशि	–3.32	–
सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट से प्राप्त राशि	—	0.10
ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट से प्राप्त राशि	—	0.00
अन्य ब्याज	—	1.10
घटाएँ: फंड के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय		
वर्ष के दौरान संवितरण (दिया गया अनुदान)।	205.62	3.00
विविध व्यय	0.01	–
निवेश की खरीद के समय भुगतान किया गया प्राशुल्क	2.17	–
परियोजनाओं पर किया गया व्यय	—	2.50
अंत शेष (क्रेडिट)	5214.63	4894.76
सामान्य भविष्य निधि		
प्रारंभिक शेष	1431.11	1535.59
जोड़े: फंड में अतिरिक्त राशि	—	–
वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान (निवल) जिसमें अंशदान पर ब्याज शामिल है।	145.90	198.65
निवेश पर अर्जित ब्याज	115.51	118.21
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	—	—
पेंशन फंड ट्रस्ट	–26.05	–108.78
छुट्टी नकदीकरण फंड	—	4.43
शहरी विकास निधि	—	–0.10
घटाएं: फंड के उद्देश्यों के लिए उपयोगिता/व्यय	—	–
वर्ष के दौरान संवितरण	253.72	301.93
निवेश (छूट का निवल) की खरीद पर प्रीमियम	—	12.10
ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट को भुगतान	–8.76	24.34
सेवानिवृत्ति पश्चात् निधि में किया गया भुगतान	–0.00	–21.87
अवधि पूर्व समायोजना	0.34	–
विविध व्यय	0.00	0.26
घटाएं: वसूली योग्य		
पी एस आई डी सी से प्राप्त ब्याज	0.16	0.16
अंत शेष (क्रेडिट)	1421.01	1431.11
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी फंड प्रारंभिक शेष	0.61	0.56
जोड़े: फंड में अतिरिक्त राशि वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	0.07	0.08
घटाएं: फंड के उद्देश्यों के लिए उपयोगिता/व्यय वर्ष के दौरान संवितरण	0.04	0.03
अंतः शेष (क्रेडिट)	0.64	0.61
हितकारी निधि (फंड)		
प्रारंभिक शेष	0.31	–

जोड़ेः फंड में अतिरिक्त राशि		
कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान	1.67	1.97
जी.डी.ए. से प्राप्त अंशदान		
घटाएं: फंड के उद्देश्यों के लिए उपयोग / व्यय	1.41	1.66
वर्ष के दौरान संवितरण		
अंतः शेष (डेबिट)	0.57	0.31
छुट्टी नकदीकरण निधि (फंड)		
प्रारंभिक शेष	418.68	510.04
जोड़ेः फंड में अतिरिक्त राशि	—	—
निवेश पर अर्जित ब्याज	36.05	34.61
वर्ष के दौरान अंशदान	−27.60	64.20
सामान्य भविष्य निधि के लिए प्राप्ति	—	−4.43
पेंशन फंड से प्राप्त	−1.22	−118.62
घटाएं: फंड के उद्देश्य के लिए उपयोग / व्यय		
वर्ष के दौरान संवितरण	60.90	63.74
निवेश की खरीद पर प्राशुल्क (छूट का निवल)	—	2.55
निवेश की खरीद पर व्यय	—	0.00
नजूल- 2 को भुगतान (निवल)	−5.00	5.00
पूर्ण अवधि समायोजन	0.06	—
उपदान ट्रस्ट निधि (फंड) लिए किया गया भुगतान	0.00	−4 17
अंतः शेष (क्रेडिट)	369.95	418.68
सेवा निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा निधि (फंड)	541.50	550.69
प्रारंभिक शेष		
जोड़े: निधि में अतिरिक्त राशि		
वर्ष के दौरान अंशदान	−15.57	51.44
पूर्व अवधि के दौरान अंशदान	—	—
नजूल–2 से प्राप्त	−27.00	27.00
निवेश पर अर्जित ब्याज	39.62	34.86
पेंशन फंड ट्रस्ट से प्राप्त राशि	−20.11	−60.65
उपदान निधि ट्रस्ट से प्राप्त राशि	−0.00	—
जी.पी.एफ से प्राप्त राशि	−0.00	−21.87
घटाएं: फंड के उद्देश्यों के लिए उपयोग / व्यय		
वर्ष के दौरान संवितरण	40.43	33.36
पूर्ण अवधि समायोजन	0.00	—
निवेश की खरीद पर प्राशुल्क (छूट का निवल)	—	6.59
अंत शेष(क्रेडिट)	478.01	541.50
कर्मचारी हित निधि		
प्रारंभिक शेष	0.82	1.38
जोड़ें : फंड में अतिरिक्त राशि		
वर्ष के दौरान अंशदान		
निवेश पर अर्जित ब्याज	0.02	0.09
घटाएं : फंड के उद्देश्यों के लिए उपयोग / व्यय		
वर्ष के दौरान संवितरण	0.45	0.65
विविध व्यय	—	—
अंत शेष(क्रेडिट)	0.39	0.82
सिविल कार्य रख–रखाव फंड–आवास योजना–2010 से आगे		
प्रारंभिक शेष	465.40	395.90
आबंटितियों से प्राप्त अंशदान	10.27	34.39
निवेश पर ब्याज	24.86	35.11
	500.53	465.40
विद्युत कार्य रख–रखाव फंड–आवास योजना–2014 से आगे		
प्रारंभिक शेष	54.48	39.92
आबंटितियों से प्राप्त अंशदान	3.72	11.91
निवेश पर ब्याज	1.81	2.66
अंत शेष(क्रेडिट)	60.01	54.48

यमुना प्रदूषण जुर्माना फंड प्रारंभिक शेष	5.36	0.30
जोड़ें : फंड में अतिरिक्त राशि		
वर्ष के दौरान अंशदान		
प्राप्त जुर्माना		4.75
ब्याज आय	0.40	0.31
घटाएं : फंड के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय		
वर्ष के दौरान सवितरण		—
अंत शेष(क्रेडिट)	5.76	5.36
कुल शेष (क्रेडिट) कुल शेष (डेबिट)	8051.50	7813.03
निवल शेष	8051.50	7813.03

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य विकास खाता
31 मार्च, 2018 को तुलनपत्र का भाग बनने वाली अनुसूची

(राशि करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को	31.03.2017 की
अनुसूची सी		
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान		
क. वर्तमान देयताएं :		
विविध लेनदार		
खर्चों के लिए	189.11	96.26
भूमि के लिए	9.82	47.18
नजूल–II को देय	3415.70	890.51
पेंशन फंड ट्रस्ट को देय	152.48	--
ख. अन्य देयताएँ		
उचंत खाता	23.43	18.93
अन्य देयताएँ	16.88	16.57
जमा एवं प्रतिधारण	186.50	195.33
बयाना जमा राशि/पंजीकरण राशि (आवास) और व्यावसायिक	21.54	21.57
दि.वि.प्रा. की विभिन्न आवास योजना के आवंटियों से अग्रिम	192..30	79.02
आवंटितियों से अग्रिम–पुनर्वास मंत्रालय भूमि	0.62	0.62
ग. प्रावधान		
जमा राशि पर उपार्जित ब्याज	6.57	5.52
नजूल –II को देय ब्याज	148.76	--
घ. सांविधिक देयताएँ		
अतिदेय	--	--
अन्य	23.49	20.81
कुल	4387.20	1392.32

अनुसूची–डी

सामान्य विकास खाता

31.03.2018 का स्थायी संपत्तियों का विवरण

(राशि करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक	
	01.04.2017 को सकल लागत	परिवर्धन	बिक्री/समायोजन	31.03.2018 को योग	31.03.2017 तक	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	बिक्री	पूर्व अवधि समायोजन	31.03.2018 तक	31.03.2018 को डब्ल्यू.डी.वी.	31.03.2017 को डब्ल्यू.डी.वी.
मूर्त सम्पत्तियाँ											
भूमि	24.72	–	–	24.72	–	–	–	–	–	24.72	24.72
कार्यालय भवन, 1 स्टोर एवं गोदाम	43.98	–	–	43.98	32.24	1.17	–	–	0.00	10.57	11.74
2 किराये पर सम्पत्तियाँ	44.65	–	–	44.65	36.42	0.82	–	–	37.25	7.40	8.22
समाज सदन/पिकनिक हट्स/पर्यटन परिसर	50.19	–	–	50.19	13.16	3.70	–	–	16.86	33.33	37.04
स्टाफ क्वार्टर	133.97	–	–	133.97	26.26	5.39	–	–	31.65	102.32	107.70
मोटर वाहन	7.34	0.87	0.56	7.65	5.31	0.38	0.46	–	5.23	2.42	2.02
कार्यालय फर्नीचर एवं फिटिंग	12.03	0.05	–	12.08	5.61	0.63	–	–	6.43	5.65	6.22
अन्य कार्यालय उपस्कर	4.29	0.02	–	4.31	3.28	0.15	–	–	3.43	0.87	1.01
विद्युत स्थापन एवं उपस्कर	8.52	0.24	–	8.75	7.30	0.21	–	-	7.51	1.24	1.22
संयत्र एवं मशीनरी एवं अन्य उपस्कर	0.40	–	–	0.40	0.37	0.00	–	-	0.38	0.03	0.03
प्रिंटिंग प्रेस उपस्कर	1.42	–	–	1.42	1.10	0.05	–	-	1.15	0.27	0.32
कम्प्यूटर	27.34	0.94	-	28.27	25.21	1.21	–	-	26.42	1.85	2.13
योग	358.85	2.12	0.56	360.39	156.46	13.71	0.46	-	136.31	190.67	202.37
पिछले वर्ष का योग	350.13	10.31	1.59	358.85	141.31	14.84	1.59	(1.91)	156.47	202.37	
प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य											
समाज सदन	3.62	0.66	0.67	3.60	-	-	–	-	-	3.60	3.62
पिछले वर्ष का योग	9.53	2.14	8.05	3.62	-	-	–	-	-	3.62	

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य विकास खाता
31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र के भाग की अनुसूची

(राशि करोड़ में)

विवरण	31.3.2018 को		31.3.2017 को	
अनुसूची ई				
निर्धारित /अक्षय निधियों का निवेश				
(क) सरकारी प्रतिभूतियाँ				
(i) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ				
सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा निधि	137.00		137.00	
छुट्टी नकदीकरण निधि	153.00		153.00	
सामान्य भविष्य निधि	692.40	982.40	696.00	986.00
(ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ				
सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा निधि	47.50		47.50	
छुट्टी नकदीकरण निधि	10.00		10.00	
शहरी विकास निधि	80.00		—	
सामान्य भविष्य निधि	249.30	386.80	259.20	316.70
(ख)ऋण पत्र एवं बॉण्ड				
सामान्य भविष्य निधि	246.30		307.80	
छुट्टी नकदीकरण निधि	106.40		106.40	
सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा निधि	155.00	507.70	155.00	569.20
(ग) बीमा कम्पनियों के पास जमा राशि				
छुट्टी नकदीकरण निधि	137.00		126.63	
सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा निधि	77.86	214.86	71.81	198.44
(घ) म्यूचुअल फण्ड				
सामान्य भविष्य निधि	178.50		190.50	
छुट्टी नकदीकरण निधि	96.25		96.25	
सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा निधि	117.21	391.96	113.91	400.66
(ङ) व्यावसायिक पत्र				
छुट्टी नकदीकरण निधि	—		3.25	
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा निधि	—	—	9.35	12.60
(च) सावधिक जमा राशियों में				
शहरी विकास निधि	4,789.49		4025.99	
कर्मचारी हित निधि	0.10		0.60	
सिविल कार्य रखरखाव निधि	443.00		245.00	
विद्युत कार्य रखरखाव निधि	45.00		—	
यमुना प्रदूषण जुर्माना निधि	5.23		5.00	
सीरी फोर्ट वन क्षेत्र का पुनरूद्धार	1.07		1.00	
सामान्य भविष्य निधि	45.37	5329.26	45.37	4322.96

(छ) बचत बैंक खातों में				
शहरी विकास निधि	79.91		614.42	
सामान्य भविष्य निधि	34.73		30.90	
छुट्टी नकदीकरण निधि	14.17		27.41	
सीरीफोर्ट वन क्षेत्र का पुनरूद्धार	0.01		0.01	
कर्मचारी हित निधि	0.16		0.17	
यमुना प्रदूषण जुर्माना निधि	0.23		0.07	
सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा निधि	19.69	148.90	45.52	718.50
(ज) निवेश पर उपार्जित ब्याज				
शहरी विकास निधि	191.37		181.35	
छुट्टी नकदीकरण निधि	10.41		9.54	
सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा निधि	10.23		8.07	
सिविल कार्य रखरखाव निधि	21.65		15.09	
विद्युत कार्य रखरखाव निधि	1.81		—	
सीरी फोर्ट वन क्षेत्र का पुनरूद्धार	0.02		0.02	
यमुना प्रदूषण जुर्माना निधि	0.30		0.29	
कर्मचारी हित निधि	0.02		0.05	
सामान्य भविष्य निधि	37.40	273.21	37.24	251.65
कुल		**8235.10**		**7776.72**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य विकास खाता
31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूची

(राशि करोड़ में)

विवरण	31.3.2018 को		31.3.2017 को	
अनुसूची –एफ				
क. वर्तमान परिसम्पत्तियाँ				
1. माल सूची				
भण्डार	5.16		6.59	
व्यापार में स्टॉक				
भूमि–अविकसित भूमि	19.07		19.07	
कार्य प्रगति पर है				
भूमि–विकासाधीन	1.32		1.32	
आवास–निर्माणाधीन	6,441.43		3,959.19	
व्यावसायिक संपदा–निर्माणाधीन	14.81		16.26	
तैयार स्टॉक				
विकसित भूमि	107.99		107.99	
आवास निर्मित	2,782.56		2,831.32	
व्यावसायिक संपदा–निर्मित	505.10		506.18	
राष्ट्रमण्डल खेल संपत्तियाँ–फ्लैट–फर्नीचर फिटिंग्स (आबंटितियों से फर्नीचर आदि हेतु कुल वसूलियां)	467.55	10,344.99	480.27	7,928.19
2. विविध देनदार*		503.32		542.01
3. नकद और बैंक में शेष				
उपलब्ध नकद राशि	0.03		0.07	
बैंक में शेष राशि–अनुसूचित बैंकों में				
बचत बैंक खातों में	529.80		1,544.20	
ट्रांजिट में प्रेषित राशि	0.41		27.11	
	530.24		1,571.38	
घटायें: नजूल I व II के लेनदेन से संबंधित शेष राशि	-432.56		-1,544.20	
	97.68		27.18	
जमा खाते में–सामान्य निवेश	1.15	98.83	283.83	311.01
बैंक में शेष राशि–अनुसूचित बैंकों में निर्धारित निधि के लिए				
आकस्मिक आरक्षी निधि	1.02		3.17	
ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षी निधि	2.69	3.71	0.67	3.84

4. आरक्षी फण्ड आरक्षी निवेश				
सावधि जमा–आकस्मिक आरक्षी निधि	1,102.00		1,024.00	
सावधि जमा–ई.डब्ल्यू.एस आवास आरक्षी निधि	863.00	1,965.00	975.00	1,999.00
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियाँ				
1. ऋण				
(क) स्टाफ	1.48		1.73	
(ख) भावी किराया खरीद किश्तें	74.18		99.27	
घटायें: भविष्य का ब्याज	-30.98	44.68	-34.94	
	43.20		64.34	66.06
2. नकद में या किसी वस्तु के रूप में या प्राप्त/समायोजित की जाने वाली कीमत के रूप में वसूली की जाने योग्य अग्रिम राशि				
ठेकेदारों की अग्रिम राशि	368.90		506.69	
अग्रिम–ई.डब्ल्यू.एस. योजनाएं	93.84		90.41	
निक्षेप कार्य	97.18		87.71	
इनपुट वेट वसूली योग्य	0.01		0.01	
पुर्नभुगतान योग्य वैट	0.09		0.09	
प्राप्त होने योग्य आयकर वापसी	76.43		69.39	
पेंशन निधि में वसूली/समायोजन योग्य राशि	-		194.72	
उपदान निधि ट्रस्ट के लिए भविष्य में समायोजन योग्य अंशदान	87.79		46.15	
आयकर प्राधिकारी के पास जमा	1,646.15		735.57	
नजूल I से वसूली योग्य	225.86		214.68	
सेवा कर से प्राधिकरण	23.86		23.86	
निगम कर प्राधिकरण से अग्रिम	195.86		195.86	
अन्य विविध अग्रिम/वसूली योग्य राशि	31.59	2,847.56	17.62	2,182.76
3. सामान्य निवेश पर उपार्जित ब्याज		0.08		21.21
4. आरक्षी फण्ड निवेश पर उपार्जित ब्याज		78.82		98.99
5. बचत बैंक ब्याज पर उपार्जित ब्याज		2.46		1.81
6. ठेकेदार अग्रिम पर उपार्जित ब्याज		21.13		44.80
कुल		**15,910.58**		**13,199.68**

* विविध देनदार कब्जा–पत्र जारी होने पर निपटान मूल्य के प्रति समायोजन योग्य क्रेडिट में आबंटिती शेष का निवल है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य विकास खाता
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाते के भाग की अनुसूची

(राशि करोड़ में)

विवरण	31.3.2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31.3.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
अनुसूची –जी				
बिक्री/सेवाओं से आय				
भूमि की बिक्री से प्राशुल्क		0.04		0.05
आवासों की बिक्री		144.44		408.35
राष्ट्रमण्डल खेल फ्लैटों की बिक्री		36.55		37.31
दुकानों की बिक्री		1.82		6.73
लाइसेंस शुल्क		60.81		55.11
किराया खरीद किश्तों पर ब्याज		6.00		11.29
कुल		249.66		518.84
अनुसूची –एच				
निवेश एवं बैंक खातों से आय				
सामान्य निवेश से आय		2.40		56.87
बचत बैंक ब्याज–जीडीए		96.64		41.87
निर्धारित एवं आरक्षी निधि से आय				
ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षी निधि		62.48		77.84
आकस्मिक आरक्षी निधि		70.11		76.74
सीरी फोर्ट वन क्षेत्र का पुनरूद्धार		0.07		0.02
सिविल कार्य रखरखाव निधि स्कीम 2010 से आगे	24.86		35.11	
शहरी विकास निधि	320.46		341.26	
सामान्य भविष्य निधि	115.51		118.21	
छुट्‌टी नकदीकरण निधि	36.05		34.61	
सेवा–निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा निधि	39.62		34.86	
विद्युत रख–रखाव निधि	1.81		2.66	
यमुना प्रदूषण जुर्माना निधि	0.40		0.31	
कर्मचारी हित निधि	0.02		0.09	
कुल	**538.73**		**567.11**	
घटाएँ: निर्धारित निधि एवं आरक्षी निधि लेखा से अंतरित	538.73	–	567.11	
कुल		**231.70**		**253.34**
अनुसूची – आई				
अन्य आय				
भू–भाटक		3.38		8.58
सेवा प्रभार		1.00		1.51
भवन नक्शा शुल्क		58.26		7.63
अन्य आवास प्राप्तियाँ		12.09		18.85
अन्य राजस्व		140.79		204.19
कुल		**215.52**		**240.76**

(राशि करोड़ में)

अनुसूची – जे					
स्टॉक एवं निर्माण कार्यों में वृद्धि					
अंतशेष – स्टॉक एवं निर्माण कार्य					
भण्डार		5.16		6.59	
व्यापार में स्टॉक					
भूमि–अविकसित भूमि		19.07		19.07	
कार्य प्रगति पर					
भूमि–विकासाधीन		1.32		1.32	
आवास–निर्माणाधीन		6,441.43		3,959.19	
व्यावसायिक संपदा–निर्माणाधीन		14.81		16.26	
तैयार स्टॉक					
विकसित भूमि		107.99		107.99	
आवास – निर्मित		2,782.56		2,831.32	
व्यावसायिक संपदा–निर्मित		505.10		506.18	
राष्ट्रमण्डल खेल फ्लैट		467.55	10,344.99	480.27	7,928.19
आरंभिक – स्टॉक एवं निर्माण कार्य					
भण्डार		6.59		8.88	
व्यापार में स्टॉक					
भूमि–अविकसित भूमि		19.07		19.07	
कार्य प्रगति पर					
भूमि–विकासाधीन		1.32		1.32	
आवास–निर्माणाधीन	3,959.19				
घटाएं : पूर्व अवधि मदें	–10.47	3,948.72		2,524.24	
व्यावसायिक संपदा–निर्माणाधीन	16.26				
घटाएं : पूर्व अवधि मदें	–3.88	12.38		14.34	
तैयार स्टॉक					
विकसित भूमि		107.99		107.99	
आवास – निर्मित	2,831.32				
जोड़ें : पूर्व अवधि मदें	6.27	2,837.59		3,210.76	
व्यावसायिक संपदा–निर्मित		506.18		547.89	
राष्ट्रमण्डल खेल फ्लैट	480.27	480.27	7,920.11	493.37	6,927.86
स्टॉक एवं निर्माण कार्य में वृद्धि/(कमी)			2,424.88		1,000.33

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सामान्य विकास खाता

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाते के भाग की अनुसूची

(राशि करोड़ में)

विवरण	31.3.2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31.3.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
अनुसूची–के				
संस्थापना				
वेतन एवं भत्ते	414.00			455.62
यात्रा एवं वाहन भत्ते	5.40			4.84
चिकित्सा व्यय	20.13			18.31
अनुग्रह राशि	0.06			3.74
ग्रेच्युटी निधि में नियोक्ता का अंशदान	19.21			160.80
पेंशन निधि में नियोक्ता का अंशदान	486.87			29.23
सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा निधि में अंशदान	–15.57			51.44
छुट्टी नकदीकरण निधि में अंशदान	–27.60			64.20
नई पेंशन योजना में अंशदान	3.93			3.60
कर्मचारी हित निधि में अंशदान	1.98			1.60
प्रशासन				
शुल्क एवं मानदेय	14.49			2.93
एंटरटेनमेंट	0.58			0.67
विधि प्रभार	5.55			5.80
वाहनों का परिचालन एवं रखरखाव	3.87			3.52
मरम्मत एवं रखरखाव – अन्य	5.01			2.51
मुद्रण लेखन सामग्री एवं विज्ञापन	25.10			14.56
दरें एवं कर	2.14			5.77
टेलीफोन	2.43			2.44
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.05			–
अन्य विविध व्यय	70.16			25.84
कुल		**1,037.79**		**857.42**
घटाएं : निर्माण कार्य एवं अन्य खातों से वसूली				
कार्य	54.44		58.30	
दिल्ली मुख्य योजना	1.56		1.65	
नजूल–I	6.22		6.62	
नजूल–II	413.48	475.70	402.65	469.22
		562.09		**388.20**

अनुसूची एल				
पूर्व अवधि एवं असाधारण मदें				
पूर्व अवधि मदें				
पूर्व अवधि आय				
1) आवास –निर्मित	6.27		7.15	
2) आवासों का विक्रय	52.67		–18.08	
3) अन्य	–77.58	–18.64	–	–10.93
घटाएं : पूर्व अवधि व्यय	–			
1) प्रगतिधीन कार्य				
– आवास और व्यावसायिक संपदा	14.35		191.87	
2) विकास एवं निर्माण व्यय	–		–110.59	
3) नजूल II को निवेश	40.51		–	
4) अन्य	1.25	56.11	4.67	85.95
		–74.75		–96.88
असाधारण मदें		–		–
कुल		–74.75		–96.88

दिल्ली विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2018 को नकद एवं बैंक के अंत शेष को दर्शाने वाला विवरण

अनुसूची एम (राशि करोड़ में)

विभाग	नकद	चैक जारी किन्तु 31.3.2018 तक बैंक खाते में डेबिट नहीं किया गया न भुनाए गए चैक	प्राधिकरण द्वारा चैक प्राप्त हुए और लेखा में रखे गए परंतु बैंक द्वारा 31.3. 2018 को क्रेडिट नहीं किए गए ।	बैंक द्वारा डेबिट कर दिया गया किन्तु 31.3.2018 तक कैश बुक में नहीं रखा गया ।	बैंक द्वारा क्रेडिट कर दिया गया किन्तु 31.3. 2018 तक कैश बुक में नहीं रखा गया ।	31.3.2018 को रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि	31.3. 2018 को बैंक विवरण के अनुसार शेष राशि
1	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
केन्द्रीय लेखा इकाई पूर्वी जोन	0.00	5.75	0.01	0.03	0.03	22.85	28.59
केन्द्रीय लेखा इकाई द्वारका	0	6.50	0.01	0.18	0.07	12.60	18.98
केन्द्रीय लेखा इकाई रोहिणी	0.00	3.52	0.06	0.29	0.01	29.94	33.11
केन्द्रीय लेखा इकाई उत्तरी जोन	—	21.36	0.34	0.10	0.36	60.46	81.74
केन्द्रीय लेखा इकाई दक्षिणी जोन	0.02	20.57	0.48	0.00	0.07	35.68	55.84
केन्द्रीय लेखा इकाई राष्ट्रमण्डल खेल	0.00	0.54	0.01	0.00	—	2.03	2.56
केन्द्रीय लेखा इकाई फ्लाई ओवर	0.00	0.59	—	0.00	—	0.96	1.56
लेखाधिकारी खेल	0.00	—	—	0.00	—	9.42	9.42
पी.ए.ओ. इंजी.	0.00	0.43	—	0.03	—	10.62	11.03
भीकाजी कामा	—	—	—	—	—	0.00	0.00
केन्द्रीय लेखा इकाई एम.पी.आर.	0.00	14.34	—	—	—	9.16	23.50
यू.टी.टी.आई. पी.	0.00	0.00	—	—	0.00	0.24	0.24

ई.सी (यूटीपैक)							
लेखाधिकारी (चिकित्सा)	—	1.59	—	0.03	—	0.47	2.03
रोकड़ (आवास)	—	—	—	—	—	37.48	37.48
कर्मचारी हितकारी निधि	—	—	—	—	—	0.16	0.16
रोकड़ (मुख्य)	—	3.05	1.32	22.51	6.87	297.90	283.98
		—	—	—	—	—	—
निर्धारित निधि	—	—	—	—	—	—	—
सामान्य भविष्य निधि	—	—	2.91	1.40	0.51	34.73	30.92
शहरी विकास निधि	—	—	0.00	0.61	0.01	79.91	79.32
आकस्मिकता निधि	—	—	—	0.00	—	1.02	1.02
ई.डब्ल्यू.एस. निधि	—	—	—	—	—	2.69	2.69
पी.आर.एम.एस.	—	—	—	—	—	19.69	19.69
यमुना प्रदूषण जुर्माना खाता	—	—	—	—	—	0.23	0.23
सीरीफोर्ट वन क्षेत्र का पुनरूद्धार	—	—	—	—	—	0.01	0.01
छुट्टी नकदीकरण निधि	—	—	—	—	—	14.17	14.17
कुल	**0.03**	**78.25**	**5.15**	**25.18**	**7.93**	**682.41**	**738.27**
ट्रांजिट में प्रेषित धन						0.41	

कॉलम 2– नकद राशि	0.03
कॉलम 7– रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष	682.41
कॉलम 7– ट्रांजिट में प्रेषित धन	0.41
कुल	682.85
घटायें:	
नजूल–I लेनदेन की शेष राशि	2.45
नजूल–II लेनदेन की शेष राशि	430.10
	250.30

अनुसूची – एन

वार्षिक खाते 2017–18

दिल्ली विकास प्राधिकरण

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. प्रस्तुतिकरण का आधार

प्राधिकरण के खाते तीन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्रबंधित किए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक शीर्ष का पृथक लेखांकन महत्त्व होता है । कानूनों, विनियमों अथवा अन्य प्रतिबंधों के अनुसार विशिष्ट कार्यकलापों को चलाने के लिए प्रत्येक लेखा शीर्ष उसके तहत आबंटित सरकारी संसाधनों को दर्शाते हैं।

तीन मुख्य शीर्षों –नजूल–I, नजूल–II और सामान्य विकास खाते के अंतर्गत खातों को तैयार किया जाता है। नजूल– I पुरानी नजूल सम्पदाओं के लेन–देन से संबंधित है, जो नजूल करार, 1937 के अंतर्गत दिल्ली सुधार न्यास को सौंपा गया था, जिसे दिल्ली सुधार न्यास के उत्तराधिकारी के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ले लिया। नजूल– II बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण, विकास और निपटान कार्यकलापों से संबंधित है । सामान्य विकास खाता, प्राधिकरण द्वारा अपने स्वयं के खातों से किए जाने वाले सभी विकास, निर्माण और अन्य कार्यकलापों और प्राधिकरण को सौंपे गए अन्य कार्यकलापों से संबंधित है ।

2. खाते तैयार करने का आधार

वर्ष के दौरान सभी लेन–देन, प्राप्ति और भुगतान के आधार पर दर्ज (रिकार्ड) किए जाते हैं। प्राप्ति योग्य खातों, देय, स्थायी परिसम्पत्तियों, मूल्य–ह्रास आदि के लिए समुचित प्रविष्टियाँ शामिल करके, वर्ष के अंत में खातों को आय एवं व्यय के आधार पर बदला जाता है।

3. वित्तीय विवरण का प्रारूप

सामान्य विकास खाते का वित्तीय विवरण, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के लिए निर्धारित लेखों के सामान्य प्रारूप में तैयार किया जाता है। नजूल– I और नजूल– II का वित्तीय विवरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण (बजट और लेखा) नियम, 1982 में निर्धारित लेखा–प्रारूप में तैयार किया जाता है, क्योंकि वह सरकारी खाते के लेन–देन को दर्शाता है।

4. स्थायी परिसम्पत्तियाँ

(क) स्थायी परिसम्पत्तियां, लागत के रूप में दर्शायी जाती हैं जिनमें से मूल्यह्रास घटाया जाता है। स्वः निर्मित परिसम्पत्तियों के मामले में, लागत में प्रशासनिक एवं स्थापना प्रभारों का उपयुक्त भाग शामिल होता है।

(ख) स्थायी परिसम्पत्तियों में कुछ ऐसे भवन भी शामिल हैं, जो प्राधिकरण की भूमि पर निर्मित नहीं है, परन्तु इन भवनों का प्रयोग प्राधिकरण के कार्यकलापों के लिए किया जा रहा है।

(ग) कार्यालय भवन, स्टाफ क्वार्टरों, भण्डारों आदि के लिए प्रयुक्त भूमि का मूल्याँकन ऐसे हस्तांतरण की तिथि को भूमि की निपटान दरों के आधार पर किया जाता है ।

5. मूल्य ह्रास

मूल्य ह्रास, आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित दरों पर दिया जाता है और यदि किसी परिसंपत्ति का उपयोग, प्राधिकरण के कार्यकलापों हेतु वित्त वर्ष में एक सौ अस्सी दिनों से कम अवधि के लिए किया जाता है, तब इस प्रकार की परिसंपत्ति के संबंध में मूल्य ह्रास से संबंधित कटौती, संबंधित परिसंपत्ति के लिए निर्धारित प्रतिशतता पर परिकलित राशि के पचास प्रतिशत तक सीमित रखी जाएगी।

6. माल सूची :-

माल सूची का मूल्य निर्धारण कम लागत अथवा निवल वसूली योग्य कीमत पर किया जाता है।

(i) विभिन्न प्रकार की माल-सूची के संबंध में लागत निम्नानुसार परिकलित की जाती है :-

(क) खाली भूमिः – अधिग्रहण/क्रय लागत पर जिसमें भूमि के अधिग्रहण तथा कब्जा लेने से संबंधित आकस्मिक व्यय और मुआवजा शामिल हैं ।

ख) निर्माणाधीन-कार्य – प्रत्यक्ष लागत और ऊपरी व्ययों के लिए समुचित भाग पर ।

(ग) तैयार स्टॉक – प्रत्यक्ष लागत और ऊपरी व्ययों के समुचित भाग पर आवासीय स्टॉक सहित निर्मित इकाइयाँ ।

अधिग्रहण की लागत अथवा अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक व्यय, पर बाह्य स्रोतों से अधिग्रहीत/खरीदी गई निर्मित इकाइयां ।

बिक्री के लिए विकसित भूमि सहित अन्य स्टॉक के मामले में अधिग्रहण और विकास की लागत और उस पर आकस्मिक लागत पर ।

माल सूची की लागत विशिष्ट पहचान पद्धति द्वारा निर्धारित की जाती है :-

(ii) निवल वसूली योग्य मूल्य सामान्यतः वह अनुमानित विक्रय मूल्य है, जिसमें से कार्य समापन की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत को कम किया जाता है।

7. राजस्व निर्धारण

राजस्व की पहचान संग्रहण (एक्रुअल) आधार पर की जाती है, केवल उन मामलों को छोड़ कर जिनमें वसूली की अनिश्चितता और राजस्व की मात्रा के कारण अन्यथा उल्लिखित हो।

क). भूमि, बनी हुई/निर्मित इकाइयों जैसे आवासों, कार्यालयों, दुकानों आदि के निपटान से प्राप्त प्राशुल्क और बिक्री मूल्य की पहचान कब्जा–पत्र जारी करने के लिए पूर्ण संग्रहण (एक्रुअल) पद्धति का प्रयोग करके की जाती है ।

ख). किराया खरीद किश्तों में ब्याज की राशि का निर्धारण बकाया मूल भाग के अनुपात में राजस्व के रूप में किया जाता है ।

ग). किराये से प्राप्त आय का निर्धारण उस अवधि, जिससे यह आय संबंधित है, के संदर्भ में संग्रहण (एक्रुअल) आधार पर किया जाता है।

घ). भू–भाटक और सेवा–प्रभारों की गणना नकद आधार पर आय पर की जाती है। भू–भाटक दिल्ली प्रशासन को देय निवल भाग पर निर्धारित किया जाता है ।

ङ). जुर्माना प्रभार, संघटन शुल्क, क्षति और देरी से प्राप्त भुगतान पर ब्याज की पहचान प्राप्ति आधार पर की जाती है ।

च). निवेश पर ब्याज की पहचान संग्रहण आधार पर की जाती है ।

छ). आयकर वापसी पर ब्याज की पहचान प्राप्ति के आधार पर की जाती है ।

8. भण्डार

निर्माण कार्य के लिए उपयोग की गयी भण्डार सामग्री को पूर्व–निर्धारित निर्गमन–दरों पर संबंधित निर्माण–कार्यों से प्रभारित किया जाता है । जारी दर और क्रय मूल्य के अन्तर को विविध व्यय/आय में समायोजित किया जाता है।

9. आबंटितियों को ब्याज/मुआवजे का भुगतान

क). विभिन्न योजनाओं के पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त पंजीकरण राशि पर ब्याज संग्रहण आधार पर दिया जाता है ।

ख). स्व-वित्त योजना के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैटों के पूरा होने एवं आबंटन में देरी के लिए मुआवजा भुगतान/समायोजन में दर्ज किया जाता है ।

10. कमी प्रभार

नगर निगम प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों अथवा निगम को भुगतान किए गए कमी प्रभार को स्वीकार किए गए और भुगतान किए गए प्रभारों के आधार पर परिकलित किया जाता है ।

11. नजूल खातों से की गई वसूलियाँ/भुगतान

क. संस्थापना एवं सामान्य प्रशासनिक लागत की वसूलीः

संस्थापना एवं सामान्य प्रशासनिक लागतों को सामान्य विकास खाते से प्रभारित किया जाता है और नजूल– I एवं नजूल– II खातों से संबंधित व्ययों का समुचित भाग नजूल खातों के अंतर्गत चल रही योजनाओं, परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों पर किए जाने वाले व्यय/परिव्यय के अनुपात में आबंटित और वसूल किया जाता है ।

ख. नजूल–II भूमि पर चल रही योजनाओं हेतु भूमि प्राशुल्क (लैंड प्रीमिया)

सामान्य विकास खाते के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए समुचित नजूल–II भूमि के संबंध में भूमि प्राशुल्क को व्यय के रूप में परियोजना का निर्माण कार्य शुरु होने की तिथि को लागू नजूल नियमों के अन्तर्गत यथा निर्धारित पूर्व निर्धारित दरों (पीडीआर) पर भूमि लागत के लिए आस्थगित देयता खाते में क्रेडिट करके किया जाता है। यह आस्थगित देयता, परियोजना के पूरा होने तक वर्ष के अंत में लागू प्रचलित पूर्व निर्धारित दरों (पीडीआर) के आधार पर अद्यतन की जा रही है। आस्थगित देयता खाते को परियोजना के कार्य समापन पर उस समय के नजूल नियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित पूर्व निर्धारित दरों पर नजूल–II खाते में हस्तांतरित किया जा रहा है।

ग. नजूल सम्पत्तियों के उपयोग के लिए लाइसेंस शुल्क/सेवा प्रभार

नजूल सम्पत्तियों जैसे स्टाफ क्वार्टर आदि के उपयोग के लिए लाइसेंस शुल्क/सेवा प्रभार को लागू नियमों के अनुसार ऐसी सरकारी अधिसूचित दरों पर नजूल खाते में जमा किया जाता है ।

12. क्षतिपूर्ति / माध्यस्थम अवार्ड

अधिग्रहीत भूमि के संबंध में दी गई अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के भुगतान और माध्यस्थम अवॉर्ड को भुगतान–आधार पर दर्ज किया जाता है ।

13. विनिर्दिष्ट देयताओं / निधियों के अंतर्गत वसूलियाँ

विनिर्दिष्ट देयताओं / निधियों जैसे– शेयर राशि, अग्नि जोखिम बीमा इत्यादि के अंतर्गत वसूलियों को उस उद्देश्य के लिए सृजित पृथक देयता / आरक्षित खाते में अलग से जमा किया जाता है और उसके अंतर्गत निकले व्यय और भुगतान को देयता / आरक्षित खाते में नामे (डेबिट) करके रिकार्ड किया जाता है।

14. कर्मचारी योजनाएँ और सेवा–निवृत्ति लाभ

क. सामान्य भविष्य निधि योजना के संबंध में कर्मचारियों के अंशदान को सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाता है और निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेशित किया जाता है। संचित अंशदान, भुगतान, अग्रिम और निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज को निधि-शेष में समायोजित किया जाता है ।

ख. ग्रेच्युटी और पेंशन के रूप में अंशदान की गयी राशि का वर्ष के अंत में बीमांकक (एक्चुरियल) मूल्यांकन आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी के भुगतान को पूरा करने के लिए की जाती है । दिल्ली विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि ट्रस्ट और दिल्ली विकास प्राधिकरण ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट के पृथक वित्तीय विवरण तैयार कर लिए गए हैं । अनुमोदित प्रतिभूतियों में संबंधित ट्रस्ट फंड से निवेश किया जाता है। पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान तथा फंड के निवेशों पर अर्जित ब्याज का समायोजन संबंधित ट्रस्ट फंड खातों (अकाउंट्स) में किया जाता है ।

ग. वर्ष के अंत में अवकाश नकदीकरण राशि के लिए देयता बीमांकक (एक्चुरियल) मूल्यांकन आधार पर प्रदान की जाती है ।

घ. वर्ष के अंत में सेवा–निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभों की देयता को बीमांकक (एक्चुरियल) मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है ।

15. निर्धारित निधि

प्राधिकरण को सौंपी गयी निधि अथवा अनुदान या सहायता के रूप में प्राप्त राशि अथवा प्राधिकरण द्वारा रखी गयी राशियों का विशिष्ट अथवा निर्धारित उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया

जाता है और पृथक शीर्षों में लेखाबद्ध किया जाता है तथा इस राशि के व्यय/उपयोग को उक्त खाते में समायोजित किया जाता है। निर्धारित निधियों से संबंधित निवेश को अंकित मूल्य पर ले जाया जाता है। दि.वि.प्रा. द्वारा सामान्य विकास खाते के रूप में प्रबंधित विभिन्न निधियां निम्नानुसार हैं:–

क. शहरी विकास निधि:

प्राधिकरण, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित शहरी विकास फंड का अभिरक्षक है और यह फंड प्राधिकरण से संबंधित नहीं होता तथा शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार फंड से किसी भी प्रकार के ऋण/अनुदान वितरित किए जाते हैं। सम्पत्तियों को लीज–होल्ड से फ्री–होल्ड में बदलने पर वसूल किए गए प्रभारों को इस खाते में जमा (क्रेडिट) किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी के निदेशानुसार, विकास परियोजनाओं हेतु इस फंड से दिए गए ऋणों और अनुदानों को निधि लेखा में प्रभारित किया जाता है। निधि लेखा (फंड एकाउन्ट) से दिए गए ऋणों पर प्राप्त होने वाले ब्याज को फंड एकाउन्ट में जमा किया जाता है।

ख. व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी निधि:

दुर्घटना मृत्यु के मामले में मुआवजे के भुगतान के लिए कर्मचारियों से वसूली गयी राशि को इस खाते में रखा जाता है ।

ग. सामान्य भविष्य निधि:

भविष्य निधि अंशदान को इस निधि खाते में रखा जाता है।

घ. हितकारी निधि:

सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर प्रतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए कर्मचारियों से वसूल की गयी राशि को इस खाते में रखा जाता है ।

ङ. सिविल रख–रखाव कार्यनिधि आवासीय योजना, 2010 से आगे की योजनाएँ:

इसमें कॉलोनियों के भविष्य में रखरखाव के लिए आवासीय योजना, 2010 से आगे की योजनाओं के आबंटितियों से वनटाइम (एकबारगी) रखरखाव प्रभारों की वसूली शामिल है।

च. विद्युत कार्य रखरखाव निधिः आवासीय योजना-2014 से आगे की योजनाएँ:

इसमें आवासीय योजना-2014 से आगे की योजनाओं के आबंटितियों से भविष्य में कालोनियों में होने वाले विद्युत रखरखाव के लिए वसूले गए एककालिक विद्युत कार्य रखरखाव प्रभार शामिल है।

छ. यमुना प्रदूषण दण्ड निधि:-

इसमें यमुना नदी में अथवा इसके किनारे पर कूड़ा डालने के लिए दण्ड और मुआवजे द्वारा जमा की गई राशि शामिल है जिसका उपयोग माननीय राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल के दिशा निर्देशों की अनुपालना में भविष्य में यमुना नदी की सफाई हेतु परियोजनाओं के निष्पादन में किया जाना है।

16. विशेष आरक्षित निधियाँ

क. ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि

इस निधि में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवासों के निर्माण पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए अधिशेष राशि रखी जाती है ।

ख. आवास अग्नि जोखिम आरक्षित निधि

इस निधि में किराया–खरीद आधार वाली सम्पत्तियों के मामले में सम्पत्ति को होने वाली किसी हानि अथवा क्षति को पूरा करने के लिए आबंटितियों से वसूल किया गया विशेष प्रभार रखा जाता है ।

ग. आकस्मिकता आरक्षित निधि

इस निधि में, भावी आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए राशि रखी जाती है ।

ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-
वरिष्ठ लेखाधिकारी लेखा (मुख्य)	उपमुख्य लेखाधिकारी (लेखा)	निदेशक (वित्त)/परामर्शक	मुख्य लेखाधिकारी

दिनांक:
16.07.2018
स्थान: नई दिल्ली

अनुसूची 'ओ'

दिल्ली विकास प्राधिकरण

वार्षिक खाता 2017–18

लेखा पर टिप्पणियाँ

1. प्रमुख संविदाओं के संबंध में असमाप्त पूंजीगत प्रतिबद्धता–शून्य (पिछले वर्ष–शून्य करोड रूपये)

2. आकस्मिक देयताएँ–

क. 3133.93 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2922.25 करोड़ रुपये) तक के ऋण संबंधी मामले न्यायालयों में लम्बित होने के कारण दि.वि.प्रा. के विरुद्ध दावे अभिस्वीकृत नहीं हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, 31/03/2018 तक सामान्य विकास लेखा (जी.डी.ए.) में दि.वि.प्रा. से संबंधित लगभग 4571 न्यायिक मामले (पिछले वर्ष 4290 न्यायिक मामले) और नजूल–I एवं नजूल–II में 15372 न्यायिक मामले (पिछले वर्ष 15224 न्यायिक मामले) विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं, इस संबंध में आकस्मिक देयताएं अभिनिश्चित नहीं है।

ख. प्राधिकरण को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए.ए. के अंतर्गत, पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 12.01.2006 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003–04 से पूर्व प्रभाव सहित, "धमार्थ संस्थान" के रूप में मान्यता दी गई है, जो सार्वजनिक सेवाओं में रहते हुए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अंतर्गत छूट के हकदार हैं। तथापि, कर निर्धारण वर्ष 2003–04 से 2015–16 के लिए आकलन में, इस अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत आकलन अधिकारी ने छूट के लाभ की अनुमति नहीं दी है और प्रबंधन की राय में प्राधिकरण की आय पर कर लगाया, हालांकि आयकर विधि में छूट के लिए प्राधिकरण उपर्युक्त धारा में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता है ।

उक्त आकलन वर्षों में 2632.63 करोड़ रुपये की मांग बनी रही, जो आयकर अपील अधिकरण (आकलन वर्ष 2003–04 और 2005–06 से 2013–14 के लिए) और आयुक्त (अपील) (आकलन वर्ष 2014–15 एवं 2015–16) के समक्ष अपील में विवादित हैं । इसके अतिरिक्त, समय सीमा (टाइम लिमिट) के मामले पर आकलन वर्ष 2005–06 से 2009–10 तक के लिए विशेष अनुमति याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखी गई । इन याचिकाओं को स्वीकृति दी गई और इसका निपटान अभी लम्बित है ।

प्राधिकरण ने कर निर्धारण अधिकारी एवं माननीय आय कर अपीलीय अधिकरण, दिल्ली द्वारा प्रदान स्थगन आदेश की आवश्यकताओं पूर्ति के लिए 2632.63 करोड़ रुपए की कुल मांग के बदले 31.03.2018 तक आयकर प्राधिकरण को, 1646.15 करोड़ रुपए (3.69 करोड़ आयकर रिफंड के समायोजन सहित) जमा किए गए। इसके अलावा, यदि उक्त कर देयता की अंततः पुष्टि हो जाती है, तो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार ब्याज राशि और दंड राशि भी ली जाएगी।

चूँकि मांग विवादाधीन है, अतः प्राधिकरण ने इन लेखों में आकलन वर्ष के लिए अपनी आय पर अथवा निर्धारण वर्ष 2003—04 और 2005—06 से 2015—16 के लिए कुल 2632.63 करोड़ रुपए की मांगों के लिए आयकर का कोई प्रावधान नहीं किया ।

इसके अतिरिक्त, व्यय के कुछ हिस्सों को अनुमति न देकर 2003—04 से 2010—11 के निर्धारण वर्षों के निर्धारणों में 296.83 करोड़ रुपए की मांग उठाई गई । जिसे आयुक्त (अपील) के अपीलीय आदेश में खारिज कर दिया गया । हालांकि इन विलोपनों (डिलिशन) के विरूद्ध आयकर विभाग ने माननीय आयकर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील की है।

ग. आयकर पोर्टल के ट्रेसिस पर टी.डी.एस. की चूक के कारण 0.23 करोड़ रु. की मांग दर्शायी गई है, जो विभाग के साथ समाधान की प्रक्रिया में है।

चूंकि प्रबंधन की राय में दि.वि.प्रा. की देयता के बारे में कोई निष्कर्ष अभी नहीं निकाला गया है, इसलिए इसके बारे में लेखा बही में किसी प्रकार का प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

घ. दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एस.डी.एम.सी.) ने अपनी तरफ से और पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ई. डी.एम.सी.) एवं उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एन.डी.एम.सी.) की तरफ से 319 सम्पत्तियों के संबंध में दिनांक 31.03.2004 तक और 24 खेल परिसरों के संबंध में 31/03/13 तक सम्पत्ति कर एवं ब्याज के रूप में 746.05 करोड़ रूपये की वसूली के लिए दिनांक 10.01.2013 को कुर्की का अधिपत्र जारी किया था। बाद में उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने भी उक्त 746.05 करोड़ रूपये की देय राशि में से अपने भाग के रूप में क्रमशः 272.16 करोड़ रूपये और 110.28 करोड़ रूपये वसूल करने के लिए दिनांक 22.03.2013 और 25.03.2013 को अलग—अलग कुर्की के अधिपत्र जारी किए । तीनों निगमों द्वारा प्राधिकरण के बैंक खातों की कुर्की द्वारा कुल 195.85 करोड़ रूपये की राशि वसूल की गई है। अन्य सम्पत्तियों पर सम्पत्ति कर के रूप में बाद में 53.75 करोड़ रूपये की मांग की गई थी। चूँकि नगर निगम दि.वि.प्रा. के इस दावे से सहमत नहीं हुए, प्राधिकरण द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट दाखिल की गई जिन्होंने सभी मांगों को खारिज कर दिया। माननीय न्यायालय के निदेशों के अनुसार प्राधिकरण ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पंजीयक के पास 50 करोड़ रुपए की बैंक प्रतिभूति जमा की है। यह मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है ।

उपर्युक्त मांग विवादित हैं और दि.वि.प्रा. द्वारा इसे ऋण के रूप में माना नहीं गया है।

इसके अतिरिक्त, एम.ओ.यू.डी. के निदेशों के अनुसार, दि.वि.प्रा. ने संपत्ति कर और सेवा प्रभारों के रूप में दि.न.नि. को 26.70 करोड़ की राशि का भुगतान किया, इस राशि में दि.वि.प्रा. द्वारा निर्मित संपत्तियों पर 5.36 करोड़ रूपये शामिल हैं और यह राशि 2004 से 2016 की अवधि के लिए जी.डी.ए. से संबंधित है तथा इसमें वर्ष 2015–16 के लिए नजूल–II की खाली भूमि पर 21.34 करोड़ रूपये की राशि शामिल है। इस राशि को संबंधित खातों में प्रभारित किया जाता है।

विभाग ने वर्ष 2017-18 के लिए संपत्ति कर एवं सेवा प्रभारों के रुप में दिल्ली नगर निगम को 13.70 करोड़ रु. का भुगतान किया है। इस राशि में नजूल खाते की खाली पड़ी भूमि पर 9.55 करोड़ रु. और दि.वि.प्रा. की निर्मित संपत्तियों में 4.15 करोड़ रु. (2.00 करोड़ की पूर्वप्रदत्त राशि सहित) शामिल हैं। इन राशियों को संबंधित खातों में प्रभारित किया जाता है।

ड. लेन–देन को सेवाकर तथा श्रम उपकर के दायरे में लाने के लिए संबंधित सांविधियों के संशोधन से पूर्व दिए गए ठेकों के अन्तर्गत सेवा कर और श्रम उपकर के दावों के बारे में कोई प्रावधान नही किया गया है ।

च. संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय ने दिनांक 29.04.2013 के अपने नोटिस द्वारा सी.ए.जी. द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर दि.वि.प्रा. में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं पर लिए गए श्रम उपकर के रूप में वर्ष 01 जनवरी, 1996 से 31 मार्च, 2013 तक की अवधि से संबंधित 25.34 करोड़ रूपये की राशि की माँग की है । दि.वि.प्रा. ने उक्त मांग के प्रति लिखित निवेदन दाखिल किया है जिस पर संयुक्त श्रम आयुक्त के समक्ष निर्णय लंबित है । इस वर्ष के दौरान, मामले की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, तद्नुसार, खातों में इसके लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है ।

छ. आयुक्त, सेवा कर, दिल्ली ने दिनांक 30.04.2013 के अपने आदेश द्वारा निर्णय दिया और अविकसित एवं विकसित नजूल–II भूमि के निपटान तथा 01–04–2005 से 31–03–2012 तक की अवधि के लिए जी डी ए, नजूल-I एवं नजूल- II के भू–भाटक पर 949.60 करोड़ रूपये के सेवा कर की माँग की तथा इसे "अचल सम्पत्तियों का किराया" मानते हुए 553.06 करोड़ रूपये के ब्याज की मांग भी की है तथा उस पर 845.95 करोड़ रूपये का जुर्माना भी लगाया है। प्राधिकरण ने उक्त आदेश को सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण में चुनौती दी है।

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर ट्रिब्यूनल ने अब निरस्त किए गए उक्त आदेशों को एक तरफ कर दिया और आदेश दिनांक 24.04.2017 द्वारा एक ताजा निर्णय के लिए मूल प्राधिकारी से फिर से मांग की है।

इसके अतिरिक्त, आयुक्त सेवा कर, दिल्ली ने अपने आदेश दिनांक 30.09.2016 द्वारा वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए अविकसित और विकसित नजूल- II भूमि के निपटान और जी डी ए, नजूल-I एवं नजूल- II भू-भाटक पर 363.98 करोड़ रु. की और मांग की है जिसे "अचल संपत्तियों का किराया" के रुप में माना गया जिसके विरुद्ध प्राधिकरण ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर ट्रिब्यूनल के समक्ष एक अपील दायर की है और स्टे के अंतर्गत वर्ष के दौरान 10 करोड़ रु. जमा करवाए हैं।

ज. राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित कई संविदाए," विभिन्न प्राधिकरणो में कई मामले की जाँच के अधीन और लंबित हैं। तथापि, किसी प्रकार की वसूली अथवा देयता के स्पष्ट निर्धारण के अभाव में इन खातों में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है ।

(i) वर्ष के दौरान, दि.वि.प्रा. ने डी. एल. एफ. होम डेवलेपर प्राइवेट लिमिटेड से 75.40 करोड़ रुपये में 772 ई. डब्ल्यू. एस. फ्लैट खरीदे हैं, हालांकि उसकी हकदारी अभी भी दि.वि.प्रा. के नाम अन्तरित की जानी है। अनुरोध की दृष्टि में स्टाम्प शुल्क माफ करने के लिए दिल्ली सरकारी में लंबित, दस्तावेजों में इसके लिए कोई देयता आरोपित नहीं की गई हैं।

3. ''दिल्ली विकास प्राधिकरण के पेंशन निधि ट्रस्ट'' और ''दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपदान निधि ट्रस्ट'' के लिए अलग–अलग वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं । इन ट्रस्टों के अंशदान को दिनांक 31.03.2018 तक की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्टों के अनुसार रिकार्ड किया गया है ।

4. **कर्मचारी लाभ :**

(i) प्राधिकरण ने दिनांक 31.03.2018 को अपनी उपदान देयता का बीमांकक मूल्यांकन 610.49 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 676.55 करोड़ रु.) करवाया है । बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए उपदान निधि के रूप में अंशदान 19.21 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 160.80 करोड़ रु.) है, जिसमें नजूल–I का अंश 0.05 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.63 करोड़ रु.) है और नजूल–II का अंश 6.68 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 73.63 करोड़ रु.) है। नजूल–I एवं नजूल–II का अंश उनसे संबंधित खातों में अंतरित कर दिया गया है ।

(ii) प्राधिकरण ने दिनांक 31.03.2018 को अपनी पेंशन देयता का बीमांकक मूल्यांकन 5901.86 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 5496.12 करोड़ रू.) करवाया है। बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय वर्ष

2017–18 के लिए पेंशन निधि के रूप में अंशदान 486.87 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 29.23 करोड़ रु.) है, जिसमें नजूल–I का अंश 1.22 करोड़ रू. (पिछले वर्ष 29.23 करोड़ रू.) और नजूल–II का अंश 169.37 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 13.38 करोड़ रू.) है । नजूल–I एवं नजूल–II का अंश वसूल कर लिया गया है और उनसे संबंधित खातों में अंतरित कर दिया गया है ।

(iii) प्राधिकरण ने दिनांक 31.03.2018 को अपनी अवकाश नकदीकरण देयता का बीमांकक मूल्यांकन 381.95 करोड रुपये (पिछले वर्ष 434.46 करोड़ रु.) करवाया है । बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए अवकाश नकदीकरण निधि के रूप में अंशदान (–)27.60 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 64.21 करोड़ रु.) है, जिसमें नजूल–I का अंश (–)0.07 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.25 करोड़ रु) है और नजूल–II का अंश (–) 9.60 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 29.40 करोड़ रु.) शामिल है । नजूल–I एवं एवं नजूल–II का अंश उनसे संबंधित खातों में अंतरित कर दिया गया है।

(iv) प्राधिकरण ने 31.03.2018 तक सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभों के लिए 497.85 करोड़ (पिछले वर्ष अनुमानतः 514.23 करोड़ रु.) की राशि की देयता का बीमांकक मूल्यांकन किया है और तदनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर नियोक्ता का अंशदान (–)15.57 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 51.44 करोड़ रु.) उपलब्ध करवाया गया, जिसमें नजूल–I का अंश (–)0.04 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 0.20 करोड़ रु.) और नजूल–II का अंश (–) 5.41 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 23.55 करोड़ रु.) शामिल है। नजूल–I और नजूल–II की अंश राशि को वसूल करके उनसे संबंधित खातों में अंतरित कर दिया गया है।

5. 30 करोड़ रूपये की पैकेज डील के अंतर्गत खरीदी गई भूमि के संबंध में भूमि के ऋणदाता के रूप में 3.82 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 3.82 करोड़ रू.) का भुगतान पुनर्वास मंत्रालय (एम.ओ.आर.) को किया जाना है । भूमि का पूरा कब्जा अभी मंत्रालय से प्राप्त किया जाना है । इसके अलावा कुछ भूमि अन्य विभागों के अधिकार में है, यद्यपि मालिकाना हक प्राधिकरण का है । प्राधिकरण को सौंपी गई भूमि के संबंध में भूमि स्वामित्व के लिए लेखा बहियों में प्रविष्टियां कर दी गई है ।

6. उचन्त खाता (सस्पेंस एकाउंट) शेष, आवास और अन्य रसीदों के संबंध में पार्टियों से सही जानकारी/वास्तविक चालानों की अनुपलब्धता के कारण 23.43 करोड़ रुपए की क्रेडिट राशि (पिछले वर्ष क्रेडिट 18.93 करोड़ रू. की राशि) बकाया, जो कि समाधान के लिए लंबित हैं ।

7. वर्ष के दौरान, फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए दिल्ली लोक निर्माण विभाग को शहरी विकास निधि से 132.52 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2.52 करोड रू.) दिए गए, दिल्ली जल बोर्ड को 37.21 करोड रुपये (पिछले वर्ष शून्य) दिए गए और एनडीएमसी को 35.89 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष शून्य) दिए गए।

8. ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षित निधि :

(i) 31.03.2018 तक ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि की कुल राशि 791.76 करोड़ रू. है, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 (2) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11(5) के प्रावधानों के अनुसार इनका निवेश किया जाता है।

(ii) 31.03.2018 को समाप्त वर्ष में आकस्मिक निधि की कुल राशि 1150.45 करोड़ रु. है। इस निधि के सापेक्ष किया गया निवेश बैंको में सावधि जमा निवेश के रुप में 1102.00 करोड़ रु., अन्य बैंक शेष राशि 1.02 करोड़ रु. और उस पर उपार्जित ब्याज है।

9. निर्धारित निधि :

(i) 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए शहरी विकास निधि की कुल राशि 5214.62 करोड़ रु. है और इस निधि में 5140.77 करोड़ रु. की परिसंपत्तियों में 4869.49 करोड़ रू. का निवेश 79.91 करोड़ रु. का बैंक जमा, 191.37 करोड़ रुपए का उपार्जित ब्याज शामिल है । परिसंपत्तियों एवं देयताओं के बीच अंतर के परिणामस्वरूप निधि में से 73.85 करोड़ रुपए की राशि का कम उपयोग हुआ, जो सामान्य विकास खाता निधि, दिल्ली विकास प्राधिकरण से वसूला जाना है। कमी को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018—2019 में पूरा किया जाएगा।

(ii) 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए सामान्य भविष्य निधि की कुल राशि 1421.01 करोड़ रुपए है और इस में प्रति 1484.00 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों में 1411.87 करोड़ रुपए का निवेश, 37.73 करोड़ रुपए का बैंक जमा, 37.40 करोड़ रुपए का उपार्जित ब्याज शामिल है । परिसंपत्तियों एवं देयताओं के बीच अंतर के परिणामस्वरूप निधि में से 62.99 करोड़ रुपए की राशि का ज्यादा उपयोग हुआ, जो सामान्य विकास खाता निधि, दिल्ली विकास प्राधिकरण को देय है ।

(iii) 31.03.2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अवकाश नकदीकरण निधि की कुल राशि 369.95 करोड़ रुपए है और इस निधि में 527.24 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों में 502.65 करोड़ रुपए का निवेश, 14.17 करोड़ रुपए की बैंक जमा, 10.41 करोड़ रुपए के निवेश पर उपार्जित ब्याज शामिल है। परिसंपत्तियों एवं देयताओं के बीच अंतर के परिणामस्वरूप निधि में से 157.29 करोड़ रुपए की राशि का ज्यादा उपयोग हुआ, जो सामान्य विकास खाता निधि, दिल्ली विकास प्राधिकरण को देय है।

(iv) 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए पी.आर.एम.एस. निधि की कुल राशि 478.01 करोड़ रुपए है और इस निधि में प्रति 564.49 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों में 534.57 करोड़ रुपए का निवेश, 19.69 करोड़ रुपए की बैंक जमा, 10.23 करोड़ रुपए का उपार्जित ब्याज शामिल है। परिसंपत्तियों एवं

देयताओं के बीच अंतर के परिणामस्वरूप निधि में से 86.48 करोड़ रुपए की राशि का ज्यादा उपयोग हुआ, जो सामान्य विकास खाता निधि, दिल्ली विकास प्राधिकरण को देय है।

(v) 31.03.2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए दि.वि.प्रा. स्टाफ हित लाभ निधि की कुल राशि 0.37 करोड़ रु. है। इस निधि में कुल 0.28 करोड़ रु. की परिसंपत्तियां हैं जिसमें 0.10 करोड़ रुपये का निवेश, 0.16 करोड़ रुपये का बैंक शेष और 0.02 करोड़ रुपये की उपार्जित ब्याज राशि शामिल है। परिसंपत्तियों और देनदारियों के परिणाम के बीच अंतर 0.09 करोड़ रुपये की निधि राशि का अल्प उपयोग है जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के मुख्य विकास खाता निधि से प्राप्त है। यह राशि दि.वि.प्रा. चिकित्सा नियमों में वर्णित, दि.वि.प्रा. के कार्यरत कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों के लाभ के लिए है।

(vi) 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए सिविल कार्य प्रबंधन निधि की कुल राशि 500.53 करोड़ रु. है और इस निधि में परिसंपत्तियों की कुल राशि 464.65 करोड़ रु है। जिसमें 443.00 करोड़ रु. की निवेश राशि और 21.65 करोड़ रू. की उपार्जित ब्याज राशि शामिल है। परिसंपत्तियों और देयताओं के मध्य अंतर के परिणामस्वरूप निधि में से 35.88 करोड़ रु. की राशि का कम उपयोग हुआ, जिसकी वसूली सामान्य विकास खाता निधि, दिल्ली विकास प्राधिकरण से की जाएगी। कमी को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–2019 में पूरा कर लिया जाएगा।

(vii) 31.03.2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिक कार्य रखरखाव निधि हेतु कुल राशि 60.01 करोड़ रुपये है और इस निधि के लिए परिसंपत्ति 46.81 करोड़ रुपये की है, जिसमें 45.00 करोड़ का निवेश और 1.81 करोड़ रुपये का उपार्जित ब्याज शामिल है। परिसम्पत्तियों और दयेताओं के बीच अन्तर के कारण 13.20 करोड़ रुपये की निधि का अपूर्ण उपयोग रहा, जो सामान्य विकास लेखा निधि, दि.वि.प्रा. से वसूली योग्य है। अगले वित्त वर्ष 2018–19 में कमियों को पूरा कर लिया जाएगा।

(viii) 31.03.2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए यमुना प्रदूषण पेनल्टी निधि की कुल राशि 5.76 करोड़ रुपये है और इस निधि के लिए परिसम्पत्तियाँ कुल 5.76 करोड़ राशि की हैं, जिनमें 5.23 करोड़ रुपये का निवेश, 0.23 करोड़ का खाता शेष और 0.30 करोड़ रुपये का उपार्जित ब्याज शामिल है।

10. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निदेशों के अनुपालन में, दि.वि.प्रा. ने "डी.डी.ए.–यमुना पॉल्यूशन पेनाल्टी एकाउन्ट" के नाम से एक बचत बैंक खाता खोला। यमुना नदी के मुहानें में किसी भी प्रकार की अपशिष्ट सामग्री को डालने पर दंड–राशि/मुआवजे की राशि को इस खाते में जमा किया जाता है और इस राशि का उपयोग यमुना नदी की साफ–सफाई की परियोजनाओं के निष्पादन के लिए किया जाएगा अनुसूची–बी का संदर्भ लें।

11. 31 मार्च, 2018 को विविध देनदारों के विधिवत समाधानकृत, पार्टीवार और आयुवार विवरण, अभी उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि दि.वि.प्रा. ने सम्पत्ति के पूर्ण स्वामित्व की प्रक्रिया के समय पूरे पट्टा–प्रीमियम और ब्याज सहित भूमि का किराया लेना शुरु कर दिया है। अतः प्रबंधन के विचार में, वहाँ कोई शंकास्पद ऋण नहीं है।

12. दिनांक 01.04.2017 को माल सूची के प्रारंभिक स्टॉक में 57 निर्मित आवास शामिल नहीं है, जिनके कब्जा पत्र चालू वर्ष में जारी किए गए हैं । इन स्टॉकों कों 7.44 करोड़ रु. वाली पूर्व अवधि की मदों के माध्यम से चालू वित्त वर्ष में शामिल किया गया है।

13. नजूल–I (पुरानी नजूल सम्पदा) और नजूल–II (भूमि का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण) संबंधी लेन–देनों को, सरकारी खाते में लेन–देन होने के नाते, पृथक शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया जाता है और दि.वि.प्रा. (बजट एवं लेखा) नियम, 1982 में निर्धारित प्रारूप में पृथक वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किया जाता है । उक्त खातों की प्राप्तियों एवं भुगतान की निवल शेष राशि को प्राधिकरण की नकद एवं बैंक में शेष राशि में से घटाया जाता है। नजूल खातों के घाटे को प्राधिकरण की निधि से पूरा किया जाता है और इसे अग्रिम के रूप में दर्शाया जाता है ।

14. चालू वर्ष के दौरान, दि.वि.प्रा. ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर घोषित औसत बैंक दरों पर, चालू वर्ष के लिए 108.25 करोड़ रुपये ब्याज व्यय और पिछले वर्षों में बकाया शेष के रूप में नजूल–II को देय 40.51 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं।

15. दि.वि.प्रा. ने बेलआउट पैकेज के अंतर्गत 333 फ्लैटों को खरीदा, जिसमें से 45 फ्लैटों को स्टाफ क्वार्टर के रूप में संरक्षित रखा गया, 86 फ्लैटों को बेचा गया तथा शेष 202 फ्लैटों को दि.वि.प्रा. के स्टॉक के रूप में रखा गया।

16. **वर्ष के दौरान लेखाकरण की नीतियों में परिवर्तन:**

(i) माल सूची का मूल्यांकनः चालू वर्ष 2016–17 के दौरान, अंतिम स्टॉक (अधिग्रहीत निर्मित इकाइयों/ बाह्य स्त्रोतों से क्रय किए हुए के अलावा) को माल सूची के मूल्यांकन, जिन्हे अब निम्न लागत पर अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य पर कीमत निर्धारित की गई है से संबंधित लेखाकरण नीति सं. 6 में परिवर्तन किया गया है अब तक, हाउसिंग की स्टॉक निर्मित इकाइयों को तैयार स्टॉक की मानक लागत जिस पर इसे विक्रय करने की प्रत्याशा की जाती है, पर और अन्य माल सूची का लागत के अनुसार मूल्य निर्धारण किया जाता है।

संशोधित नीति को लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण ऐसे स्टॉक का पूर्व लेखाकरण नीति के अनुसार ही मूल्य निर्धारण जारी रखा गया है । निर्मित इकाइयों जिसमें हाउसिंग स्टॉक और विकसित भूमि

शामिल है, के अंतिम स्टॉक के मूल्यांकन में यह परिवर्तन आगे 01.04.2016 से तैयार आवासीय इकाई और विकसित भूमि के लिए लागू किया गया है।

(ii) नजूल–II भूमि से संबंधित भूमि प्राशुल्क (लैंड प्रीमिया): 2016–17 के दौरान, सामान्य विकास लेखा के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों के लिए विनियुक्त नजूल–II भूमि से संबंधित भूमि प्राशुल्क (लैंड प्रीमिया) के संबंध में लेखाकरण नीति 11 (बी) में परिवर्तन हुआ है, जो परिवर्तित नीति के अनुसार परियोजना के निर्माण आरम्भ की तिथि पर लागू नजूल नियमो के अंतर्गत निर्धारित पूर्व निर्धारित दरों (पी डी आर) पर भूमि लागत के लिए जमा द्वारा व्यय के रुप में बुक किए जाएंगे। यह आस्थगित देयता लागू प्रचलित पूर्व निर्धारित दरों (पी डी आर) पर आधारित वर्ष के अन्त में, परियोजना के पूर्ण होने तक अपडेट की जा रही है। यह आस्थगित देयता लेखा नजूल नियमों के अंतर्गत निर्धारित तत्कालीन पूर्व निर्धारित दरों (पी डी आर) पर परियोजना का निर्माण पूरा होने पर नजूल–II के लेखा को अंतरित किया जा रहा है।

नजूल नियमों के अंतर्गत अब तक, ये निर्दिष्ट पूर्व निर्धारित दरों (पी डी आर) पर सम्पत्ति के निर्माण पूर्ण होने पर नजूल–II लेखा में आकलन के द्वारा व्यय के रुप में सामान्य विकास लेखा के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों के लिए उपयुक्त थे।

उस वर्ष से, जिसमें स्कीम पूर्ण होती है तीन क्रमिक वार्षिक समान किश्तों में नजूल–II को लैंड प्रीमिया भुगतान किया जा रहा है।

विद्यमान स्कीमों के अंतर्गत चालू कार्य पर इस परिवर्तित नीति को लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण, प्रबंधन ने इस परिवर्तित नीति को आगे 01.04.2016 से प्रदत्त स्कीमों पर लागू करने का निर्णय लिया है।

17. वर्ष के अंत में कार्य प्रगति का मूल्य ठेकेदारों को निर्माण पर किए गए पूर्ण भुगतान पर अधिशीर्ष (ओवरहैड) का 15% है। दि.वि.प्रा. द्वारा इसका निरन्तर अनुसरण किया जाता रहा है।

18. वर्ष की समाप्ति पर उपार्जित ब्याज से संबंधित कुछ प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता मे कुछ निवेश, उपार्जित ब्याज की बकाया शेष और ब्याज की शर्तों के आधार पर अनंतिम गणना की गई है।

19. वार्षिक खातों को अंतिम रुप दिए जाने की तिथि तक अंतिम तौर पर उपलब्ध दि.वि.प्रा. के टी डी एस की कटौती पर 26 ए.एस. विवरण का लेखा समाधान कर लिया गया है और इसको खाते में शामिल कर लिया गया।

20. वर्ष के दौरान से दिल्ली विकास प्राधिकरण पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम फण्ड ट्रस्ट, दिल्ली विकास प्राधिकरण छुट्टी नकदीकरण निधि–ट्रस्ट और दिल्ली विकास प्राधिकरण सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट को सृजित

किया गया है, तथापि, इनसे संबंधित निवेश अभी भी दिल्ली विकास प्राधिकरण के नाम पर हैं और इन ट्रस्टों के नाम से खाते खुलवाने अभी भी बाकी हैं, इसलिए, इनसे संबंधित निवेश और बैंक शेष को अभी संबंधित ट्रस्ट के खातों में हस्तांतरित किया गया हैं और इन्हें सामान्य विकास खाते के तुलन पत्र में दिखाया गया है और निधि आधारित लेखाकरण के अनुसार इनको विशिष्ट निधियों में आबंटन जारी रखा गया है।

21. इस वर्ष के वर्गीकरण के समनुरुप यथा आवश्यक के लिए पिछले साल के आंकड़े को रिग्रुप/पुनर्वर्गीकृत किया गया है ।

22. अनुसूची 'ए' से 'ओ' तक के फार्म, वार्षिक खातों का आंतरिक हिस्सा है ।

23. सामान्य विकास खाता, नजूल–I, नजूल–II, दिल्ली विकास प्राधिकरण पेंशन निधि ट्रस्ट, दिल्ली विकास प्राधिकरण उपदान निधि ट्रस्ट, के निवेश और बैंक शेष के समेकित विवरण को अनुलग्नक 'पी' में दर्शाया गया है ।

ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-
वरिष्ठ लेखाधिकारी लेखा (मुख्य)	उपमुख्य लेखाधिकारी (मुख्य)	निदेशक (वित्त)/परामर्शक	मुख्य लेखाधिकारी

दिनांक : 16/07/2018
स्थान : नई दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अनुसूची–पी

31 मार्च 2018 के अनुसार निवेश और बैंक शेष का विवरण

(रु. करोड़ में)

लेखा शीर्ष		सामान्य विकास खाता												नजूल खाता–I	नजूल खाता–II							पेंशन निधि ट्रस्ट	उपदान निधि ट्रस्ट	कुल
	यूडीएफ	जी.डी.ए. सामान्य निवेश	आकस्मिक आरक्षित निधि	यमुना प्रदूषण निधि	अवकाश नकदीकरण निधि	सामान्य भविष्य निधि	सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ निधि	ई. डब्ल्यू. एस. आरक्षित निधि	कर्मचारी हित लाभ	सिविल कार्य रखरखाव निधि	विद्युत रखरखाव निधि	सिरी फोर्ट वन क्षेत्र का पुनरुद्धार	जी.डी.ए. का पूर्णयोग	नकद शेष निवेश I	नजूल खाता–II सामान्य निवेश	एस्क्रो (ई. डब्ल्यू. एस.)	एच. आर. डी.	शहरी विरासत निधि	एस्क्रो (एफ. ए. आर.)	निवेश (खेल)	पूर्णयोग नजूल – II			
एफ डी	4,789.49	1.15	1082.00	5.23	–	45.37	–	863.00	0.10	443.00	45.00	1.07	7,275.41	–	7,540.99	64.80	0.25	0.35	3.00	56.59	7,665.96	–	–	14,941.39
सरकारी प्रतिभूतियां	–	–	–	–	153.00	692.40	137.00	–	–	–		–	962.40	–	–	–	–	–	–	–	–	748.25	148.96	1,879.61
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	80.00	–	20.00	–	10.00	249.30	47.50	–	–	–		–	406.80	–	325.00	–	–	–	–	–	325.00	396.47	120.27	1248.54
म्युचुअल फंड	–	–	–	–	96.25	178.50	117.21	–	–	–		–	391.96	–	–	–	–	–	–	–	–	203.20	89.70	684.86
व्यावसायिक पेपर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
मुद्रा बाजार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.00	4.00
डिबेंचर एवं बॉण्ड	–	–	–	–	106.40	246.30	155.00	–	–	–		–	507.70	–	–	–	–	–	–	–	–	330.17	72.00	909.87

एल.आई.सी /अन्य बीमा कंपनियां	–	–	–	–	137.00	–	77.86	–	–	–		–	214.86	–	–	–	–	–	–	–	–	4041.95	188.84	4,445.65
कुल	4869.49	1.15	1,102.00	5.23	502.65	1411.87	534.57	863.00	0.10	443.00	45.00	1.07	9,779.13	–	7,865.99	64.80	0.25	0.35	3.00	56.59	7,990.98	5,720.04	623.77	24,113.92
नकद	–	0.03	–	–	–	–	–	–	–	–		–	0.03	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.03
बचत बैंक	79.91	97.24	1.02	0.23	14.17	34.73	19.69	2.69	0.17	–		0.01	249.86	2.45	430.10	–	–	–	–	–	430.10	59.45	65.66	807.52
महायोग	4949.40	98.42	1,103.02	5.48	516.82	1446.60	554.26	885.69	0.27	443.00		1.08	10,029.02	2.45	8296.09	64.80	0.25	0.35	3.00	56.59	8,421.08	5,779.49	689.43	24,921.47

हस्ता./–
वरिष्ठ लेखाधिकारी लेखा (मुख्य)

हस्ता./–
उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)

हस्ता./–
निदेशक (वित्त)/परामर्शदाता

हस्ता./–
मुख्य लेखाधिकारी

*सामान्य निवेश के बचत खाता शेष का पता लगाने के लिए ट्रांजिट में रेमिटेंस को अलग रखा गया है।

नजूल–I

वार्षिक लेखा

2017–18

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण
वर्ष 2017–18 का वार्षिक खाता
नजूल खाता–I
31 मार्च, 2018 को तुलन–पत्र

रुपये करोड़ में

देयताएं					परिसम्पत्तियाँ				
क्र.सं	लेखाशीर्ष	अनुसूची	2017–18	2016–17	क्र.सं.	लेखाशीर्ष	अनुसूची	2017–18	2016–17
I	नजूल करार 1937 के खंड 9 के अंतर्गत सरकार को देय संचित अधिशेष निधि	एस	22.39	22.81	I	रोकड एवं बैंक शेष	एम	2.45	2.67
					II	निवेश		–	–
II	अन्य खातों से प्राप्त राशि		225.87	214.70	III	भूमि एवं कार्यों पर संचित व्यय		19.94	19.94
III	विविद लेनदार	टी	0.18	0.38	IV	विविद देनदार	क्यू	108.25	108.50
IV	पिछले तुलन पत्र के अनुसार देयताओं पर परिसम्पत्तियों की अधिकता		(29.21)	(26.01)	V	सम्पत्ति	आर	0.40	0.43
V	वर्ष के दौरान व्यय पर आय की अधिकता–भाग–1		0.12	0.06					
VI	नजूल करार के अंतर्गत संचित प्राप्तियों में अंतरित राशि	-	(1.15)	(3.26)	VI	आय पर व्यय की अधिकता (भाग- II)		87.16	76.94
	कुल		218.20	208.68		कुल		218.20	208.68

हस्ता /–
वरि लेखाधिकारी
(लेखा) मुख्य

हस्ता /–
उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)

हस्ता /–
निदेशक (वित्त)/परामर्शदाता

हस्ता /–
मुख्य लेखाधिकारी

दिनांक 18.07.2018
स्थान नई दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण
वर्ष 2017–18 का वार्षिक खाता
नजूल खाता–I
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष आय एवं व्यय लेखा

(रुपये करोड़ में)

व्यय				आय			
क्र.सं.	लेखाशीर्ष	व्यय 2017–18	व्यय 2016–17	क्र.स.	लेखाशीर्ष	आय 2017–18	आय 2016–17
I	01.04.2017 को भूमि तथा निर्माण कार्यों पर संचित व्यय	19.94	19.94	I	भूमि प्राशुल्क के निपटान से प्राप्तियां	0.12	0.06
II	भूमि एवं निर्माण कार्यों पर व्यय	–	–	II	एल एंड डी ओ कार्यालय से अंतरित भूमि		
III	व्यय पर आय की अधिकता (भाग–1)	0.12	0.06	III	निवेश पर ब्याज		
				IV	31.3.2018 को भूमि एवं कार्यों पर संचित व्यय	19.94	19.94
	कुल	**20.06**	**20.00**		**कुल**	**20.06**	**20.00**
IV	प्रशासन की लागत			V	राजस्व		
	(i) अधिकारी	1.31	1.49		क) भू–भाटक	0.77	1.97
	(ii) संस्थापना	2.83	2.84		ख) अन्य प्राप्तियां	0.09	0.40
	(iii) अन्य प्रभार	0.72	0.58		ग) क्षतिपूर्ति	1.75	0.08
	(iv) पेंशन अंशदान	1.22	0.11		(घ) पूर्व अवधि आय	–	29.39
	(v) उपदान अंशदान	0.05	0.63	VI	(ड) अन्य नजूल राजस्व	1.07	0.25

	(VI) अवकाश नकदीकरण अंशदान	(0.07)	0.25				
	(VII) सेवानिवृत्ति उपरान्त चिकित्सा योजना	(0.04)	0.20				
	(VIII) नई पेंशन योजना	0.01	0.01				
	घटा : कार्यों से वसूल किए स्थापना प्रभार	2.14	1.90				
V	सरकार को नजूल राजस्व का भुगतान	0.01	0.01				
VI	मूल्यह्रास	0.03	0.04				
VII	विभिन्न योजनाओं के रखरखाव पर व्यय विविध व्यय	8.62	9.53				
VIII	अवधि पूर्व व्यय	1.37	–				
IX	व्यय पर आय की अधिकता (भाग–II)	(10.23)	18.30				
	कुल	3.68	32.09		कुल	3.68	32.09

हस्ता./–
वरि. लेखाधिकारी
लेखा (मुख्य)

हस्ता./
उप मुख्य लेखाधिकारी(लेखा)

हस्ता./–
निदेशक (वित्त)/परामर्शदाता

हस्ता./–
मुख्य लेखाधिकारी

दिनांक 16.07.2018
स्थानः नई दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण

वर्ष 2017–18 के वार्षिक खाते

नजूल खाता–I

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान खाता

(राशि करोड़ में)

प्राप्तियां							भुगतान			
क्र. सं.	लेखाशीर्ष	संशोधित अनुमान (करोड़ रु. में)	समायोजन से पूर्व वास्तविक प्राप्तियां (2017–18)	समायोजन	वास्तविक प्राप्तियां (2017–18)	वास्तविक प्राप्तियां (2016–17)	क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वास्तविक व्यय (2017–18)	वास्तविक व्यय (2016–17)
I	कार्य एवं विकास योजनाओं से राजस्व						I	प्रशासन की शेयर लागत	5.05	5.41
	क) प्राशुल्क	4.44	0.12	–	0.12	0.06		घटाएं : कार्यों से प्राप्त		
	ख) भू–भाटक	10.16	0.77	–	0.77	1.89		संस्थापना		
	ग) अन्य प्राप्तियां	0.25	0.09	–	0.09	0.40		प्रभार	2.14	1.90
									2.91	3.51
II	क्षतिपूर्ति	1.60	4.77	(4.15)	0.62	1.71	II	कार्यों एवं विकास योजनाओं पर व्यय	8.62	9.53
III	अन्य नजूल राजस्व						III	विविध व्यय	–	–

	क) कृषि भूमि तथा अन्य भूमि से राजस्व						IV	नजूल राजस्व का भुगतान	0.01	0.01
	ख) अन्य राजस्व	1.00	1.08		1.08	0.25	V	ऋण पर ब्याज		
IV	दिल्ली मुख्य योजना	0.02					VI	दिल्ली मुख्य योजना	1.56	1.65
V	दिल्ली की नई मुख्य योजना						VII	दिल्ली की नई मुख्य योजना		
VI	भूमि एवं विकास कार्यालय ग्राम सभा से अंतरित भूमि						VIII	ऋण का पुनर्भुगतान		
VII	निवेश से ब्याज						IX	दिल्ली के आसपास झीलों का विकास एवं निर्माण		
VIII	दिल्ली के आसपास झीलों का विकास एवं निर्माण						X	भूमि एवं विकास विभाग से अंतरित भूमि		
IX	ऋण प्राप्तियां									
	कुल	17.47	6.83	(4.15)	2.68	4.31		कुल	13.10	14.70

प्राप्तियां							भुगतान			
क्र. सं.	लेखाशीर्ष	संशोधित अनुमान (करोड़ रु. में)	समायोजन से पूर्व वास्तविक प्राप्तियां (2017–18)	समायोजन	वास्तविक प्राप्तियां (2017–18)	वास्तविक प्राप्तियां (2016–17)	क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वास्तविक प्राप्तियां (2017–18)	वास्तविक प्राप्तियां (2016–17)
X	जमा एवं अग्रिम						XI	जमा एवं अग्रिम		
i)	उचंत खाता						(i)	उचंत खाता		
(क)	निवेश–नकद शेष निवेश खाता						(क)	निवेश–नकद शेष निवेश खाता		
ख)	अन्य उचंत मदें						ख)	अन्य उचंत मदें		
(II)	जमा						II	जमा		
(III)	अग्रिम (एच.बी.ए.)						III	अग्रिम (एच.बी.ए.)		
(IV)	पी.एल.ए.						IV	पी.एल.ए.		
(V)	अन्य खातों से प्राप्त राशि (बी.जी.डी.ए.)	17.75		10.00	10.00	12.00				

	कुल जमा एवं अग्रिम	17.75	—	10.00	10.00	12.00		कुल जमा एवं अग्रिम	—	—
	कुल प्राप्तियां	35.22	6.83	5.85	12.68	16.31		कुल भुगतान	13.10	14.70
	प्रारंभिक शेष	0.05	2.87	—	2.87	1.26		अन्तिम शेष	2.45	2.87
	महायोग	35.27	9.70	5.85	15.55	17.57		महायोग	15.55	17.57

हस्ता. /—
वरि. लेखाधिकारी
लेखा (मुख्य)

हस्ता./
उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)

हस्ता /—
निदेशक (वित्त) / परामर्शदाता

हस्ता /—
मुख्य लेखाधिकारी

दिनांक : 16 / 07 / 2018
स्थान : नई दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नजूल खाता– I

अनुसूची–क्यू

दिनांक 31.3.2018 को विविध देनदारों का विवरण

(राशि करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2017–18	2016–17
I	प्राशुल्क (पट्टेदार द्वारा देय भूमि के पट्टे के लिए)	0.93	0.93
			—
II	भू–भाटक (पट्टा भूमि के पट्टेदार द्वारा देय)	—	1.37
			—
III	अन्य प्राप्तियां (स्टाफ क्वार्टर)	1.50	1.50
			—
IV	नजूल I और/सम्पत्तियों के अनधिकृत अधिभोग हेतु वसूल की गई क्षतिपूर्ति	105.54	104.41
			—
V	अन्य नजूल प्राप्तियां	0.28	0.29
			—
VI	भूमि एवं विकास विभाग/ग्राम सभा को अंतरित भूमि	0.00	0.00
	कुल	**108.25**	**108.50**

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नजूल खाता– I

अनुसूची–आर

दिनांक 31.3.2018 को संपत्ति का विवरण

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	संपत्ति का विवरण	आरंभिक शेष	वृद्धि	कुल	मूल्यह्रास	अंतः शेष
I	मोटर वाहन	0.07	—	0.07	0.01	0.06
II	फर्नीचर	0.05	—	0.05	0.01	0.05
III	अन्य कार्यालय उपकरण	0.03	—	0.03	0.00	0.03
IV	सर्वेक्षण एवं ड्राइंग उपकरण	0.00	—	0.00	0.00	0.00
V	स्टाफ क्वार्टर	0.26	—	0.26	0.01	0.25
VI	झंडेवालान में 128 एकड़ भूमि पर अस्थाई कबाड़ी बाजार का विकास	0.01	—	0.01	—	0.01
VII	जनता मार्किट रानी झांसी रोड	0.00	—	0.00	0.00	0.00
VIII	अजमेरी गेट में पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध कराना ।	0.00	—	0.00	0.00	0.00
	कुल	0.42	—	0.42	0.03	0.40

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नजूल लेखा– I

अनुसूची – एस

नजूल करार–1937 के अंतर्गत सरकार को देय/भुगतान की गई निधियों का विवरण

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	2017–18	2016–17
31.3.2017 तक निधियों का अंतरण जोड़ें : वर्ष के दौरान अंतरित राशि	48.34 1.15	45.08 3.26
(क) शेष	49.49	48.34
31.3.2017 तक पुरानी दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय योजना पर कुल व्यय जोड़े : 2017–18 के दौरान व्यय घटाएं : वर्ष के दौरान विक्रय कार्यवाही के रूप में प्राप्तियाँ	23.02 1.57	21.37 1.65
दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय योजना (क) पर निवल व्यय	24.59	23.02
31.3.2017 तक नई दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय योजना पर किया गया कुल व्यय जोडें : 2017–18 के दौरान व्यय घटाएं : वर्ष के दौरान विक्रय कार्यवाही के रूप में प्राप्तियाँ	2.50 –	2.50
दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय योजना (ख) पर निवल व्यय	2.50	2.50
(ख) कुल व्यय (क+ख)	27.09	25.52
तुलन–पत्र में आगे ले जाया गया शेष (क–ख)	22.39	22.82

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नजूल खाता–I

अनुसूची–टी

31.03.2018 तक विविध लेनदारों का विवरण

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	2017–18	2016–17
प्रशासन वेतन एवं अन्य प्रभार	0.18	0.38
कुल	**0.18**	**0.38**

नजूल–II

वार्षिक लेखा

2017–18

दिल्ली विकास प्राधिकरण

वर्ष 2017—18 के वार्षिक खाते

नजूल खाता—II
31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान खाता

(राशि करोड़ रू. में)

प्राप्तियां				भुगतान			
क्र.सं.	लेखाशीर्ष	वास्तविक प्राप्तियां 2017—18	वास्तविक प्राप्तियां 2016—17	क्र.सं.	लेखाशीर्ष	वास्तविक व्यय 2017—18	वास्तविक व्यय 2016—17
I सी	विकसित भूमि के निपटान से प्राप्तियां— प्राशुल्क	388.76	323.96	1—सी	भूमि के अधिग्रहण के लिए दिल्ली प्रशासन (भूमि एवं भवन विभाग) को भुगतान	139.70	22.49
					कोर्ट अटेचमेंट की राशि	37.23	273.18
					बढ़े हुए मुआवजे की राशि	2.29	21.67
			—		विशेष पुनरूद्धार पैकेज का भुगतान	—	—
II सी	अविकसित भूमि के निपटान से प्राप्तियां— प्राशुल्क	201.47	471.44	2—सी	भूमि विकास पर व्यय	411.25	307.95
		—	—		मुख्य योजना एवं अन्य सहगामी योजनाएं	713.79	758.68
			—				

					खेल परिसर	70.86	60.80
					भूमि विकास पर कुल व्यय 2–सी	1,195.90	1,127.64
III सी	भू–भाटक एवं अन्य प्राप्तियां	216.76	470.32	3–सी	राष्ट्रमंडल खेल 2010 व्यय	–	–
	केन्द्र सरकार से अनुदान–राष्ट्रमंडल खेल–2010	–	–		योजनाओं में शामिल सड़कों के अतिरिक्त सड़कों के निर्माण पर व्यय	–	–
	रा.मं.खे. फ्लैटों के निपटान से प्राप्तियाँ	–	–				–
		–	–				–
IV सी	विविध प्राप्तियाँ	–	–			–	–
(क)	संघटन शुल्क	15.23	19.95	4–सी	विकास योजनाओं में शामिल भवनों से भिन्न भवनों पर व्यय	–	–
(ख)	निवेश से ब्याज		–				–
	नजूल–II निवेश पर ब्याज	695.35	947.77		दि.न.नि. को भुगतान	9.56	–
	खेल निवेश पर ब्याज	4.08	6.52				
	एस्क्रो ई.डब्ल्यू.एस. पर ब्याज	3.99	4.87				
	एस्क्रो एफ.ए.आर. पर ब्याज	0.51	0.31				
	एच.आर.डी. पर ब्याज	0.01	0.02				
	यू.एच.एफ. पर ब्याज	0.03	0.03				

(ग)	अन्य विविध प्राप्तियां	48.96	174.66	5–सी	प्रशासन प्रभार की शेयर लागत	251.08	261.04
	शहरी विरासत खाते से ब्याज	—	—		संस्थापना प्रभार घटाएं	62.65	51.52
	खेल परिसर	56.46	60.90		निवल शेयर लागत	**188.43**	**209.52**
	ई.डब्ल्यू. एस. निधि	—	—	6–सी	ऋण पर ब्याज (अर्थोपाय अग्रिम)	—	—
	ई.डब्ल्यू. एस. निधि पर ब्याज	—	—		प्राशुल्क की वापसी	22.30	704.04
		—	—				
	IV सी कुल	824.61	1,215.01	—	—		—
			—				—
V-सी	दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई तदर्थ वृद्धि/तदर्थ कटौती	—	—	7–सी	घटाए : दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई तदर्थ कटौती	—	—
					—		
					भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्रदान किया गया अनुदान	—	—
					दिल्ली मैट्रो रेल कॉरपोरेशन को भुगतान की गई राशि	—	13.50
		—	—		—	—	—
	कुल	1,631.60	2,480.73		कुल	**1,595.41**	**2,372.04**

VI–सी	ऋण प्राप्ति	–	–	8–सी	ऋण का पुनर्भुगतान	–	–
(i)	केन्द्र सरकार से ऋण (अर्थोपाय अग्रिम)	–	–	i)	केन्द्र सरकार को ऋण का पुनर्भुगतान	–	–
(ii)	अन्य खातों से प्राप्त राशि	–	1,874.00	ii)	अन्य खातों को वापिस की गई राशि	–	1,896.00
		–	–		74रा.मं. खेल फ्लैटों की बिक्री के लिए बी.जी.डी.ए. को भुगतान की गई राशि	–	
VII-सी	जमा एवं अग्रिम	–	–	9–सी	जमा एवं अग्रिम	–	–
i)	उचंत खाता:	–	–	i)	उचंत खाता:	–	–
क)	निवेश–नकद शेष निवेश खाता	9,727.95	12,226.11	क)	निवेश–नकद शेष निवेश खाता	8,229.01	10,147.95
ख)	निवेश खाता खेल	56.05	79.38	ख)	निवेश खाता खेल	56.61	56.05
ग)	एस्क्रो नकदीकरण	61.00	57.00	ग)	निवेश एस्क्रो खाता	64.81	61.00
घ)	मानव संसाधन विकास नकदीकरण	0.25	0.22	घ)	मानव संसाधन विकास निवेश	0.26	0.24
ड.)	एस्क्रो एफ.ए.आर. नकदीकरण	3.00	3.00	ड)	एस्क्रो एफ ए आर निवेश	3.00	3.00
च)	शहरी विरासत पुरस्कार निधि नकदीकरण	0.35	0.30	च)	शहरी विरासत पुरस्कार निधि निवेश	0.38	0.35
ii)	ई.डब्ल्यू.एस. आवासों के निर्माण के लिए एस्क्रो खाता (जी.एच.एस.) से निधियां	–	–	ii)	ई.डब्ल्यू.एस आवासों के निर्माण के लिए एस्क्रो खाता (जी एच एस) से निधियां	–	
iii)	शहरी विरासत निधि की प्राप्ति	–	0.00	iii)	शहरी विरासत निधि सवितरण	–	–

iv)	अन्य उचन्त खाता	—	—	iv)	अन्य उचन्त खाते	—	—
v)	जमा	—	—	v)	जमा	—	—
vi)	परिक्रामी निधि से प्राप्त की गई राशि	1,199.30	1,136.94	vi)	परिक्रामी निधि को भुगतान की गई राशि	1,199.30	1,136.94
vii)	जी डी ए से प्राप्त राशि	404.56	—	vii)	जी डी ए को भुगतान की गई राशि	3056.99	902.13
	पी.आर.एम.एस. निधि से प्राप्त राशि	27.00	—		अवकाश नकदीकरण निधि को भुगतान की गई राशि	5.00.	
	ग्रेचुटी निधि ट्रस्ट से प्राप्त राशि	125.06	—		ग्रेचुटी निधि ट्रस्ट को भुगतान की गई राशि	125.06	
	पेंशन निधि से प्राप्तियाँ	536.27	—		पेंशन निधि को भुगतान की गई राशि	547.77	
	कुल जमा एवं अग्रिम	12,140.79	13,502.95		कुल जमा एवं अग्रिम	13,288.19	12,307.65
	कुल प्राप्तियाँ	13,772.39	17,857.68		कुल भुगतान	14,883.62	16,575.69
	आरंभिक शेष	1,541.33	259.34		अन्त शेष	430.10	1,541.33

	महायोग	15,313.72	18,117.02		महायोग	15,313.72	18,117.02

हस्ता./–
वरिष्ठ लेखाधिकारी लेखा (मुख्य)

हस्ता./–
उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)

हस्ता./–
निदेशक (वित्त)परामर्शदाता

हस्ता./–
मुख्य लेखाधिकारी

दिनांक : 16.07.2018
स्थान : नई दिल्ली

पेंशन निधि ट्रस्ट

वार्षिक लेखा

2017–18

दिल्ली विकास प्राधिकरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

दिल्ली विकास प्राधिकरण पेंशन निधि ट्रस्ट

के सदस्य,

हमने 'दिल्ली विकास प्राधिकरण पेंशन निधि ट्रस्ट' के संलग्न वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2018 तक को तुलन–पत्र तथा तब समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं लेखों पर टिप्पणियां शामिल है ।

वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है । इन उत्तरदायित्व में विषय के मिथ्या–कथन चाहे छल अथवा त्रुटि की वजह से हो , से मुक्त वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु संगत डिजाइन, कार्यान्वयन तथा आंतरिक नियंत्रण का रखरखाव शामिल है ।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानदंडों के अनुरूप की है। उन मानदंडों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं एवं योजनाओं का अनुपालन करें तथा यह उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें कि वित्तीय विवरण विषय के गलत विवरण से मुक्त है ।

लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरण में राशि एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया का निष्पादन करना शामिल है । चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के मिथ्या कथन, चाहे छल या त्रुटि के कारण का, के जोखिम मूल्यांकन शामिल है । उन जोखिम मूल्यांकनों को तैयार करने में लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा की कार्यबद्ध प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए ट्रस्ट तैयार करने और वित्तीय विवरणों के सही प्रस्तुतीकरण के लिए आंतरिक नियंत्रण को उपयुक्त मानता है, जो परिस्थितियों के मामले में उचित होता है, लेकिन संस्था के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए नहीं होता है । लेखा परीक्षा में

प्रयोग की गई लेखा नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा बनाए गए लेखा अनुमानों के औचित्य तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है । हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा साक्ष्य हमारी लेखा परीक्षा संबंधी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित है ।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना उसी रूप में प्रदान करते हैं तथा एक सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं :

(क) तुलनपत्र के मामले में, 31 मार्च, 2018 को ट्रस्ट के कार्यों की स्थिति, और

(ख) आय एवं व्यय खातों के मामले में, उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु व्यय पर आय की अधिकता ।

आर.ए. एंड कंपनी हेतु
चार्टेड एकाउन्टेन्ट
एफ.आर.एन. 022935एन

ह0/–
(सी.ए. राशिद अली)
एम.सं0 507153
पार्टनर

दिल्ली विकास प्राधिकरण पेंशन निधि ट्रस्ट

31 मार्च, 2018 को तुलन–पत्र

(राशि करोड़ में)

देयताएँ		31.03.2018 तक राशि		31.03.2017 तक राशि
निधि का प्रारम्भिक शेष	5,496.12		5,498.75	
जमा : नियोक्ता अंशदान	486.86		29.23	
घटा– पेंशन वितरण	522.73		442.06	
जमा : व्यय पर आय की अधिकता	441.62		410.20	
पेंशन निधि का शेष		5,901.87		5,496.12
शहरी विकास निधि को देय		3.32		–
आकस्मिक व्यय निधि को देय		0.15		–
अवकाश नकदीकरण निधि को देय		11.33		10.11
पी.आर.एन.एस. निधि को देय		19.85		–
लंबित देयताएँ		20.58		–
सामान्य भविष्य निधि को देय		14.84		–
दिल्ली विकास प्राधिकरण को देय		–		194.72
एन.ए.II को देय		11.50		–
		5,983.44		5,700.95

परिसम्पत्तियाँ	31.03.2018 तक राशि	31.03.2017 तक राशि
निवेश	5,720.04	5,492.36
निवेश पर प्राप्त ब्याज	49.44	56.32
बैंक शेष	59.45	139.42
प्राप्त होने वाला टी.डी.एस.	0.72	0.66
प्राप्त होने वाले निवेश पर ब्याज	0.72	0.72
उपदान निधि ट्रस्ट से प्राप्त होने वाली राशि	0.59	–
पीआरएमएस निधि से प्राप्त होने वाली राशि	–	0.26
सामान्य भविष्य निधि से प्राप्त होने वाली राशि	–	11.21
दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त होने वाली राशि	152.48	
	5,983.44	5,700.95

आर.ए. एंड कंपनी
चार्टेड अकाउंटेंट के लिए संलग्न
रिपोर्ट के अनुसार
ह0/–
(सी.ए. राशिद अली)
पार्टनर
एम.सं. 507153
एफ.आर.एन. – 022935 एन.

ह0/–
(मुख्य लेखा अधिकारी)
ट्रस्टी

ह०/–
वरिष्ठ लेखा अधिकारी
(लेखा) मुख्य

ह०/–
उप मुख्य लेखा
अधिकारी (लेखा)

ह०/–
निदेशक
(वित्त) /परामर्शदाता

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.07.2018

दिल्ली विकास प्राधिकरण पेंशन निधि ट्रस्ट
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि करोड़ में)

व्यय	31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु	आय	31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु
	राशि	राशि		राशि	राशि
विविध व्यय	0.01	0.00	निवेश पर अर्जित ब्याज	441.68	422.04
पूर्व अवधि समायोजन	0.05	0.00			
निवेश की खरीद पर प्रीमियम	—	11.84	पूर्व अवधि समायोजन	—	—
निवेश की बिक्री पर घाटा		—			
व्यय पर आय की अधिकता	441.62	410.20			
	441.68	**422.04**		**441.68**	**422.04**

आर.ए. एंड कंपनी
चार्टेड अकाउंटेंट के लिए संलग्न
रिपोर्ट के अनुसार

ह0/–
(सी.ए. गशिद अली)

ह0/–

पार्टनर
एम.स. 507153
एफ.आर.एन. – 022935 एन.

(मुख्य लेखाधिकारी)
ट्रस्टी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.07.2018

ह०/–
वरिष्ठ लेखा अधिकारी
(लेखा मुख्य)

ह०/–
उप मुख्य लेखा अधिकारी
(लेखा)

ह०/–
निदेशक
(वित्त)/परामर्शदाता

(राशि करोड़ में)

पेंशन निधि ट्रस्ट खाता
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान

प्राप्तियाँ

लेखा–शीर्ष	2017–18		2016–17	
पेंशन निधि प्रारंभिक शेष		139.42		154.07
पेंशन निधि का नकदीकरण	137.08		53.18	
पेंशन निधि निवेश पर ब्याज	146.78		120.41	
अवकाश नकदीकरण निधि ट्रस्ट से प्राप्त	—		118.62	
सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा योजना निधि ट्रस्ट में प्राप्तियाँ	20.11		29.74	
सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट से प्राप्तियॉं	26.05		108.78	
उपदान निधि ट्रस्ट से प्राप्तियाँ	-0.59		0.88	
दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त	351.78		538.68	
शहरी विकास निधि से प्राप्तियाँ	3.32		—	
आकस्मिक व्यय निधि से प्राप्तियाँ	0.15		—	
एन.ए.II से प्राप्त	547.77		—	
आंतरिक इकाई	140.16		2.03	
		1,372.61		972.32
		1,512.03		1,126.39

भुगतान

लेखा–शीर्ष	2017–18		2016–17	
पेंशन निधि निवेश	63.10		542.88	
संवितरण	502.15		442.06	
दिल्ली विकास प्राधिकरण को भुगतान	212.12			
सेवानिवृत्त पश्चात् चिकित्सा योजना निधि ट्रस्ट को भुगतान				
अवकाश नकदीकरण निधि ट्रस्ट को भुगतान	–1.22			
विविध व्यय	0.01			
एन.ए.II को भुगतान	536.27			
आन्तरिक इकाई	140.16		2.03	
		1,452.59		986.97
अंतिम शेष		59.44		139.42
कुल		1,512.03		1,126.39

ह०/–

(मुख्य लेखाधिकारी)
ट्रस्टी

दिनांक : 16.07.2018
स्थान : नई दिल्ली

ह०/–	ह०/–	ह०/–
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेखा मुख्य)	उप मुख्य लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त) /परामर्शदाता

दिल्ली विकास प्राधिकरण पेंशन निधि ट्रस्ट

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ और लेखा की टिप्पणी

1. <u>महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ</u>

क. वित्तीय विवरण परंपरागत लागत के अंतर्गत तैयार किया जाता है ।

ख. निवेशों को अंकित मूल्य के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है ।

ग. ब्याज को अक्रुअल (प्रोद्भवन) के आधार पर जाना जाता है ।

घ. निवेशों की खरीद पर प्रीमियम और छूट को क्रय के समय समायोजित किया जाता है ।

2. <u>लेखा की टिप्पणी</u>

नियोक्ता, दिल्ली विकास प्राधिकरण के खातों में मान्य सीमा तक अंशदान को रिकॉर्ड किया गया है जो 31.03.2018 को प्राप्त नवीनतम बीमांकिक मूल्य रिपोर्ट पर आधारित है।

म्यूचुअल फंड निवेशों पर ब्याज की राशि को म्यूचुअल फंड के शोधन के समय से मान्य किया गया है ।

निवेशों को सरकारी प्रतिभूतियों, बान्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, एफ.डी.आर. और इंश्योरेंस कंपनियों में निवेश के रूप में समुचित रूप से वर्गीकृत किया गया है।

ह0/–
मुख्य लेखाधिकारी
ट्रस्टी

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 16.07.2018

ह०/-	ह०/-	ह०/-
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेखा) मुख्य	उप मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा)	निदेशक (वित्त) /परमार्शदाता

उपदान निधि ट्रस्ट

वार्षिक लेखा

2017–18

दिल्ली विकास प्राधिकरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

दिल्ली विकास प्राधिकरण उपदान निधि ट्रस्ट के सदस्य,

हमने **'दिल्ली विकास प्राधिकरण उपदान निधि ट्रस्ट' के** संलग्न वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2018 तक को तुलन–पत्र तथा तब समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं लेखों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं।

वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन उत्तरदायी है । इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों को तैयार करने में संगत डिजाइन, कार्यान्वयन तथा आंतरिक नियंत्रण का अनुरक्षण शामिल हैं जिससे ये विवरण छल या त्रुटि के कारण मिथ्या कथन से मुक्त हों। ।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, लेखा परीक्षा के आधार पर, इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करना है । हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानदंडों के अनुरूप की है। उन मानदंडों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं एवं योजनाओं का अनुपालन करें तथा तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें कि ये वित्तीय विवरण किसी भी तरह के मिथ्या कथन से मुक्त है ।

लेखा परीक्षा में, वित्तीय विवरणों में राशि एवं प्रकटीकरण के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया का निष्पादन करना शामिल है । चयनित प्रक्रियाएँ, लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के छल या त्रुटि के कारण के मिथ्या कथन, के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है । उन जोखिम मूल्यांकनों को तैयार करने में लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा की कार्यबद्ध प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए ट्रस्ट तैयार करने और वित्तीय विवरणों के सही प्रस्तुतीकरण के लिए आंतरिक नियंत्रण को उपयुक्त मानता है, जो परिस्थितियों के मामले में उचित होता है, लेकिन संस्था के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए नहीं होता है । लेखा परीक्षा में प्रयोग की गई लेखा नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा बनाए गए लेखा अनुमानों के औचित्य तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है । हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा साक्ष्य हमारी लेखा परीक्षा संबंधी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित है ।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना उसी रूप में प्रदान करते हैं तथा एक सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं :

(क) तुलनपत्र के मामले में, 31 मार्च 2018 को ट्रस्ट के कार्यों की स्थिति, और

(ख) आय एवं व्यय खातों के मामले में, उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु व्यय पर आय की अधिकता ।

आर.ए. एण्ड कंपनी हेतु
चार्टेड एकाउन्टेन्ट
एफ.आर.एन. 022935एन

ह0/-
(सी.ए. राशिद अली)
एम.सं0 507153
पार्टनर

दिल्ली विकास प्राधिकरण उपदान निधि ट्रस्ट
31 मार्च, 2018 को तुलन–पत्र

(राशि करोड़ में)

देयताएँ		31.03.2018 तक राशि		31.03.2017 तक राशि	परिसम्पत्तियाँ	31.03.2018 तक राशि	31.03.2017 तक राशि
निधि का प्रारम्भिक शेष	676.55		594.64		निवेश	623.77	611.98
जमा : नियोक्ता अंशदान	19.21		160.80		निवेश पर प्राप्त ब्याज	14.92	14.41
घटा : उपदान वितरण	137.87		132.89		बैंक शेष	65.66	111.02
जमा : व्यय पर आय की अधिकता	52.60		54.00		प्राप्त करने योग्य टी डी एस	0.30	0.30
उपदान निधि का शेष		610.49		676.55			
सामान्य भविष्य निधि को देय		5.11		13.87			
प्राप्त किया गया अग्रिम ब्याज		—		0.47			
पेंशन निधि ट्रस्ट को देय		0.59		—			
अवकाश नकदीकरण निधि को देय		0.67		0.67			
दिल्ली विकास प्राधिकरण को देय		87.79		46.15			
		704.65		**737.71**		**704.65**	**737.71**

आर.ए. एंड कंपनी
चार्टेड अकाउंटेंट के लिए
संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

ह0/–
(मुख्य लेखाधिकारी)
ट्रस्टी

ह0/– | ह0/– | ह0/– | ह0/–

वरिष्ठ लेखाधिकारी (लेखा मुख्य) | उप मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा) | निदेशक (वित्त)/सलाहकार

ह0/–
(सी.ए. राशिद अली)
पार्टनर
एम.सं.507153
एफ आर.एन – 022935एन.
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.07.2018

दिल्ली विकास प्राधिकरण उपदान निधि ट्रस्ट
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि करोड़ में)

व्यय	31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु	आय	31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03. 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
	राशि	राशि		राशि	राशि
निवेश के क्रय पर प्रीमियम	–	0.17	निवेश पर अर्जित ब्याज	52.60	54.17
पूर्व अवधि मदें	0.00	–			
विविध व्यय	0.00				
व्यय पर आय की अधिकता	52.60	54.00			
	52.60	**54.17**		**52.60**	**54.17**

आर.ए. एंड कंपनी
चार्टेड अकाउंटेंट के लिए संलग्न
रिपोर्ट के अनुसार

ह0/– (सी.ए. राशिद अली)
पार्टनर
एम.सं. 507153
एफ.आर.एन. – 022935 एन.

ह0/– (मुख्य लेखाधिकारी)
ट्रस्टी

ह0/– वरिष्ठ लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)

ह0/– उप मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा)

ह0/– निदेशक (वित्त)/सलाहकार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.07.2018

(राशि करोड़ में)

उपदान निधि ट्रस्ट खाता

31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ

लेखा–शीर्ष	2017–18		2016–17
उपदान निधि			
आरंभिक शेष		111.02	31.89
निधि में प्राप्त			
दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्तियाँ	134.98		135.00
एन.ए.II मे प्राप्तियाँ	125.06		
सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट से प्राप्तियाँ	—		24.34
सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ ट्रस्ट से प्राप्तियाँ	11.80		—
उपदान निवेश का ब्याज	37.55		38.91
अवकाश नकदीकरण निधि ट्रस्ट से प्राप्तियाँ	12.70		—
आंतरिक लेखा इकाई	55.00		1.61
उपदान निधि का नकदीकरण	48.98		25.04
		426.07	
		537.09	**256.79**

भुगतान

लेखा–शीर्ष	2017–18		2016–17
उपदान निधि			
निवेश	46.70		6.22
संवितरण	137.87		132.89
सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट को भुगतान	8.76		—
दिल्ली विकास प्राधिकरण को भुगतान	74.13		—
शहरी विकास निधि को भुगतान	—		—
अवकाश नकदीकरण निधि ट्रस्ट को भुगतान	12.70		4.17
पेंशन निधि ट्रस्ट को भुगतान	(0.59)		0.88
सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ निधि ट्रस्ट को भुगतान	11.80		—
एन.ए.II को भुगतान	125.06		—
आंतरिक लेखा इकाई	55.00		1.61
विविध व्यय	0.00	471.43	—
अंतिम शेष		65.66	111.02
		537.09	**256.79**

ह0/
(मुख्य लेखाधिकारी)
ट्रस्टी

ह0/– वरिष्ठ लेखाधिकारी (लेखा) मुख्य

ह0/– उप मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा)

ह0/– निदेशक (वित्त)/परामर्शदाता

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.07.2018

दिल्ली विकास प्राधिकरण उपदान निधि ट्रस्ट

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और लेखा की टिप्पणी

1. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. वित्तीय विवरण, परम्परागत लागत रीति के अंतर्गत तैयार किया जाता है ।

ख. निवेशों को अंकित मूल्य के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है ।

ग. ब्याज को अक्रुअल (प्रोद्भवन) के आधार पर जाना जाता है ।

घ. निवेशों की खरीद पर प्रीमियम और छूट को क्रय के समय समायोजित किया जाता है ।

2. लेखा की टिप्पणी

नियोक्ता, दिल्ली विकास प्राधिकरण के खातों में मान्य सीमा तक अंशदान को रिकॉर्ड किया गया है जो 31.03.2018 को प्राप्त नवीनतम बीमांकिक मूल्य पर आधारित है।

म्यूचुअल फंड निवेशों पर आय की राशि को म्यूचुअल फंड के शोधन के समय से मान्य किया गया है ।

निवेशों को सरकारी प्रतिभूतियों, बान्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, एफ.डी.आर. और इंश्योरेंस कंपनियों में निवेश के रूप में समुचित रूप से वर्गीकृत किया गया है।

ह0/–
मुख्य लेखाधिकारी
ट्रस्टी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.07.2018

ह०/–	ह०/–	ह०/–
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेखा) मुख्य	उप मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा)	निदेशक (वित्त)/परामर्शदाता

दिल्ली विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए दि.वि.प्रा. लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रारूप पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

पैरा	लेखा-परीक्षा टिप्पणियाँ	दि.वि.प्रा. द्वारा उत्तर
क.	**नजूल-I**	
1.	**आय एवं व्यय खाता**	
1.1	**आय**	
1.1	**क्षतिपूर्ति से आय 1.75 करोड़ रूपये** वर्ष 2016-17 के लिए दि.वि.प्रा. के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में टिप्पणी संख्या ए. 2.1 (क) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें सभी क्षतिग्रस्त संपत्तियों के संबंध में उपार्जित आय को दर्ज न करने पर टिप्पणी की गई थी। वर्ष 2017-18 के दौरान भी यह देखा गया कि दि.वि.प्रा. ने केवल क्षतिपूर्ति प्रभारों से 1.75 करोड़ रूपये की आय दर्शायी है, जबकि चालू वर्ष के लिए क्षतिपूर्ति प्रभार की गणना 36.65[1] करोड़ रूपये की गई है। इस प्रकार क्षतिपूर्ति प्रभार के साथ विविध देनदारों से आय 34.90 करोड़ रूपये (36.65 करोड़ रूपये - 1.75 करोड़ रूपये) कम दर्शाये गये थे।	उन अनधिकृत अधिभोगियों, जिन्होंने स्वयं आगे आकर क्षतिपूर्ति प्रभार जमा किए हैं उनके संबंध में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान क्षतिपूर्ति प्रभार के रूप में 1.75 करोड़ रुपये की आय के लिए ही दि.वि.प्रा. उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, यह स्वीकार किया जाता है कि दिनांक 27.03.2008 को आयोजित की गई प्राधिकरण की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि नोटिसों को जारी करने पर रोक लगा दी जानी चाहिए और माननीय उप-राज्यपाल द्वारा प्राधिकरण के सम्मुख नीति निर्धारक दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग की गई। इसके बाद, क्षतिपूर्ति विभाग के अधिकांश अधिकारी/कर्मचारी अन्य अनुभागों में स्थानांतरित कर दिए गए और इसके बाद से यह अनुभाग स्टॉफ की कम संख्या के साथ कार्य कर रहा है। इसके बाद दिनांक 12.03.2012 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि क्षतिपूर्ति प्रभार के भुगतान नोटिस

1. अगस्त 2017 में दि.वि.प्रा. द्वारा यथा प्रदत अनाधिकृत अधिभोग के अंतर्गत नजूल-1 संपत्त्यिों के कुल क्षेत्र को वर्ष 2015-16 के क्षतिपूर्ति प्रभार के अनुसार जो कि दि.वि.प्रा. क्षतिपूर्ति प्रभार की उपलबध नवीनतम दर हैं। जो आवासीय श्रेणी में न्यूनतम क्षतिपूर्ति प्रभार के साथ गुणा करके लेख-परीक्षा इस राशि पर पहुँचा है। इस ऑकड़े पर पहुँचने के लिए वर्ष 2016-17 के एस.ए.आर. में अलग मानदंड था अत: यह ऑकड़ा वर्ष 2016-17 के एस.ए.आर. में दिये गए ऑकड़े के तुल्य नहीं हो सकता है।

	वर्ष 2016-17 में दि.वि.प्रा. की पृथक् लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में उठाये गये मुद्दों के बावजूद दि.वि.प्रा. द्वारा कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाये गये हैं।	जारी किए जाने चाहिए। तथापि, दि.वि.प्रा. में स्टॉफ की भारी कमी के कारण, क्षतिपूर्ति अनुभाग में स्टॉफ की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकी और इसी वजह से अनधिकृत निवासियों की मांग के मूल्यांकन के साथ-साथ उन्हें वार्षिक आधार पर नोटिस जारी नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त, यह सूचित किया जाता है कि अनधिकृत निवासियों द्वारा कब्जा की गई सम्पत्तियों को पुनः प्राप्त किया जा रहा है और इसके बाद, क्षतिपूर्ति से प्राप्त होने वाली आय का उपार्जित आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार इसे वित्तीय वर्ष 2018-19 के लेखा में शामिल किया जाएगा।
ख.	**नजूल-II**	
1.1	**तुलन-पत्र और आय एवं व्यय खाता तैयार न करना।** नजूल-II भारत सरकार की ओर से दि.वि.प्रा. द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि के अधिगृहण, विकास और निपटान कार्य-कलापों से संबंधित है। नजूल-II खाते के संबंध में दि.वि.प्रा. ने केवल प्राप्ति एवं भुगतान खाते तैयार किये थे। इस खाते में 31 मार्च, 2018 की समाप्ति पर 8421.08 करोड़ रुपये का निवेश था। लेखा-परीक्षा ने नजूल-II के लिए तुलन-पत्र और आय एवं व्यय खाता तैयार न करने पर बार-बार टिप्पणी कर रहा है, ताकि इस खाते से संबंधित परिसंपत्तियों और देयताओं का ठीक प्रकार से वर्णन किया जा सके। वर्ष 2012-13 से दि.वि.प्रा. की पृथक् लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में इस मुद्दे पर	वर्तमान में, नजूल-II का तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा तैयार नहीं किया जा रहा है, केवल प्राप्ति और भुगतान लेखा तैयार किया जाता है। तथापि, दि.वि.प्रा. दिनांक 31.03.2020 तक भूमि रिकॉर्ड तैयार करने के बाद नजूल-II के तुलन-पत्र को तैयार करने के लिए "सैद्धांतिक रूप" से सहमत हो गया है, जिसके लिए इस कार्यालय के दिनांक 26.11.2015 के पत्र संख्या एफ6(10)2013-14/लेखे(एम)/डीडीए/373 के अनुसार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को अवगत कराया गया है। भूमि रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है और तदनुसार विषयगत बैठक में माननीय उप-राज्यपाल द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है, भूमि रिकॉर्ड तैयार हो जाने के बाद नजूल-II के तुलन-पत्र को तैयार करने का कार्य

	टिप्पणी शामिल की जा रही है, लेकिन दि.वि.प्रा. द्वारा कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाये गये हैं।	किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नजूल-II के आय एवं व्यय खाते और तुलन-पत्र का प्ररूप तैयार करने, दि.वि.प्रा. के समेकित वार्षिक लेखों हेतु लेखांकन प्ररूपों को तैयार करने, लेखांकन मैनुअल को तैयार करने और संशोधित लेखांकन ढांचे को कार्य रूप में परिणत करने से संबंधित परामर्श कार्य को दिनांक 26.06.2018 को आई.पी.ए.आई. को सौंप दिया गया है और आई.पी.ए.आई. टीम इस पर कार्य कर रही है और यह कार्य प्रगति पर है। अनुसूची के अनुसार, प्ररूपों और लेखांकन मैनुअल को तैयार करने का कार्य दिनांक 31.03.2019 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। आई.पी.ए.आई टीम ने हाल ही में नजूल-II आय एवं व्यय खाते तथा तुलन-पत्र के मसौदा प्ररूप को प्रस्तुत किया है तथा स्वायत्त निकायों हेतु लेखों के एक समान रूप के अनुसार दि.वि.प्रा. द्वारा इस पर विचार किया गया है तथा आई.पी.ए.आई. को इसमें अपेक्षित संशोधनों को शामिल करने का सुझाव दिया गया है।
ग	**सामान्य विकास खाता**	
1.1	**तुलन-पत्र**	
1.1	**आरक्षित एवं अधिशेष (अनुसूची-ए) 11901.25 करोड़ रुपये**	
1.1.1	**ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि 791.75 करोड़ रुपये**	
(क)	वर्ष 2016-17 को समाप्त वर्ष के लिए दि.वि.प्रा के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एस.ए.आर.) में टिप्पणी सं. सी 1.2 (ख) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो ई.डब्ल्यू.एस. आवासों के निर्माण पर किए गए ऊपरी व्यय को शामिल नहीं किए जाने के संबंध में है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017-	यह बताया जाता है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) के अंतर्गत उपयोग न की गई राशि के निर्धारण के लिए अधिशेष निधि के विनियोजन से ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि का सृजन किया है, जिसे अगले पांच वर्ष के लिए अथवा इसके उपयोग तक जो भी पहले हो जारी रखा जाएगा। ई.डब्ल्यू.एस. आवास योजना के व्यय भी दि.वि.प्रा की

	18 के दौरान दि.वि.प्रा. ने ई.डब्ल्यू.एस. आवासों के निर्माण पर किए गए 269.73 करोड़ रुपए के व्यय पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त खर्च होने पर 40.46 करोड़ रुपये की राशि को शामिल नहीं किया है। ई.डब्ल्यू.एस. माल-सूची की कीमत में वृद्धि होने पर इसे अर्थात् ऊपरी व्यय सहित व्ययों को, ई.डब्ल्यू.एस. निधि में शामिल किया जाना चाहिए था, जबकि इसे आय एवं व्यय खाते में दर्शाया गया है। इसका अनुपालन न किया जाना निधि आधारित लेखाकरण और पूर्ण प्रकटीकरण के सिद्धातों के विरूद्ध है। वर्ष 2016-17 में उठाये गये मुद्दों के बावजूद दि.वि.प्रा. द्वारा कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाये गये हैं।	अन्य आवास योजनाओं जैसे कि एल.आई.जी., एम.आई.जी. और एच.आई.जी. के व्यय की प्रकृति के हैं, हालांकि केवल ई.डब्ल्यू.एस. आवास योजनाओं के व्यय की पहचान करने और आय एवं व्यय लेखों में पृथक् रूप से दर्शाया जाता है। इसलिए वर्तमान में इन्हें इस वर्ष के आय एवं व्यय खाते में अन्य स्कीमों के व्यय एवं आय की तरह से जमा/नामे किया जा रहा है। इस संदर्भ में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) में प्रावधान है:- जहाँ उप धारा (1) के स्पष्टीकरण के साथ उप धारा (1) के खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) में बताई गई आय का पचासी प्रतिशत पिछले वर्ष के दौरान भारत में धर्मार्थ अथवा धार्मिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है अथवा प्रयोग किया हुआ नहीं समझा जाता है, बल्कि भारत में ऐसे उद्देश्यों के प्रयोग के लिए पूर्ण अथवा आंशिक रूप में संचित अथवा अलग रखा जाता है, तो इस प्रकार की संचित अथवा अलग रखी गई ऐसी आय को आय प्राप्त करने वाले व्यकित की पिछले वर्ष की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा, बशर्ते निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाए अर्थात्:- (क) ऐसा व्यकित कर-निर्धारण अधिकारी को निर्धारित तरीके से लिखित रूप में दिए गए नोटिस द्वारा उस उद्देश्य, जिसके लिए आय को संचित अथवा अलग रखा जा रहा है और उस अवधि को विनिर्दिष्ट करेगा जिसके लिए आय को संचित किया जाना है अथवा अलग रखा जाना है

		जो किसी भी स्थिति में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। (ख)इस प्रकार संचित की गई अथवा अलग रखी गई राशि उप धारा (5) में निर्दिष्ट तरीके अथवा पद्धतियों से निवेश अथवा जमा की जाती है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) के अंतर्गत भेजी गई उपयोग न की गई राशि के लिए निधि आधारित लेखाकरण का पालन करना आवश्यक नहीं है,लेकिन ग्राहक को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित आय अभिकलन और प्रकट किए गए मानकों का पालन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह बताया जाता है कि न तो धारा 11(2) में यह स्पष्ट है कि अप्रयुक्त राशि के उपयोग के बाद सृजित परिसंपत्तियों को भविष्य में उपयोग के लिए अलग से निर्धारित उपयोग न की गई राशि में क्रेडिट के समान माना जाएगा और न ही नॉन-फॉर-प्रोफिट ऑर्गनाइजेशन के लिए लेखाकरण हेतु तकनीकी गाइड के पैरा 111 के अनुसार निर्दिष्ट निधि के लिए निधि आधारित लेखाकरण जरूरी नहीं है।
(ख)	वर्ष 2016-17 को समाप्त वर्ष के लिए दि.वि.प्रा के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एस.ए.आर.) में टिप्पणी सं. सी 1.2 (क) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह टिप्पणी की गई थी कि दि.वि.प्रा. ई.डब्ल्यू.एस. आवास के लिए पृथक आरक्षित निधि रखता है। जबकि दि.वि.प्रा. ई.डब्ल्यू.एस. निधि से ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैटों के निर्माण पर किए गए व्यय को घटाता है। इसलिए अब तक निर्मित फ्लैटों को एलआईजी की	(क) ई.डब्ल्यू.एस. आवास स्कीम व्यय एक लेखाकरण शीर्ष है जिसे आयकर अधिनियम की धारा 11(2) के अंतर्गत अग्रेनीत निधि के उपयोग की पहचान के लिए सृजित किया है। दि.वि.प्रा. की सभी आवास निर्माण संबंधी कार्यकलाप हितैषी हैं और धारा 12 ए ए के अंतर्गत आते हैं। ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि सामान्य विकास खाते (जी.डी.ए.) का अपना स्वयं का फंड है तथा इसे केवल पहचान के लिए बनाया गया है इसलिए इसमें किसी भी समायोजन का जी.डी.ए की परिसंपत्तियों अथवा

	दि.वि.प्रा. आवासों की सूची के अंतर्गत भेज दिया गया/बिक्री के लिए रखा गया और ये ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अंतर्गत नहीं थे। पिछले वर्ष की टिप्पणी के अनुसार ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के 22,577 फ्लैटों को हाउसिंग स्कीम 2014 के अंतर्गत विक्रय के लिए रखा गया था और आवासीय योजना 2017 के अंतर्गत 268 फ्लैटों को एल.आई.जी. के रूप में विक्रय के लिए रखा गया। पिछले वर्ष में दि.वि.प्रा. द्वारा दिये गये आश्वासनों के बावजूद 2017-18 में दि.वि.प्रा. द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	देयताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम आगे यह भी बताते हैं कि ई.डब्ल्यू.एस. आय को वार्षिक लेखों में पृथक रूप से दर्शाया नहीं जा रहा है इसलिए जी.डी.ए. के तुलन-पत्र अथवा आय एवं खाते में कोई प्रभाव पड़ रहा है। संचित निधि के उपयोग/व्यय को दर्शाया जाना है और ऐसी निधि में से आय का उपयोग नहीं किया जाना है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए जबकि यदि ई.डब्ल्यू.एस. आवासों को एल.आई.जी. के रूप में बेचा गया है तो यह व्यय धारा 11(2) के अंतर्गत शर्तों को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त चूंकि यह एक निधि (फंड) नहीं है बल्कि एक विशेष आरक्षित है इसलिए हम वित्त वर्ष 2018-19 में "ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि" शीर्ष से "ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित" शीर्ष में परिवर्तन कर देंगे।
1.2	**वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची-सी)**	
1.2.1	**भूमि हेतु विविध लेनदार** **9.82 करोड़ रुपये** वर्ष 2016-17 के लिए दि.वि.प्रा. के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा-परीक्षा (एस.ए.आर.) में टिप्पणी सं. 2.2 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। लेखा-परीक्षा द्वारा ध्यान दिलाए जाने के बावजूद भूमि की खरीद के लिए पुनर्वास मंत्रालय की बकाया 3.82 करोड़ रूपए की मूल राशि पर देय ब्याज के रूप	दि.वि.प्रा. कभी भी ब्याज देयता से सहमत नहीं हुआ है, क्योंकि अपनी ओर से कोई भुगतान नहीं किया गया। भूमि/स्थान का कुछ भाग जिसे पैकेज डील के अनुसार दि.वि.प्रा. को हस्तांतरित किया गया था, वास्तविक रूप से विद्यमान नहीं थे। इस प्रकार दि.वि.प्रा. की ओर से कमी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता तथा दि.वि.प्रा. से ब्याज देयता स्वीकार्य नहीं है।

	में दि.वि.प्रा. द्वारा कोई देयता नहीं दी गई है। देय ब्याज की राशि 31 मार्च, 2018 तक बढ़ाकर 11.86 करोड़ रुपये कर दी गई है (दिसंबर 1991 तक 1.84 करोड़ रुपए + जनवरी 1992 से मार्च 2017 तक 9.64 करोड़ रुपए+ब्याज की वास्तविक दर की उपलब्धता के अभाव में दस प्रतिशत वार्षिक की दर से परिकलित चालू वर्ष अर्थात् 2017-18 के लिए 0.38 करोड़ रुपए)। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं में 11.86 करोड़ रुपये, पूर्व अवधि व्यय में 11.48 करोड़ रुपये और वर्तमान वर्ष के व्यय में 0.38 करोड़ रुपये की कमी दिखाई गई है। इस मुद्दे पर टिप्पणी दि.वि.प्रा. के एस.ए.आर. में 2015-16 से शामिल की जा रही है, लेकिन कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	3.82 करोड़ रुपये के शेष भुगतान पर ब्याज देयता के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि दि.वि.प्रा. ने भुगतान करने में कमी नहीं की है। पुनर्वास मंत्रालय के रिकार्ड में भूमि दि.वि.प्रा. को हस्तांतरित मानी गई है, लेकिन वास्तविक कब्जा दि.वि.प्रा. के पास नहीं है। ब्याज की देयता के सृजन का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि दि.वि.प्रा. के भाग पर कोई कमी नहीं है।
1.3	**वर्तमान परिसंपत्तियाँ**	
1.3.1	**माल-सूची**	
(i)	**प्रगतिधीन कार्य (निर्माणाधीन आवास) 6441.43 करोड़ रुपये** दि.वि.प्रा. के वित्तीय विवरण पर क्रमश: वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 4.2 (ख), 4.3 (ग) और 3.1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। चालू वर्ष 2017-18 के दौरान दि.वि.प्रा. ने ई.डब्ल्यू.एस. निधि, जो विशेषत: इस उद्देश्य के लिए बनाई गई है, मे से ई.डब्ल्यू.एस. आवासों के निर्माण पर 269.73 करोड़ रुपये व्यय किए। तथापि, ई.डब्ल्यू.एस. निधि का उपयोग करके बनाई गई परिसम्पत्तियां (ई.डब्ल्यू.एस. आवासों का प्रगतिधीन कार्य और फीनिश्ड	दि.वि.प्रा. डब्ल्यू.आई.पी. और फिनिश्ड स्टॉक की कुल राशि को लगातार दर्शा रहा है जिसमें स्टॉक और ई.डब्ल्यू.एस. आवासों की कार्य प्रगति तथा अपने तुलन-पत्र में सभी अन्य स्कीमें शामिल है। माल-सूची का स्कीमवार विवरण जिसमें दि.वि.प्रा. की लेखा बही अर्थात् डब्ल्यू.आई.पी. तैयार स्टॉक लेखा बही में यथा उपलब्ध ई.डब्ल्यू.एस. आवास से संबंधित डब्ल्यू.आई.पी. शामिल है, को लेखा-परीक्षा के लिए पहले से ही उपलब्ध करा दिया गया था। ई.डब्ल्यू.एस. आवास स्कीम व्यय दि.वि.प्रा. के उन व्ययों के

	स्टॉक) तुलन-पत्र की अनुसूची-एफ में पृथक रूप से दर्शायी नहीं गई है, जबकि, ई.डब्ल्यू.एस. निधि के लिए निवेश, जो एक अन्य चालू परिसम्पत्ति है, को पृथक रूप से दर्शाया जा रहा है। ई.डब्ल्यू.एस. आवास (फीनिश्ड स्टॉक के साथ-साथ प्रगतिधीन कार्य) निर्मित आवासों के कुल प्रगतिधीन और फीनिश्ड स्टॉक का एक बड़ा भाग है। तथापि, पृथक शीर्ष के अंतर्गत ईडब्ल्यू.एस. आवासों के अप्रकटीकरण के कारण ई.डब्ल्यू.एस. आवासों के कुल निर्माण के लिए उपयोग की गई संचयी राशि को सत्यापित नहीं किया गया। अत: एक महत्वपूर्ण तथ्य होने के कारण पृथक शीर्ष के अंतर्गत ई.डब्ल्यू.एस. आवासों का अप्रकटीकरण पूर्ण प्रकटीकरण के सिद्धांत के विरूद्ध है। वर्ष 2014-15 से दि.वि.प्रा. की पृथक् लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में इस मुद्दे पर टिप्पणी शामिल की जा रही है, लेकिन दि.वि.प्रा. द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	समान प्रकृति के हैं जैसे एल.आई.जी., एम.आई.जी., एच.आई.जी. आवास स्कीम आदि के मामले में हैं, तथापि ई.डब्ल्यू.एस. व्ययों की केवल पहचान के लिए आय एवं व्यय खाते में अलग से दर्शाया गया है इसलिए इसे अन्य स्कीमों के व्ययों और आय के रूप में वर्ष के लिए आय एव व्यय खाते में सही प्रकार से जमा/नामे किया गया है। आय एवं व्यय खाते में, किसी भी स्कीम की किसी भी डब्ल्यू. आई.पी. माल-सूची को अलग से नहीं दर्शाया गया है इसलिए ई.डब्ल्यू.एस. आवासों से संबंधित डब्ल्यू. आई. पी. और माल-सूची को अलग से दर्शाये जाने को आवश्यक नहीं समझा गया। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए दि.वि.प्रा. ने माल-सूची की कुल राशि को ठीक प्रकार से दर्शाया है जिसमें ई.डब्ल्यू.एस. आवासों के साथ स्टॉक और कार्य प्रगति शामिल हैं।
(ii)	**निर्मित आवासों का फीनिश्ड स्टॉक (अनुसूची-एफ) 2782.56 करोड़ रुपये** 1643 एस.एफ.एस./एच.आई.जी. फ्लैटों के संबंध में उपर्युक्त में 354.35 करोड़ रुपये शामिल हैं। लेखा-परीक्षा द्वारा 346 मामलों के विवरण की जाँच की गई, अर्थात् संबंधित जोन द्वारा यथा प्रस्तुत खाली फ्लैटों की सूची और यह पाया कि इन 346 फ्लैटों के बदले केवल 49 फ्लैटों को 31 मार्च, 2018 को इन जोनल रिपोर्टों में खाली दिखाया गया था। यह दर्शाता है कि वित्तीय विवरण के लिए मानी गई 346 फ्लैटों की सम्पत्ति सूची को 297 एस.एफ.एस./एच.आई.जी. फ्लैटों की सीमा तक 130.37	यह बताया जाता है कि वर्ष के दौरान निर्मित एस.एफ.एस./एच.आई.जी. आवासों के फीनिश्ड स्टॉक में कुछ भी जोड़ा नहीं गया है। इसके अतिरिक्त, लेखाकरण नीति संख्या 7(ए) के अनुसार उस समय आवास की बिक्री की पहचान की गई जब आबंटितियों को कब्जा-पत्र जारी कर दिए गए। जब भी आबंटितियों को कब्जा-पत्र जारी किए जाते हैं तभी उन्हें तैयार स्टॉक माल-सूची में से हटा लिया जाता है। तद्नुसार वर्ष के दौरान दि.वि.प्रा. ने दिनांक 31.03.2017 को माल-सूची खोलने से वर्ष के

	करोड़ रु तक अधिक दर्शाया गया था। इस प्रकार सकल प्रावधानों की सम्पत्ति सूची को 111.94 तक अधिक दर्शाया गया था। (कार्य पूरा करने के लिए लागत हेतु 130.37 करोड़ - 18.43 करोड़ का प्रावधान)। इसके परिणामस्वरूप आरक्षित और अधिशेष को उपर्युक्त सीमा तक अधिक दर्शाया गया। चूँकि यह परिक्षण जाँच केवल 346 एस.एफ.एस./एच.आई.जी. फ्लैटों से संबंधित है। इसलिए शेष एस.एफ.एस./एच.आई.जी. फ्लैटों के साथ-साथ अन्य श्रेणियों के फ्लैटों अर्थात् एम.आई.जी./एल.आई.जी./जनता में ऐसे अधिक वर्णन की लेखा-परीक्षामें टिप्पणी नहीं की जा सकी।	दौरान जारी किए गए कब्जा-पत्र के आधार पर हाउसिंग स्टॉक की बिक्री को कम किया है। इसलिए तुलन-पत्र में माल-सूची को 130.37 करोड़ रुपये तक अधिक नहीं दर्शाया है।
1.3.2	**विविध देनदार** **503.32 करोड़ रुपये** 31 मार्च, 2018 को सामान्य विकास निधि लेखा के तुलन-पत्र में विविध देनदारी 503.32 करोड़ रुपये दर्शायी गई । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लेखा टिप्पणियों नोट सं. 11 के अनुसार यह सूचित किया है कि 31 मार्च, 2018 के अनुसार विविध देनदारों की पार्टीवार और आयुवार जानकारीका उचित समाधान तुरन्त उपलब्ध नहीं है । इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने देनदारों की पार्टीवार और आयुवार ब्रेकअप नहीं रखा है, चूंकि इस प्रकार की लेखा परीक्षा द्वारा 31 मार्च, 2018 के अनुसार समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलन-पत्र में दर्शाए गए 503.32 करोड़ रुपये के मूल्य में के लिए विविध देनदारों की प्रामाणिकता, स्थिति और वसूली योग्यता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। केवल लेखा की टिप्पणी में की इस बात के प्रकटीकरण कि देनदारों का समाधान नहीं	दि.वि.प्रा. विविध देनदारों का पार्टी वार और आयु वार विवरण तैयार करने में असमर्थ है क्योंकि रिकॉर्ड 30 वर्ष से अधिक पुराने है। तथापि संबंधित शाखाओं को विविध देनदारों का निपटान और समयबद्ध ढ़ंग से इनकी तेजी से वसूली करने का निर्देश दिया गया है इसके अतिरिक्त यह बताया जाता है कि विविधि देनदारों में आवासों, दुकानों, लाइसेंस फीस और जल प्रभार से संबंधित देनदार भी शामिल हैं। दुकानों, लाइसेंस फीस और जल प्रभारों की देनदारों को मांग नोटिस भेजकर वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं। आवास से संबंधित विविध देनदारों के संबंध में यह बताया जाता है कि ये अधिकांश किराया-खरीद आधार पर फ्लैटों के आबंटिती है, जिन्होंने कार्यक्रम के अनुसार अपनी किस्तें जमा नहीं करवायी है, तथापि जब भी वे फ्लैट के लीज होल्ड से फ्री होल्ड में

	किया गया है, पर्याप्त नहीं है। इस मुद्दे पर टिप्पणी भारत महालेखा परीक्षक की पृथक् लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में वर्ष 2013-14 से शामिल की जा रही है, लेकिन दि.वि.प्रा. देनदारों की पार्टीवार और अवधि वार विवरण को सुरक्षित रखने में असमर्थ रहा है।	परिवर्तन के लिए आवेदन करते हैं तब उन्हें उचित जुर्माने के साथ भुगतान न की गई किस्ते जमा करवानी होंगी। इस प्रकार ऐसे ऋण की वसूली की जा रही है।
2.	**आय एवं व्यय खाता**	
2.1	**आय**	
2.1.1	**ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि 62.48 करोड़ रुपये** वर्ष 2016-17 के लिए दि.वि.प्रा. के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा रिपोर्टों (एस.ए.आर.) में टिप्पणी संख्या डी.1.2. के लिए संदर्भ प्रस्तुत है, जिसमें आय तथा व्यय लेखा में ईडब्ल्यू.एस. आरक्षित निधि के निवेश से प्राप्त ब्याज आय के वर्गीकरण को इंगित किया गया है । चालू वर्ष 2017-18 में भी, निधि आधारित लेखा के सिद्धांत के अनुसार आय तथा व्यय लेखा में 62.48 करोड़ की आय बुक की गई है । इसके परिणामस्वरुप आय में अतिरिक्त वृद्धि व घाटे में 62.48 करोड़ रुपये कम दर्शाये गये हैं। वर्ष 2016-17 में इंगित किये जाने के बावजूद दि.वि.प्रा. द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षित फंड दि.वि.प्रा. के आरक्षित और अधिशेष से बनायागया अपना स्वयं का फंड है। पृथक पहचान हेतु स्वयं के उपयोग एवं लेखांकित फंड के लिए फंड आधारित लेखाकरण लागू करने हेतु किसी कानून अथवा किसी लेखाकरण सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार इस आरक्षित फंड पर ब्याज आय को सामान्य विकास खाता से अलग दर्शाया गया है और ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित फंड के निवेश से आय को दि.वि.प्रा. की आय के रूप में अनुसूची-एच में दर्शाया गया है। चूंकि इस ब्याज आय को दि.वि.प्रा. के आय एवं व्यय खाते में लिया गया है इसलिए सामान्य राजस्व आरक्षित में शामिल ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षित निधि पर ब्याज आय के प्रभाव को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से इस राशि को ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षित निधि से सामान्य राजस्व आरक्षित निधि में हस्तांतरित कर दिया गया है। ऐसी कार्य प्रक्रिया का लगातार पालन किया जा रहा है।

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.1.2.</td><td>स्टॉक एवं कार्य में वृद्धि/(कमी) 2424.88 करोड़ रुपये
वर्ष 2016-17 के लिए दि.वि.प्रा. के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा (सी.ए.जी.) की पृथक लेखा रिपोर्ट (एस.ए.आर.) में टिप्पणी सं. डी.2.1. का संदर्भ प्रस्तुत है, जिसमें आय तथा व्यय लेखा में ई.डब्ल्यू.एस. की बुकिंग के लिए इंगित किया गया था । चालू वर्ष 2017-18 के दौरान भी प्रगतिधीन कार्य में वृद्धि द्वारा 310.19 करोड़ रुपये की आय (15 प्रतिशत की दर पर ऊपरी व्यय के लिए 40.46 करोड़ रुपये सहित 269.73 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष व्यय) निधि आधारित लेखा के सिद्धांत के विरुद्ध आय और व्यय लेखा में बुक किया गया है ।
इसके परिणामस्वरुप आय में वृद्धि और घाटे में 310.19 करोड़ रुपये की कमी दर्शायी गई है ।
वर्ष 2015-16 में इंगित किये जाने के बावजूद दि.वि.प्रा. द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।</td><td>आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में अधिशेष फंड के विनियोग से ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि बनाई गई सामान्य रूप से स्वीकार किए जाने वाले लेखाकरण सिद्धातों के अनुपालन में ई.डब्ल्यू.एस. आवास स्कीमों के लिए खर्च किए गए व्यय उस वर्ष में आय एवं व्यय खाते में परिवर्तित किए जा रहे हैं, जिसमें इन्हें वास्तविक रूप से खर्च किया गया है।
वर्ष 2017-18 के दौरान ई.डब्ल्यू.एस. आवास योजनाओं पर 269.73 करोड़ रुपए की कमी आई। राजस्व खाते में अधिशेष' पर इसके प्रभाव को निष्प्रभावित करने के लिए 'ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि ' से 269.73 करोड़ रुपए 'राजस्व खाते में अधिशेष ' में अंतरित किए गए। दोनों दि.वि.प्रा. के रिजर्व हैं और ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि' और कुछ नहीं बल्कि सामान्य आरक्षित निधि का हिस्सा है, जिसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11(2) के अंतर्गत भविष्य में इसकी पहचान और उपयोगका ध्यान रखने के लिए बनाया गया। ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि से अधिशेष खाते में राजस्व में अंतरित करने की लेखाकरण व्यवस्था का निरंतर पालन किया जा रहा है।

यह भी सप्ष्ट किया जाता है कि आवासों की श्रेणियों की ओर ध्यान दिए बिना ठेकेदारों को किए गए निर्माण भुगतान की निवल लागत पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार को जोड़नें के बाद प्रगतिधीन कार्य पर</td></tr>
</table>

		पहुंचा गया है। अत: आय एवं व्यय खाते में स्टॉक एवं वर्क्स में वृद्धि/कमी के अंतर्गत आय में कोई अधिकता नहीं हैं।
2.1.3	**लाइसेंस शुल्क (अनुसूची-जी) 60.81 करोड़ रुपये**	
(क)	इसमें नजूल-II से संबंधित भूमि पर लगाए गए मोबाइल टावरों से अर्जित लाइसेंस शुल्क के संबंध में 17.12 करोड़ रुपये की राशि शामिल है । इसलिए इसे जी.डी.ए. के स्थान पर नजूल- II की पुस्तकों में बुक किया जाना चाहिए था । इसके परिणामस्वरुप आय में 17.12 करोड़ रुपये की वृद्धि और समान रुप से वर्तमान दायित्वों और उपबन्धों में कमी दिखाई गई ।	अगले वित्त वर्ष अर्थात् 2018-19 में आवश्यक सुधार प्रविष्टि कर दी जाएगी।
2.2	**व्यय**	
2.2.1	**संस्थापना एवं प्रशासन 562.09 करोड़ रुपये**	
	इसमें दिनांक 21 दिसंबर, 2017 से प्रभावी कार्यालय क्लर्क मेट (ओ.सी.एम.) को देय बकाया राशि के लिए 28.58 करोड़ रुपये की राशि शामिल नहीं है । चूंकि व्यय चालू वर्ष से संबंधित है, अत: लेखा पुस्तिका में प्रावधान किया जाना चाहिए था । इस प्रकार, उपार्जित आधार पर उपर्युक्त व्यय की गैर-बुकिंग के परिणामस्वरुप व्यय तथा घाटे में 28.58 करोड़ रुपये की कमी हुई है ।	यह बताया जाता है कि दिनांक 21.12.2017 से ऑफिस क्लर्क मेट को सेलेक्शन ग्रेड प्रदान करने के आदेश दिनांक 07.05.2018 को जारी और परिचालित किए गए। इस प्रकार वित्त वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखों में देय बकाया राशि (एरियर) के लिए प्रावधान नहीं किया जा सका। तथापि, इसकी समीक्षा की जाएगी तथा पूर्व अवधि के माध्यम से अगले वित्त वर्ष अर्थात् 2018-19 के लेखों में आवश्यक समायोजन किया जाएगा।
2.2.2	**विनिर्दिष्ट आवासीय स्कीम-ई.डब्ल्यू.एस. 269.73 करोड़ रुपये** वर्ष 2016-17 के लिए दि.वि.प्रा. के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की पृथक लेखा रिपोर्ट (एस.ए.आर.) में टिप्पणी सं.डी.2.1 का संदर्भ प्रस्तुत है, जिसमें आय तथा	ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि का सृजन आय कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में अधिशेष निधि के विनियोजन से किया गया है। सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसरण में ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय स्कीमों के लिए किए गए व्यय को उसी वर्ष जिसमें वह व्यय

	व्यय लेखा में ई.डब्ल्यू.एस. की बुकिंग के लिए इंगित किया गया था । चालू वर्ष, 2017-18 के दौरान भी प्रगतिधीन कार्य में बढ़ोत्तरी द्वारा 310.19 करोड़ रुपये की आय (15 *प्रतिशत* की दर पर ऊपरी व्यय के लिए 40.46 करोड़ रुपये सहित 269.73 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष व्यय) निधि आधारित लेखा के सिद्धांत के विरुद्ध आय और व्यय लेखा में बुक किया गया है । इसके परिणामस्वरुप आय में वृद्धि और घाटे में 310.19 करोड़ रुपये की कमी दर्शायी गई है । वर्ष 2015-16 से एस.ए.आर. में इस मुद्दे पर टिप्पणी किये जाने के बावजूद दि.वि.प्रा. द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	वास्तविक रूप में किया गया है, में आय एवं व्यय खाते में प्रभारितकिया जा रहा है। वर्ष 2017-18 के दौरान ई.डब्ल्यू.एस. आवास योजनाओं पर 269.73 करोड़ रुपए उपगत किए गए और इसके परिणामस्वरूप राजस्व खाते में अधिशेष में 269.73 करोड़ रुपए की कमी आई। 'राजस्व खाते में अधिशेष' पर इसके प्रभाव को निष्प्रभावित करने के लिए 'ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि' से 269.73 करोड़ रुपए 'राजस्व खाते में अधिशेष' में अंतरित किए गए। दोनों दि.वि.प्रा. के रिजर्व हैं और 'ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि' और कुछ नहीं बल्कि सामान्य आरक्षित निधि का हिस्सा है, जिसे आयकर अधिनियू 1961 की धारा 11(2) के अंतर्गत भविष्य में इसकी पहचान और उपयोग के लिए ध्यान रखने के लिए बनाया गया है। ई.डब्ल्यू.एस. योजना पर उपगत व्यय को ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि से अधिशेष खाते में राजस्व को अंतरित करने की लेखाकरण व्यवस्था का निरंतर पालन किया जा रहा है।
3.	**महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां (अनुसूची-एन)**	
3.1	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय स्वायत निकायों के लिए निर्धारित (नवम्बर 2000) एक समान लेखा-प्रारूप के अनुसार संस्था निवेशों उनकी लागत, ह्रास तथा मूल लागत लम्बी अवधि तथा चालू निवेश दोनों के लिए, को प्रकट करना होगा। लेखा-परीक्षा ने पाया कि दि.वि.प्रा. ने 24113.92 करोड़ रुपये (जीडीए-रू 9779.13 करोड़, नज़ूल	निवेशों के संबंध में लेखाकरण नीति अगले वित्त वर्ष अर्थात् 2018-19 में बताई जाएगी।

	II, रू 7990.98 करोड़, पेंशन निधि न्यास- रू 5720.04 करोड़ तथा उपादान निधि न्यास- रू 623.77 करोड़) निवेश किए हैं, परंतु एक समान लेखा प्रारूप के अनुसार निवेश के संबंध में लेखाकरण नीति को महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों में प्रकट नहीं किया गया है अत: निवेश के लिए उचित लेखाकरण नीति के प्रकटीकरण की सीमा तक महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां कम हैं।	
3.2	**राजस्व प्राप्त** दि.वि.प्रा. के वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के वित्तीय विविरण पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणी सं. सी-3, डी-2, तथा ई. 1.1 के संदर्भ में यह आमंत्रित किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि लेखाकरण नीति के अनुसार, किराया आय को उपार्जित आधार पर स्वीकृत किया जाता है और भू-भाटक आय और सेवा-प्रभारों को नकद आधार पर परिकलित किया जाता है। चूंकि अंतिम लेखों को उपार्जित आधार पर तैयार किया जाता है इसलिए भू-भाटक और सेवा-प्रभारों को भी उपार्जित आधार पर तैयार किए जाएं और जिस आय की वसूली में संदेह है उसके लिए प्रावधान बनाया जाए। जैसा कि दि.वि.प्रा के पास उन सभी आबंटितों का विवरण है, जिनसे भू-भाटक प्राप्त करना है, भू-भाटक के खाते पर आय को मुद्रा के रूप में परिमित तथा करनिर्धार्य किया जा सकता है। अत: सत्य व निष्पक्ष दृष्टि को प्रस्तुत करने के लिए दि.वि.प्रा. को भू-भाटक आय को वार्षिक रूप से उपार्जित आधार पर उल्लेखित करना चाहिए।	भू-भाटक के मामले में अधिकतर आबंटिती भू-भाटक और सेवा प्रभारों को एकमुश्त रूप से संपत्ति को लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड में परिवर्तित कराने के समय जमा कराते हैं। चूंकि भू-भाटक से प्राप्त आय का पता लगा पाना निश्चित नहीं है, दि.वि.प्रा. ने इन प्रभारों का परिवर्तन के समय पता लगाने की नीति अपनाई है। लेखाकरण का यह उपाय ए.एस.-9 "राजस्व पहचान" के अनुरूप है, जिसमें यह व्यवस्था है कि आय की पहचान केवल तभी की जाएगी, जब इसकी वसूली निश्चित हो जाएगी। ए.एस.-9 के पैरा 9.2 के अनुसर, " जबकि कोई भी दावा करने के समय पर अंतिम संग्रहण को तर्कसंगत निश्चितता के साथ आकलन करने की क्षमता का अभाव हो, तब जिस सीमा तक अनिश्चितता शामिल होती है, वहाँ तक राजस्व की पहचान स्थगित हो जाती है। ऐसे मामलों में राजस्व की पहचान केवल वहीं होती है, जहाँ अंतिम संग्रहण सुनिश्चित होता है।" तद्नुसार, दि.वि. प्रा. प्रारंभ से लगातार भू-भाटक और सेवा प्रभारों की

	वर्ष 2014-15 से एस.ए.आर. में इस मुद्दे पर टिप्पणी किये जाने के बावजूद दि.वि.प्रा. द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	पहचान के लिए लेखाकरण नीति सं. 7 (घ) का पालन कर रहा है।
3.3	दि.वि.प्रा. के वर्ष 2016-17 के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में क्रमश: टिप्पणी संख्या ई 1.2 पर संदर्भ आमंत्रित किया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि शहरी विकास निधि (यू.डी.एफ.) खाते में से दिए गए ऋण पर ब्याज लिया गया और उस ब्याज को प्राप्ति आधार पर निधि खाते में क्रेडिट किया गया, यद्यपि खाते को उपार्जित आधार पर तैयार किया गया। दि.वि.प्रा. में लगातार उल्लेख करने के बावजूद सरकारी ऋणों पर ब्याज के खाते को प्राप्ति आधार पर दर्शाया गया । इसके परिणामस्वरूप शहरी विकास निधि में 5.95[2] करोड़ रूपये तक की कमी दर्शायी गई। इस मुद्दे पर टिप्पणी पर वर्ष 2014-15 से दि.वि.प्रा. के एस.ए.आर. में शामिल किया गया था। तथापि, दि.वि.प्रा. द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	प्राप्ति आधार पर यू.डी.एफ. ऋण पर ब्याज की पहचान के संबंध में यह बताया गया है कि यू.डी.एफ. ऋण पर ब्याज प्राधिकरण की आय नहीं है और प्राधिकरण के आय एवं व्यय लेखा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चूंकि, ऋण पर ब्याज की पहचान लेखाकरण नीति सं. 15 के अनुसार प्राप्ति आधार पर की जा रही है।
4.	**लेखों के लिए टिप्पणी (अनुसूची-ओ)**	
4.1	**आकस्मिक देयताएं 3133.93 करोड़ रुपये**	
4.1.1 (i)	इसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरूद्ध मैसर्स एमार एम.जी.एफ. कंस्ट्रक्शन प्रा.लिमिटेड द्वारा दायर एक माध्यस्थम मामले के संबंध में 2,884.87 करोड़ रू. शामिल हैं। तथापि लेखा परीक्षा को दिए गए विवरणों के अनुसार इस मामले के संबंध में आकस्मिक देयता 2,685.97 करोड़ रूपये तक परिकलित गई। इसके परिणामस्वरूप आकस्मिक देयता में	मैसर्स एम्मार एम. जी. एफ. के संबंध में 2884.87 करोड़ रुपये की आकस्मिक देयता को, जो खातों में घोषित की गई है, उसे दिनांक 31.03.2018 को अनुमानित 2444.81 करोड़ रुपये की देयता पर चालू वर्ष में जोड़ी गई 18% की ब्याज दर से परिकलित किया गया है। तथा यह ब्याज का अनुमानित परिकलन है तथा माध्यस्थ मामले के निर्णय

[2] 59.54 करोड़ रुपये की कुल ऋण राशि पर चालू वर्ष हेतु 10 प्रतिशत वार्षिक की दर पर गणना की गई (इस निधि के परिचालन हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार) ।

	198.90 करोड़ रूपए तक की वृद्धि दर्शायी गई।	पर वास्तविक देयता अलग-अलग रूप से निर्भर हो सकती है। इसके अतिरिक्त, लेखा की टिप्पणी में यह केवल एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट हुई है, इसलिए आय एवं व्यय लेखा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तथापि, अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2018-19 में आकस्मिक देयता में आवश्यक सुधार किया जाएगा।
(ii)	माननीय उच्च न्यायालय में मैसर्स स्पोर्टिना पेसो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के विरूद्ध दाखिल मामले के संबंध में 3133.93 करोड़ रूपये की आकास्मिक देयता में 13.06 करोड़ की राशि शामिल नहीं की गई है। इसके कारण आकस्मिक देयता में 13.06 करोड़ रूपये तक की कमी है।	आकस्मिक देयता में आवश्यक परिवर्तन अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2018-19 में किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, लेखा की टिप्पणी में यह केवल एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट हुई है, इसलिए आय एवं व्यय लेखा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
4.1.2	वर्ष 2016-17 के लिए दि.वि.प्रा. के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के एस.ए.आर. में टिप्पणी संख्या एफ. 1.2 के लिए निर्देश हुआ है जिसमें माल सूचियों में मूल्यांकन के संबंध में लेखाकरण नीति संख्या 6 में परिवर्तन के कारण पड़ने वाले प्रभाव को न बताने पर टिप्पणी की गई थी। इसे वर्ष 2017-18 में भी ठीक नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2016 तक तैयार स्टॉक का मूल्यांकन, जिस पर इसे बेचा जाना संभावित है उस मानक लागत पर इसके मूल्यांकन की पिछली नीति के अनुसार मूल्यांकित किया जाना जारी है, जो कि लेखाकरण मानक 2 (माल सूचियों का मूल्यांकन) के उल्लंघन में है।	इस संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि तैयार स्टॉक और व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करने वाली पुरानी माल-सूची की प्रकृति विशाल होने के कारण, दिनांक 01.04.2016 के बाद तैयार आवासीय इकाइयों के लिए माल-सूची के मूल्यांकन हेतु लेखाकरण नीति में परिवर्तन का प्रभाव देने का निर्णय लिया गया है। यहाँ उल्लेख करना उचित है कि वर्ष के दौरान कोई योजना पूरी नहीं हुई थी और तदनुसार, लेखाकरण नीति में परिवर्तन को कोई प्रभाव वर्ष के दौरान दिखाई नहीं देता। **लेखा बिन्दु संख्या 16 के नोट** में इस तथ्य का खुलासा किया गया है। इस प्रकार लेखाकरण नीतियों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

	वर्ष 2016-17 में इंगित किये जाने के बावजूद दि.वि.प्रा. द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	
4.1.3.	आवासीय योजना (सेक्टर जी-7 एवं जी-8, नरेला सेक्टर 34 एवं 35 , रोहिणी में आंतरिक विकास और विद्युतीकरण सहित एलआईजी एवं ई.डब्ल्यू.एस. आवासों का निर्माण) के एक हिस्से जिसमें 8164 एलआईजी फ्लैट और 1820 ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट शामिल है, को चालू वर्ष 2017-18 के दौरान वास्तविक रूप से पूरा किया गया। तथापि न ही तो तैयार स्टॉक (आवास बनाए गए) की सूची में इसे अंतरित किया गया और न ही लेखा टिप्पणियों में इस तथ्य को प्रकट किया गया । लागत विवरण के अभाव में लेखा परीक्षा में तैयार स्टॉक की कमी तथा डब्ल्यू.आई.पी. में अधिकता की मात्रा को निर्धारित नहीं किया जा सका।	अभियंता विंग लागत को अंतिम रूप में तय करने करने के लिए आवासन लेखा प्रकोष्ठ की योजना की लागत संबंधी जानकारी अग्रेषित नहीं कर पाया। चूंकि, नरेला में सैक्टर जी-7 और जी-8 में पॉकेट iv और v के फ्लैट 2017-18 के वित्तीय वर्ष के दौरान समाप्त स्टॉक में नहीं लिया जा सके।
घ.	**पेंशन निधि ट्रस्ट**	
1.	**तुलन-पत्र**	
1.1	**लंबित देयताएं** **20.58 करोड़ रुपये** इसमें कुल 1184 ऑफिस क्लर्क मेट (ओ.सी.एम.) की पेंशन परिशोधन के कारण दिनांक 21 दिसंबर, 2017 से प्रभावी ऑफिस क्लर्क मेट (ओ.सी.एम.) को देय पेंशन के बकाये की 1.97 करोड़ रु की राशि शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप पेंशन निधि ट्रस्ट के तुलन-पत्र में देयताओं एवं चालू परिसंपत्तियों में 1.97 करोड़ रूपये कम दर्शाये गये हैं।	यह बताया जाता है कि ऑफिस क्लर्क मेट को दिनांक 21.12.2017 से प्रभावी होने वाले सेलेक्शन ग्रेड प्रदान करने के आदेश जारी किए गए जबकि इसे दिनांक 07.05.2018 को परिचालित किया गया। ऐसे पेंशन बकाया राशि को खाते में देय लंबित देयताओं को वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक खातों में दर्शाया नहीं जा सकता है। तथापि, इसकी समीक्षाकी जाए और आगामी वित्तीय वर्ष अर्थात् 2018-19 के लेखे में पूर्ववर्ती

		अवधि में आवश्यक समायोजन किया जाए।
1.2	425.00 करोड़ रू के निवेश (यू.डी.एफ. रू 80.00 करोड़, नजूल II, रू 325.00 करोड़ एवं सीआरएफ 20.00 करोड़ रु) को पेंशन निधि ट्रस्ट के माध्यम से राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में पेशन निधि ट्रस्ट के तुलन पत्र में नहीं दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों एवं देयताओं में 425.00 करोड़ रूपये कम दर्शाये गये हैं।	पेंशन निधि न्यास लेखा के माध्यम से राज्य विकास ऋण में आकस्मिक आरक्षित निधि/शहरी विकास निधि/नजूल-II में 20.00 करोड़ रुपए/80.00 करोड़ रुपए/325.00 करोड़ रुपए का निवेश किया गया क्योंकि दि.वि.प्रा. की अधिशेष निधि के लिए पृथक सी.एस.जी.एल. खाता वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अधिक समय लगने वाली कार्य-प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं के कारण खोला नहीं जा सका, जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश हेतु अपेक्षित है। तथापि, जब तक दि.वि.प्रा के अधिशेष निधि के लिए पृथक सी.एस.जी.एल. खाता खुल नहीं जाता, तक तक अधिशेष निधि के लिए निवेश दि.वि.प्रा. के पेंशन निधि कोष के सी.एस.जी.एल. लेखा के माध्यम से आईडीबीआई बैंक के साथ खोले गए तथा इस निवेश को बाद में दि.वि.प्रा. के अधिशेष खाते के सी.एस.जी.एल. खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे। दि.वि.प्रा. पेंशन निधि न्यास के माध्यम से अधिशेष निधि में निवेश करने के लिए राशि निवेश के लिए कुछ विचाराधीन राशि के बराबर दि.वि.प्रा आकस्मिक संचय निधि/शहरी विकास निधि/नजूल-II लेखा से दि.वि.प्रा. पेंशन निधि न्यास लेखा में अंतरित किए गए। इसके अतिरिक्त जो निवेश आकस्मिक संचय निधि/शहरी विकास निधि/नजूल-II में कुल विचाराधीन राशि के बराबर चिन्हित किए गए, वो दि.वि.प्रा. पेंशन निधि न्यास में पहले से ही अंतरित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, इस बताया जाता है कि दि.वि.प्रा. की अधिशेष निधि के लिए पृथक् सीएसजीएल खाता खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के

		साथ लगातार कार्रवाई करने के बाद दिसंबर,2018 में यह खाता अब खोल दिया गया है। दि.वि.प्रा. पेंशन निधि ट्रस्ट के सीएसजीएल खाते से दि.वि.प्रा. सीएसजीएल खाते में प्रतिभूतियों के अंतरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
ङ.	**उपदान निधि ट्रस्ट**	
1	**तुलन-पत्र**	
1.1	**नियोक्ता अंशदान** **19.21 करोड़ रुपये** इसमें दिनांक 21 दिसंबर, 2017 से प्रभावी वेतन परिशोधन के फलस्वरूप 846 ओ.सी.एम. को देय सेवा-निवृत्ति उपदान के विषय में 14.36 करोड़ रुपये की राशि शामिल नहीं हैं। इसके गैर-बुकिंग के कारण देयताओं के साथ-साथ व्यय में 14.36 करोड़ रुपये की कमी हो गई है।	यह बताया जाता है कि दिनांक 21.12.2017 को ऑफिस क्लर्क मेट को सेलेक्शन ग्रेड प्रदान करने संबंधी आदेश जारी किया गया और इसे दिनांक 07.05.2018 को परिचालित किया गया। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक लेखों में प्रावधान नहीं किया जा सका। तथापि, इसकी समीक्षा की जाएगी और आगामी वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2018-19 के खातों में आवश्यक समायोजन के पूर्व अवधि के माध्यम से किया जाएगा।
च.	**सामान्य**	
1.	**शहरी विकास निधि (यू.डी.एफ.) के अलग खातों को तैयार करना** दि.वि.प्रा. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से परिरक्षक (कस्टोडियन) के रूप में शहरी विकास निधि के खातों का रख-रखाव करता रहा है और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (भारत सरकार) के निदेशानुसार ही ऋणों/अनुदानों का इस निधि से केवल वितरण किया जाता है। जैसा कि यह दि.वि.प्रा. के लिए एक पृथक इकाई है, वित्तीय विवरणों के लिए अलग इकाई बनाना चाहिए। उदाहरणार्थ	(i) शहरी विकास निधि दि.वि.प्रा. से संबंधित नहीं है, यह निधि का केवल संरक्षक है। यह निधि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है, और इस निधि से किसी भी ऋण/अनुदान को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के निदेश के अनुसार वितरित किया जाता है। (ii) अस्थगित व्यय के रूप में शहरी विकास नधि निवेश की खरीद पर भुगतान किए गए 1.84 करोड़ रुपये के गैर परिशोधन प्रीमियम के

	शहरी विकास निधि के अलग-अलग इकाई के न बनाने के कारण लेनदेन जो डबल एंट्री सिस्टम की संचित अवधारणा के अनुसार शामिल नहीं हो पाएं- (i) दि.वि.प्रा. ने वर्ष 2017-18 के दौरान ढाई वर्ष की अवधि हेतु शहरी विकास निधि के रु. 80.00 करोड़ रुपये पेंशन निधि ट्रस्ट के माध्यम से राज्य सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय हेतु निवेश किये। तथापि, निवेश की खरीद पर भुगतान किये गये 1.84 करोड़ रुपये के अपरिशोधित प्राशुल्क को अस्थगित व्यय के रुप में नहीं दिखाया जा सका । (ii) शहरी विकास निधि में 79.91 करोड़ रुपये के बचत खाता शेष सहित 4949.40 करोड़ रुपये की निधि थी । खातों के पृथक् सेट्स तैयार न करने के कारण, निवेशों से संबंधित लेन-देन, उस पर ब्याज, परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएँ और उपार्जित व्यय आदि को अलग से दिखाया नहीं जा सका । अत: बेहतर प्रस्तुतीकरण और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी परिसम्पत्तियों और देयताओं को समुचित रुप से दर्शाया गया है, लेखा-परीक्षा की राय है कि दि.वि.प्रा. द्वारा शहरी विकास निधि के लिए भी खातों के पृथक् सैट्स तैयार किए जाने चाहिए ।	वर्णन के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गाय है कि शहरी विकास निधि निवेशों पर भुगतान किए गए प्रीमियम का अगले वर्ष से परिशोधन किया जाएगा। तथापि, इससे दि.वि.प्रा. की आय और व्यय पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि दि.वि.प्रा. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से शहरी विकास निधि की देखभाल कर रहा है । (iii)इसके अतिरिक्त, निवेशों, उपार्जित ब्याज, शहरी विकास निधि से संबंधित बचत खाता राशि को तुलन-पत्र के अनुसूची 'ई' में चित्रित किया गया है ।

हस्ता./- **मुख्य लेखा अधिकारी, दि.वि.प्रा.**

हस्ता./- **उप मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा)**

हस्ता./- **लेखा अधिकारी (लेखा) मुख्य**

	अनुलग्नक	
1	**आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) की आंतरिक लेखा परीक्षा, निदेशक (आंतरिक लेखा परीक्षा) की अध्यक्षता में इसके अपने आंतरिक लेखा-परीक्षा विंग द्वारा की गई थी। रिकॉर्ड से ऐसा पाया गया है कि दि.वि.प्रा. के पास आंतरिक परीक्षा शाखा के प्रशासनिक नियंत्रण में 212 लेखा परीक्षा किए जाने योग्य इकाइयाँ हैं । इनमें से आंतरिक लेखा - परीक्षा ने केवल 113 इकाइयों की लेखा परीक्षा की योजना बनाई और जिनमें 94 इकाइयों की लेखा-परीक्षा वर्ष 2017-18 के दौरान की गई । इसके अतिरिक्त आंतरिक लेखा-परीक्षा ने यह पाया कि बहुत सारे पुराने बकाया आंतरिक लेखा-परीक्षा पैरा लंबित थे। वित्त वर्ष 2014-15 2015-16, 2016-17, 2017-18 के दौरान बकाया पैरा की संख्या क्रमशः 16105, 16915, 18473 और 19718 थी। गत तीन वर्षों के दौरान, दि.वि.प्रा. द्वारा 852 पैरा ही निपटाए गए। यह बताता है कि बकाया पैरा को निपटाने के पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए हैं ।	ऐसा सूचित किया जाता है कि दि.वि.प्रा. में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रोग्राम हर भाग /इकाई के कार्यभार को ध्यान में रखकर वार्षिक, द्विवार्षिक एवं त्रैवार्षिक आधार पर आोजित किए जाते हैं । जिस इकाई का कार्यभार 15 करोड़ से अधिक है उसे वार्षिक लेखा परीक्षा के लिए वर्गीकृत किया गया है, जिसका 5-15 करोड़ के बीच है उसे द्विवार्षिक एवं जिसका 5 करोड़ से कम है उसे त्रैवार्षिक लेखापरीक्षा की योजना को तीन खण्डों अर्थात् वार्षिक, द्विवार्षिक, त्रैवार्षिक रुप में निम्न प्रकार से अंतिम रुप दिया गया- वार्षिक- 43 इकाइयाँ द्विवार्षिक- 83 इकाइयाँ त्रैवार्षिक- 87 इकाइयाँ जैसा कि उपर्युक्त लेखा परीक्षा की योजना से देखा जा सकता है, वर्ष, 2017-18 की अवधि में कुल 113 इकाइयों (43+41+29) की लेखा परीक्षा होनी है । जैसे कि लेखा परीक्षा किए जानेवाली 113 इकाइयों के लक्ष्यों में से दि.वि.प्रा. ने 94 इकाइयाँ अर्थात् 83 प्रतिशत लेखा परीक्षा की है । जैसे कि लेखा परीक्षा में केवल 17 प्रतिशत की कमी है ।तथापि चालू वर्ष 2018-19 की अवधि में सभी आयोजित इकाइयों की लेखा परीक्षा को पूरा करने का प्रयत्न किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बकाया लेखा परीक्षा पैरा के समाधान के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

2	**उपार्जित आधार पर खातों को तैयार न करना** सात केन्द्रीय लेखाकरण इकाइयाँ हैं, जैसे कि, सी.ए.यू. (उत्तरी) क्षेत्र, सी.ए.यू. (दक्षिणी) क्षेत्र, सी.ए.यू. (पूर्वी) क्षेत्र, सी.ए.यू. (द्वारका) क्षेत्र, सी.ए.यू. (रोहिणी) क्षेत्र, सी.ए.यू. (पी. और सी.डब्ल्यू.जी.) और सी.ए.यू. खेल है । इसके अतिरिक्त, सी.ए.यू. के अलावा सात लेखाकरण इकाइयाँ जैसे- रोकड़ (मुख्य), रोकड़ (आवास), कर्मचारी हित निधि, चिकित्सा, भीकाजी कामा प्लेस, वेतन एवं लेखाधिकारी और यूटीपैक हैं । दि.वि.प्रा. सी.ए.यू. स्तर पर मासिक लेखा को तैयार करने के लिए मुख्यतया: के.लो.नि.वि. के पैटर्न का अनुसरण करता है । सी.ए.यू. द्वारा प्रस्तुत मासिक लेखा वर्गीकृत और समेकित सार मुख्यालय स्तर पर दिए गए हैं । वर्ष के अंत में खातों के समायोजन प्रविष्टियों को पारित करके कर सलाहकार द्वारा नकद आधार खातों के उपार्जित आधार में परिवर्तन द्वारा अंतिम रुप दिया जाता है । इस प्रकार, जब भी लेन-देन किया जाता है, दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने लेन-देन का रिकॉर्ड उपार्जित आधार पर नहीं रखता है ।	वर्तमान में लेखाओं के कम्प्यूटरीकरण की प्रणाली नहीं है और इसकी अनुपस्थिति में दि.वि.प्रा. लेनदेनों के अभिलेख, जब और जैसे वे तैयार होते हैं, को उपार्जित आधार पर नहीं रख पाया है । दि.वि.प्रा. लेखाओं के कम्प्यूटरीकरण के पश्चात् उन्हें वाउचर स्तर से डबल एंट्री सिस्टम आधार पर बनाया जाएगा।
3.	**विभाग में विशेषज्ञता की कमी** दि.वि.प्रा. अपने लेखों को अंतिम रुप देने के लिए बाह्य एजेंसी पर निर्भर है । लेखों को कर परामर्शदाता से बनवाने के स्थान पर दि.वि.प्रा. द्वारा वित्तीय विवरण बनाने के लिए विभागीय विशेषज्ञता के विकास हेतु संस्तुत किया गया है क्योंकि दि.वि.प्रा. ने हाल ही में योग्य सहायक	वर्तमान में लेखाओं के कम्प्यूटरीकरण की प्रणाली नहीं है और इसकी अनुपस्थिति में दि.वि.प्रा. लेन-देनों के अभिलेख, जब और जैसे वे तैयार होते हैं, को उपार्जित आधार पर नहीं रख पाया है । दि.वि.प्रा. लेखाओं के कम्प्यूटरीकरण के पश्चात् उन्हें वाउचर स्तर से डबल एंट्री सिस्टम आधार

	लेखा अधिकारियों के एक दल की भर्ती की है । इसके अतिरिक्त, कुछ तद्नुकूल लेखाकरण सॉफ्टवेयर सिस्टम के कार्यान्वयन हेत तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए, जो दि.वि.प्रा. के वित्तीय एवं लेखाकरण को सरल बनाने में सहायता कर सकता है ।	पर बनाया जाएगा।
4.	**वास्तविक सत्यापन** सत्यापन वित्तीय नियम (जीएफआर) के नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार सभी वस्तुओं का वास्तविक सत्यापन किया जाए और यदि कोई विसंगति हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई हेतु उसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाए । वस्तुओं और सामाग्रियों का मदवार वास्तविक सत्यापन न होने से दि.वि.प्रा. के वित्तीय विवरण में सम्पत्ति सूची की मात्रा और मूल्य के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई है । उदाहरणार्थ एस.एफ.एस./एच.आई.जी. श्रेणी के अंतिम स्टॉक में कुल 1643 फ्लैट थे, जिनकी कीमत 354.35 करोड़ रुपये रखी थी । विभिन्न जोनों द्वारा दी गई जानकारी के साथ खाली पड़े हुए फ्लैटों की स्थिति का अनुकूल पुष्टिकरण के साथ एस.एफ.एस./एच.आई.जी. फ्लैटों की सम्पत्ति सूची की एक जाँच-परीक्षा और आवासीय योजना- 2017 में फ्लैटों को शामिल करने से यह पता चला है कि दि.वि.प्रा. द्वारा अधिकतर एस.एफ.एस./एच.आई.जी. फ्लैट बेच दिए गए और केवल कुछ फ्लैट ही खाली बचे हुए थे तथा निर्मित आवासों के तैयार स्टॉक में 111.94 करोड़ रुपये की अधिकता थी, जैसा कि पृथक् लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणी संख्या सी 1.3.1 (ii) की टिप्पणी में है। इस प्रकार, लेखा में	वास्तविक सत्यापन का प्रमाण-पत्र, माल सूची के प्रत्यक्ष आस्तित्व को प्रमाणित करता है जो कि निजी इकाइयों द्वारा निष्पादित किया जा चुका है और तद्नुसार, वार्षिक खातों में माल सूची दर्ज की जा चुकी है । तथापि, जी.एफ.आर. नियम 192 के अनुसार माल सूची की मात्रा एवं मूल्य उल्लिखित करने वाले माल सूची का मदवार प्रत्यक्ष सत्यापन दिल्ली विकास प्राधिकरण की सभी इकाइयों द्वारा पूरा हो जाएगा और इसे आगामी वर्षों में वार्षिक खातों के तद्नुसार दर्ज किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान यह प्रस्तुत किया जाता है कि बने हुए घरों निर्मित स्टॉक एस.एफ.एस./एच.आई.जी. में कोई भी परिवर्धन नहीं है। लेखाकरण नीति संख्या 7(क) के अनुसार घरों की बिक्री तभी मान्य है जब कि आबंटितियों को कब्जा पत्र जारी कर दिया गया है । जैसे ही आबंटितियों को कब्जा पत्र जारी किया जाता है, फ्लैट को निर्मित स्टॉक इनवेंट्री से हटा दिया जाता है । तद्नुसार वर्ष के दौरान दि.वि.प्रा. ने दिनांक 31.03.2017 की सूची खोलने से वर्ष के दौरान जारी किए गए अधिग्रहण पत्र के आधार पर आवास स्टॉक की बिक्री में कमी आई है। इसलिए तुलन-पत्र में सूची का कोई अधिकता (ओवरस्टेटमेंट) नहीं है।

	संपत्ति सूची की सही स्थिति दर्शाने के लिए संपत्ति सूची का मदवार वास्तविक सत्यापन प्रतिवर्ष कराया जाए । संपत्ति सूची की मदवार वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट न होने से लेखा-परीक्षा में 31 मार्च, 2018 को समाप्त तुलन-पत्र में दर्शाए गए 2782.56 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति सूचियों के होने एवं प्रमाणिकता को लेकर आश्वस्त नहीं है ।	

हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-
मुख्य लेखा अधिकारी, दि.वि.प्रा.	**उप मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा)**	**लेखा अधिकारी (लेखा) मुख्य**

NOTES

NOTES

दिल्ली विकास प्राधिकरण

वेबसाइट : **www.dda.org.in,** टोल फ्री नं: **1800110332**